


# वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग





सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



के वि वि आयोग  
CERC

**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)**

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग 36, जनपथ, नई दिल्ली -110 001

दूरभाष : +91 11 23353503 • +91 11 23753923

<https://www.cercind.gov.in>



## अध्यक्षीय वक्तव्य

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने वर्ष 2021-22 के दौरान देश में विद्युत बाजार की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रिड के उपयोगकर्ता, ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत की निकासी और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूची से विचलित न हों और उसका पालन करें, आयोग ने केविविआ (विचलन व्यवस्थापन और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 को आरंभ किया। ये विनियम ग्रिड की विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत की निकासी या अंतःक्षेपण की अनुसूची से विचलन के उपचार और निपटान के लिए विनियामक तंत्र प्रदान करते हैं। इन विनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, विचलन की संगणना की पद्धति के लिए; विद्युत की निकासी और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूची से विचलित होने की दशा में प्रादेशिक इकाइयों पर विचलन के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों; और उससे संबंधित मामलों के लिए व्यवस्था है। इन विनियमों के आरंभ ने केविविआ (विचलन व्यवस्थापन और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 को निरस्त कर दिया।

प्रशासित के साथ-साथ बाजार आधारित तंत्रों के माध्यम से खरीद के लिए, 50 हर्ट्ज के समीप ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं की तैनाती और भुगतान, ग्रिड कोड में यथा विनिर्दिष्ट स्वीकार्य बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बहाल करने और विद्युत प्रणाली के सुचारु प्रचालन, और ग्रिड के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों को प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ, आयोग ने केविविआ (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को आरंभ किया। ये विनियम द्वितीयक रिजर्व सहायक सेवाओं (एसआरएएस) और तृतीयक रिजर्व सहायक सेवाओं (टीआरएएस) के अतिरिक्त, स्वीकार्य बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी बनाए रखने और ग्रिड के विश्वसनीय और स्थिर प्रचालन को सहयोग देने के लिए पारेषण संकुलन से राहत के लिए उपाय प्रदान करते हैं। ये विनियम, नोडल एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा एसआरएएस और टीआरएएस के आकलन की आवश्यकता को अधिदेशित करते हैं। इन विनियमों में एसआरएएस और टीआरएएस की बाजार आधारित खरीद पर भी विचार किया गया है।

1 अप्रैल, 2019 से पोसोको की सहायता से विद्युत के सुरक्षा-बाधित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) पर एक मार्गदर्शी कार्यान्वित किया गया था। इस मार्गदर्शी ने मौजूदा प्रणाली में इष्टतमीकरण की सीमा और वृहत संरचनात्मक परिवर्तनों के बिना प्रणाली लागत को कम करने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से कार्य किया। परिणामों को ध्यान में रखते हुए, मार्गदर्शी को मार्च, 2022 तक और विस्तार प्राप्त हुआ। उत्पादकों और उनके संबंधित हितधारकों के बीच लाभों/अभिलाषों के समान वितरण पर लक्षित लाभों की शेरिंग के लिए इस पद्धति का निर्णय लिया गया।

12 मई, 2021 को याचिका 287/एमपी/2018 में जारी एक ऐतिहासिक निर्णय में, आयोग ने प्रणूरजा सॉल्यूशन लिमिटेड (पीएसएल) को देश में एक नया पावर एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे देश में पावर एक्सचेंजों की कुल संख्या तीन हो गई। देश में तीसरे पावर एक्सचेंज के आरंभ से विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को व्यापक सेवाएं मिलेंगी।

एक और सकारात्मक विकास 2011 के 6 अक्टूबर, 2021 के सिविल अपील संख्या 5290-5291 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एसईबीआई द्वारा कार्यान्वित विनियमों के अनुसार यद्यपि भारत में डेरिवेटिव संविदाओं को आरंभ और उनका व्यापार किया जाएगा, विद्युत के भौतिक वितरण के लिए संविदाएं, केविविआ के क्षेत्राधिकार में बनी रहेंगी। आदेश ने देश में डेरिवेटिव संविदाओं के आरंभ को मंजूरी देने के लिए केविविआ और एसईबीआई के अधिकारियों के संयुक्त कार्य समूह के गठन पर प्रकाश डाला।

नेटवर्क के उपयोग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, आयोग ने "ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2021" का मसौदा तैयार किया। ड्राफ्ट विनियमों के माध्यम से, आयोग ने अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच (टी-जीएनए) की अवधारणा को एक पात्र क्रेता या क्रेता की ओर से इकाई को ग्यारह महीने तक एक ब्लॉक की समय अवधि के लिए आईएसटीएस के लिए खुली पहुंच के रूप में भी रखा है।

इस बड़ी हुई अनुभूति के साथ कि "ओवर द काउंटर" (ओटीसी) प्लेटफॉर्म को विनियमित करना भी महत्वपूर्ण है, केविविआ पावर मार्केट विनियम 2021 के विनियम 44 के खंड (1) के लिए आयोग को ओटीसी प्लेटफॉर्म का निर्माण और उसका प्रचालन करने के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने हेतु दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आयोग ने ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है।



नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की अवधारणा आयोग द्वारा जनवरी 2010 में केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 की अधिसूचना के साथ प्रस्तुत की गई थी। मौजूदा बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार विनियमों को अद्यतित करने के अपने प्रयास में, आयोग ने केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022 का मसौदा प्रकाशित किया, जिसके अधीन आरईसी के लिए न्यूनतम और फोरबीयरेन्स कीमत का अवधारण करने और आरईसी बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर आरईसी की कीमत की खोज को खरीदारों और विक्रेताओं को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

उपर्युक्त निर्दिष्ट विनियमों के अतिरिक्त, आयोग ने मौजूदा और उभरते बाजार की वास्तविकताओं के साथ गठबंधन में, सभी विनियमों की जननी, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड को सुधारने का कार्य भी अपने ऊपर ले लिया है।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने नागरिकों और व्यवसायियों के विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिया के अधीन विभिन्न विनियमों/प्रक्रियाओं में संशोधन भी किए।

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन और अध्यक्ष, केविविआ की अध्यक्षता में निगमित निकाय, विनियामक फोरम (एफओआर) की गतिविधियों का भी समर्थन किया। एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्ष एफओआर के सदस्य हैं। इसने अपने संसाधनों को फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) और साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (एसएफआईआर) को प्रदान करने से भी इनका समर्थन किया चूंकि यह इन संगठनों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है।

आयोग अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता है।

अध्यक्ष

## विषय सूची

1. आयोग	13
2. मिशन विवरण	17
3. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	21
4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन	31
5. विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां	35
6. वर्ष 2021-22 के दौरान गतिविधियां	39
7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष	57
8. 2021-22 के दौरान जारी अधिसूचनाएं	61
9. वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची	65
10. लेखों का वार्षिक विवरण	69
11. आयोग का मानव संसाधन	73
12. सूचना का अधिकार	77
अनुबंध	81



## संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एसीपी	क्षेत्रीय क्लीयरिंग कीमत
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एजीसी	स्वतः उत्पादन नियंत्रण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल/एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एटीएस	संबद्ध पारेषण प्रणाली
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीसीडी	बिलिंग, वसूली और संवितरण (प्रक्रिया)
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरो
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
ब्रिक्स	बाज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीबीटीई	विद्युत का सीमा-पार व्यापार
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएम	मंत्री स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा (शिखर सम्मेलन)
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईजीआई	बड़ी विद्युत प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद्
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डीईईपी	कुशल विद्युत कीमत डिस्कवरी
डीआईसी	पदनामित आईएसटीएस ग्राहक
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएसएम	विचलन व्यवस्थापन तंत्र या मांग पक्ष प्रबंधन
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम



ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एचपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
एचवीडीसी	उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष करंट
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनियम
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर-राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
एलसीधएलओसी	साख-पत्र
एलडीसी	भार प्रेषण केन्द्र
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर



एमबीईडी	बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण
एमसीपी	बाजार समाशोधन कीमत
एमएमसी	बाजार मानिट्रिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
नीपको	उत्तर-पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईपी	राष्ट्रीय विद्युत योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति
एनईआर	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपी	राष्ट्रीय टैरिफ नीति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
एनवीवीएन	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओपेक्स	प्रचालन व्यय
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमआर	विद्युत बाजार विनियम
पीएमयू	फेजर परिमाणन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनेक्शन

पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनियम लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसीकृत लिक्वीफाईड प्राकृतिक गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
आरटीएम	वास्तविक समय बाजार
साफिर	दक्षिण एशिया अवसररचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीईडी	सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजेवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की टैरिफ अधिकरण



टीबीसीबी	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार
उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएचवीएसी	अल्ट्रा उच्च वोल्टेज वैकल्पिक करंट
यूआई	अननुसूचित अंतर्विनियम
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना
वीएटी	मूल्य वर्द्धित कर
वाईटीसी	वार्षिक पारेषण प्रभार

# 1. आयोग



विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब वर्ष 1994 में संसुत विद्युत के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्ड' का गठन करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफो को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि 'राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।'

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविआ के दायित्वों के दायरे में काफी विस्तार किया है। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अधीन केविआ में केवल टैरिफ अवधारण करने की शक्तियां निहित थीं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविआ को टैरिफ अवधारण करने की शक्तियों के अतिरिक्त कई अन्य दायित्व सौंपे हैं। इनमें अंतर-राज्यिक पारेषण, अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामतः अनुज्ञप्ति को संशोधित, निलंबित और रद्द करने की शक्ति, प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करके और उनका अनुपालन सुनिश्चित करके अनुज्ञप्तिधारियों को विनियमित करने की शक्तियां आदि शामिल हैं।

आयोग अर्ध-न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

## अधिदेश

जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौंपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:

- क. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;
- ख. खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;
- ग. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;



- घ. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;
- ङ. किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर-राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;
- च. उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;
- छ. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;
- ज. ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;
- झ. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;
- ञ. विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;
- ट. ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

**केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना:**

- क. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;
- ख. विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;
- ग. विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन;
- घ. केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।



## 2. मिशन विवरण



आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य—

- क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।
- ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- ग. अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।
- घ. अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।
- ङ विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।
- च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।
- छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।
- ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

#### मार्गदर्शक सिद्धान्त

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

- क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।
- ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।
- ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।
- घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।
- ङ विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।
- च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।



### 3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण





## श्री पी.के.पुजारी

अध्यक्ष

(1 फरवरी 2018 – कार्यरत)

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, श्री पी.के. पुजारी ने वर्ष 1981 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें गुजरात केडर आबंटित किया गया। अपने कैरियर के दौरान, उन्हें गुजरात में विभिन्न विभागों/मंत्रालयों और साथ ही केंद्र सरकार में बिजली, वाणिज्यिक कर, वित्त और उद्योगों का कार्य सौंपा गया। वे अपने 36 वर्षों की सेवा के बाद, वर्ष 2017 में अपनी अधिवाषिकी से पूर्व दो वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सचिव पद पर रहे।

वित्त और उद्योगों के क्षेत्र में कुछ मुख्य कार्य (i) वित्तीय संसाधन पूर्वानुमान, व्यय योजना, वार्षिक बजट तैयार करना, ऋण एवं गारंटी प्रबंधन; (ii) बिक्री कर से मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) में संक्रमण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए वाणिज्यिक करों का नियंत्रण और इसे सक्षम बनाना एवं; (iii) औद्योगिक संपदाओं एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना और मार्केटिंग शामिल है।

उन्होंने निदेशक एवं सचिव के रूप में 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र में कार्य किया। निदेशक के रूप में वह उत्पादन एवं वितरण में निजी विद्युत कंपनियों की सहभागिता के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क के विकास में शामिल रहें। सचिव के रूप में अपनी अवधि के दौरान (2015-17), अधिकतम उत्पादन क्षमता तथा अंतर-राज्यिक पारेषण क्षमता को देश में जोड़ा गया जिसे एक राष्ट्र – एक ग्रिड – एक कीमत में परिणत किया गया।

सचिव के रूप में, उन्होंने कई दूरगामी पहल और नीतिगत परिवर्तनों में सहभागिता की। इनमें शेष 18,452 सभी गांव का विद्युतीकरण (1.4.2015 की स्थिति के अनुसार), डिस्कॉम के सतत प्रचालन और वित्तीय टर्म अराउण्ड के लिए 'उदय' का शुभारंभ, संशोधित टैरिफ नीति 2016, विद्युत संयंत्रों के लिए नई कोयला संबद्ध नीति, संशोधित राष्ट्रीय विद्युत योजना XIX विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, यूएमपीपी के लिए संशोधित बोली दस्तावेज सीजी केन्द्रों से राज्यों के लिए संशोधित विद्युत आवंटन फार्मूला, नई हाइड्रो विद्युत नीति का तैयार करना, 2019 तक वैश्विक घरेलू विद्युतीकरण के लिए नई नीति को तैयार करना, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए नीतिगत मार्ग निर्देश, कैप्टिव उत्पादकों के लिए संशोधित नियमावली, टैरिफ संरचना और टैरिफ श्रेणियों की तर्कसंगतता के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।

अपने कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के क्रॉस बोर्डर व्यापार के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। क्रॉस बोर्डर पारेषण लाइनों में पर्याप्त वृद्धि की गई। इससे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ विद्युत के व्यापार में वृद्धि संभव हुई। पहली बार म्यांमार के साथ विद्युत व्यापार आरंभ हुआ। श्रीलंका के साथ सबमैरिन केबल कनेक्शन के लिए वार्ता आरंभ हुई। उन्होंने इन देशों के साथ विद्युत व्यापार पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

वे माराकेश में सीओपी 22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर करने से निकटता से संबद्ध रहे। उन्होंने दूसरे ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बीजिंग में 8वें क्लीन ऊर्जा मंत्री (सीईएम) सम्मेलन का नेतृत्व किया।

पुस्तकें पढ़ना, खेलकूद और संगीत सुनना उनकी रुचियों में शामिल है।







**श्री आई. एस. झा**  
सदस्य  
(21 जनवरी, 2019 – कार्यरत)

श्री आई. एस. झा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में जनवरी, 2019 से सदस्य हैं। अपने मौजूदा कार्य से पूर्व, उन्होंने वर्ष 2015 से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., राज्य-चलित पारेषण प्रयोज्यता, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे एनआईटी, जमशेदपुर से इलेक्ट्रीकल अभियंता, विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों, जैसे कि, उत्पादन, पारेषण, प्रणाली परिचालन, वितरण सहित ग्राहकों से संयोजकता तथा विनियामक पहलुओं में 40 वर्षों से अधिक का प्रचुर तथा विविध कार्य अनुभव रखने वाले विद्युत क्षेत्र के एक सुविख्यात व्यावसायिक हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में एनटीपीसी में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया तथा वर्ष 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार संभाला। तदुपरांत, उन्होंने जनवरी, 2019 में केविआ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। एनटीपीसी तथा पावरग्रिड में अपने कार्यकाल के दौरान, वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अवधारणीकरण, योजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी, मॉनिटरिंग तथा कार्यान्वयन से जुड़े रहे।

उन्होंने देश में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के साथ समेकित सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का आरंभ किया। पारेषण क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ, श्री झा ने राष्ट्रीय ग्रिड के अवधारणीकरण तथा कार्यान्वयन, पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस-बार्डर अंतःसंबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर, लंबी दूरी के मल्टी-टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली 1200 किलोवाट यूएचवीएसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

वे तकनीक क्षमता एवं जनकेन्द्रित नेतृत्व के लिए सुविख्यात हैं। वे बड़ी इलैक्ट्रिक प्रणाली से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद् (सीआईजीआईआरई) – भारत के अध्यक्ष हैं, शीर्ष गवर्निंग बॉडी अर्थात् सीआईजीआईआरई – पेरिस और अन्य व्यवसायिक निकायों की संचालन समिति के सदस्य हैं। उनके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल/सम्मेलनों में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में 50 से अधिक तकनीकी पेपर, बड़ी मात्रा में लेख प्रकाशित / प्रस्तुत किए गए। वे "रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी" तथा "स्मार्ट ग्रिड फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस" नामक दो पुस्तकों में सहयोगी लेखक रहे हैं। श्री झा विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों के लिए पेटेंट्स हेतु भी प्रयासरत हैं।





**श्री अरुण गोयल**  
सदस्य  
(7 अप्रैल 2020 – कार्यरत)

श्री अरुण गोयल, अप्रैल, 2020 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश कैडर के वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अगस्त, 2019 में भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका अंतिम कार्य, कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) था। सेवानिवृत्ति के बाद सितंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक उन्हें 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आस्तियों और देनदारियों के विभाजन पर सलाहकार समिति' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री अरुण गोयल को भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से विद्युत, वित्त, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे सुधारों, संस्था निर्माण और संगठनों में प्रणालीगत परिवर्तन लाने के जिज्ञासु हैं। वे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने और उसके बाद के कार्यान्वयन; वित्तीय आसूचना इकाई और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की स्थापना और भारत के जीएटीटी से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तन सहित भारत में प्रमुख सुधारों और परिवर्तनों का हिस्सा रहे हैं।

दिल्ली के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के विभिन्न चरणों के दौरान तीन कार्यकालों के साथ उन्हें विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है और उन्होंने प्रमुख सचिव (विद्युत); सीएमडी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड; सीएमडी, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड; अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड; अध्यक्ष, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तत्कालीन दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाय अंडरटेकिंग के अतिरिक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विद्युत सुधारों को आगे बढ़ाने और स्थिर करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत बोर्ड का विभाजन हुआ और वितरण का निजीकरण हुआ। उन्होंने 30 मई 2014 को विनाशकारी आंधी से उत्पन्न दिल्ली में बड़े विद्युत संकट को प्रभावी ढंग से संभाला और दिल्ली की विद्युत पारिषद प्रणाली के उन्नयन के लिए व्यापक निवेश योजना तैयार की। प्रधान सचिव (विद्युत), गोवा सरकार के रूप में, उन्होंने भारत सरकार और गोवा सरकार के बीच '24x7 पावर फॉर ऑल' एमओयू को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर किए।

उन्होंने कैबिनेट सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक परियोजना मॉनिटरिंग समूह के प्रमुख के रूप में कई विद्युत पारिषद और उत्पादन परियोजनाओं सहित कई मेगा और रुकी हुई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्हें भारत सरकार में वित्त और वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं में 13 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे विशेष सचिव, जीएसटी काउंसिल; मंत्री (आर्थिक और वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास, टोक्यो, निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत, और उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के पदों पर कार्यरत रहे। वे लगभग दो वर्षों तक सचिव (वित्त) और अंडमान और निकोबार प्रशासन के उपराज्यपाल के सचिव भी रहे।

उनके द्वारा 'दिल्ली पावर सेक्टर रिफॉर्म' पर तैयार किए गए व्यक्ति अध्ययन ने मुंबई में इंडिया टेक फाउंडेशन इवेंट (2004) में प्रथम पुरस्कार जीता और एलबीएसएनएए, मसूरी (2014) में आईएसएस अधिकारियों के लिए फेस-V प्रशिक्षण के दौरान 'इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन' पर पॉलिसी पेपर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें डीसीई-डीटीयू एलुमनी एसोसिएशन (2018) द्वारा विशिष्ट एलुमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

श्री अरुण गोयल को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त है; वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए (पीजीडीएम); एचपी विश्वविद्यालय से एमए (अर्थशास्त्र) और ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय, यूके से एमएससी (विकास प्रबंधन) हैं।





**श्री प्रवास कुमार सिंह**  
सदस्य  
(22 फरवरी, 2020 – कार्यरत)

श्री प्रवास कुमार सिंह, 22 फरवरी, 2021 से शपथ लेने के बाद सदस्य (विधि), केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग हैं। वे प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी थे और 32 वर्ष से अधिक समय तक बिहार और झारखंड की जिला न्यायपालिका में सेवा की। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में पोस्टिंग के साथ राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था, परंतु उन्होंने प्रासंगिक समय पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उक्त पद के लिए श्री सिंह की उम्मीदवारी की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा न्यायाधीशों और अन्य ने की थी।

इस कार्य में शामिल होने से पूर्व, वे जून 2019 से फरवरी, 2021 की अवधि में झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य (विधि) के रूप में कार्यरत थे।

एच. डी. जैन कॉलेज आरा से अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक करने के बाद, उन्होंने बिहार के प्रतिष्ठित पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है।

सिविल कोर्ट पटना में प्रारंभिक अभ्यास के बाद – उन्होंने वर्ष 1986 में बिहार सिविल (न्यायिक शाखा) सेवा में प्रवेश किया और छपरा, भागलपुर, मधुबनी, नालंदा और जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची और लोहरदगा के रूप में तैनात किया गया था। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री सिंह की नियुक्ति उल्लेखनीय थी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, विभिन्न दीवानी, आपराधिक और अन्य मामलों के अलावा, उनके द्वारा ऐतिहासिक निर्णय आरसी 20 (ए)/96 पारित किया गया था – संसद के दो माननीय सदस्यों और विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने निर्णय की शक्ति से अपनी सदस्यता खोई, यह देश में पहला निर्णय था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे माननीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता खोई। इस मामले में दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, कई एमएलए, कुछ आईएएस अधिकारियों, मुख्य आयकर आयुक्त और अन्य उच्चाधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया था। शीघ्र निस्तारण के प्रयासों की सभी ने सराहना की। "इंडिया टुडे", एक प्रमुख पत्रिका ने अपने अंग्रेजी / हिंदी दोनों संस्करणों में "जजेस ऑफ कैरेक्टर" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।

विभिन्न जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कई लोक सेवा कार्यों का नेतृत्व किया गया। पीड़ित मुआवजे के संबंध में श्री सिंह द्वारा अपनाए गए एक अभिनव विचार की झारखंड उच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेश में सराहना की।

श्री सिंह ने कुछ समय के लिए झारखंड उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में भी कार्य किया।

कई स्थानों पर प्रधान जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद – उन्हें झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (विधि)-सह-एल.आर. के रूप में तैनात किया गया। इस कार्यकाल के दौरान कई, अधिनियम, नियम, विनियम उनके सामने पुनरीक्षण के लिए लाए गए और वे सदैव राज्य में विधि निर्माण का हिस्सा बने रहे। विधि और न्याय विभाग के एचओडी होने के अतिरिक्त, वे झारखंड राज्य के मुकदमों की देख-रेख और निगरानी कर रहे थे और विधिक मामलों पर सरकारी विभाग को सलाह दे रहे थे।



# 4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन





## पूर्व वर्ष : एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा उसे सौंपे गए उत्तरदायित्वों से अवगत होकर, विद्युत क्षेत्र में और अधिक सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल कीं।

आयोग को निर्णय के लिए बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त होती हैं। इस वर्ष के दौरान 327 याचिकाएं प्राप्त हुईं। इससे, पिछले वर्ष से आगे बढ़ाए जाने के साथ कुल 1391 याचिकाएं हुईं। आयोग ने विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 623 याचिकाओं में आदेश पारित किए।

आदेशों के अतिरिक्त, आयोग ने क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभाव वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विनियम जारी किए। आयोग के कर्मचारियों ने भविष्य के लिए बाजार सुधारों पर बहस और हितधारकों के विचार जानने के लिए चर्चा पत्र भी प्रकाशित किए।

**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के विनियम 33 के अधीन "सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के भुगतान की पद्धति" पर विस्तृत क्रियाविधि**

आयोग ने दिनांक 15.03.2022 के आदेश द्वारा 1.4.2019 से 31.3.2024 की नियंत्रण अवधि के लिए विस्तृत क्रियाविधि को अनुमोदित किया। विस्तृत क्रियाविधि की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(क) इस क्रियाविधि का उद्देश्य एनएलडीसी और आरएलडीसी के पात्र प्रणाली प्रचालकों को सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के भुगतान के लिए समुचित भार प्रेषण केन्द्रों (एलडीसी) और प्रमाणन एजेंसी द्वारा पालन की जाने वाली भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों, पात्रता मानदंडों और पद्धतियों को निर्धारित करना है।

(ख) सर्टिफिकेट रिटेनरशिप प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की पात्रता क्रियाविधि द्वारा विस्तार में विनिर्दिष्ट हैं।

**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के संबंध में दिनांक 14.03.2022 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 अधिसूचित किया।

इस विनियम का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम

से यह सुनिश्चित करना है कि ग्रिड के उपयोगकर्ता ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूची से विचलित न हों और उसका पालन करें। ये विनियम ग्रिड से जुड़ी सभी प्रादेशिक इकाइयों और विद्युत की अंतर-राज्यिक क्रय और विक्रय में लगी अन्य इकाइयों पर लागू होंगे।

आयोग ने फ्रीक्वेंसी से विचलन प्रभारों को डिलिक कर दिया चूंकि अब प्रणाली फ्रीक्वेंसी उत्पादन के कम या अधिशेष होने का संकेतक नहीं है, और अब प्रणाली सीमांत कीमत और फ्रीक्वेंसी के बीच कोई लिंक मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, सहायक सेवाओं के आरंभ ने डीएसएम दर को फ्रीक्वेंसी से जोड़ने को निरर्थक बना दिया है।

विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर भारित औसत सहायक सेवा प्रभार (पैसा/किलोवाट घंटा में) के बराबर विनिर्दिष्ट की गई है। तथापि, डीएसएम विनियम, 2022 के प्रभाव की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली आगे की अवधि के लिए, सामान्य डीएसएम दर [डीएसएम के भारित औसत एसीपी, आरटीएम के एसीपी या औसत सहायक सेवा प्रभार] के उच्चतम के बराबर होगी।

क्र्रेताओं/विक्रेताओं के लिए विचलन हेतु प्रभार निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

### 1. विक्रेता के लिए डीएसएम प्रभार

- सामान्य विक्रेता विचलन के लिए,  $\pm 2\%$  तक ऊर्जा प्रभार दर पर प्राप्य/देय है। 2% से अधिक के लिए उत्पादक, विनिर्दिष्ट दरों पर डीएसएम प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- आरओआर परियोजनाओं के लिए, ऊर्जा प्रभार दर पर  $\pm 2\%$  तक विचलन प्राप्य/देय है। 2% से अधिक होने पर अधिक अंतःक्षेपण के लिए कोई डीएसएम प्रभार नहीं है, परंतु विनिर्दिष्ट दर पर 2% से अधिक होने पर कम अंतःक्षेपण के लिए डीएसएम प्रभार लगाया जाएगा।
- एमएसडब्ल्यू परियोजनाओं के लिए,  $\pm 20\%$  टॉलरेंस बैंड की अनुमति है अर्थात् इस टॉलरेंस बैंड के भीतर कोई डीएसएम प्रभार नहीं है। 20% तक के अधिक अंतःक्षेपण के लिए उन्हें उनकी संविदा दर पर वापस भुगतान किया जाएगा। 20% से अधिक अंतःक्षेपण के लिए उन्हें सामान्य डीएसएम दर पर डीएसएम प्रभार का भुगतान करना होगा।

- पवन और सौर परियोजनाओं के लिए टॉलरेंस बैंड  $\pm 10\%$  प्रदान किया जाता है अर्थात् इस टॉलरेंस बैंड के भीतर कोई डीएसएम प्रभार नहीं है। 2014 डीएसएम विनियमों के अधीन टॉलरेंस बैंड  $+/- 15\%$  था। पूर्वानुमान में निरंतर सुधार के अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर इसे कड़ा किया गया है। आरई के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग के मामले में अधिक अनुशासन लागू करना होगा। 10% तक के अधिक अंतःक्षेपण के लिए उन्हें विनिर्दिष्ट दरों पर वापस भुगतान किया जाएगा। 10% से अधिक के कम अंतःक्षेपण के लिए उन्हें अपनी संविदा दरों पर वापस भुगतान करना होगा।

## 2. क्रेताओं के लिए डीएसएम प्रभार

- कम आहरण के लिए, क्रेताओं को विनिर्दिष्ट दरों पर 20% या 40 मेगावाट तक, जो भी कम हो, (400 मेगावाट तक के शेड्यूल वाले छोटे क्रेताओं के लिए); अन्य क्रेताओं (गैर-आरई समृद्ध राज्यों) के लिए 15% या 200 मेगावाट तक जो भी कम हो; 15% या 300 मेगावाट जो भी कम हो (आरई समृद्ध राज्यों के लिए) वापस भुगतान किया जाएगा। अधिक आहरण के लिए उन्हें अधिक आहरण के विभिन्न मात्रा स्तरों के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर वापस भुगतान करना होगा।

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 31 जनवरी 2022 को केन्द्रीय विद्युत विनियाम आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासित के साथ-साथ बाजार आधारित तंत्रों के माध्यम से खरीद के लिए, 50 हर्ट्ज के समीप ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं की तैनाती और भुगतान, और ग्रिड कोड में यथा विनिर्दिष्ट स्वीकार्य बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बहाल करने और विद्युत प्रणाली के सुचारु प्रचालन, और ग्रिड के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों को प्रदान करना है।

ये विनियम द्वितीयक रिज़र्व सहायक सेवाओं (एसआरएस) और तृतीयक रिज़र्व सहायक सेवाओं (टीआरएस) के अतिरिक्त, स्वीकार्य बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी बनाए रखने और ग्रिड के विश्वसनीय और स्थिर प्रचालन को सहयोग देने के लिए पारेषण संकुलन से राहत के लिए उपाय प्रदान करते हैं। ये विनियम, नोडल एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा एसआरएस और टीआरएस के आकलन की आवश्यकता को अधिदेशित करते हैं। इन विनियमों में एसआरएस और टीआरएस की बाजार आधारित खरीद पर भी विचार किया गया है।

## 5. विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया



## 5. विनियमक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:


- विनियमों को अधिसूचित करता है
- निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:
  - टैरिफ का अवधारणा करने
  - अनुज्ञप्ति जारी करने
  - प्रकीर्ण मामले

### विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर

विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता



चित्र: विनियम के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के प्रवाह का चित्र

है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

### याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं :

- उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
- विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण और अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :

- विविध याचिकाएं
- पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को,



आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राप्ति/करण के समक्ष आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

### टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात् 2001-04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात, आयोग ने 2004-09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009-14 की एक और पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों और वर्ष 2014-19 की टैरिफ अवधि के लिए फरवरी, 2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य-वार उत्पादन

टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली-वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2019 जारी किया जो 1.4.2019 से 31.03.2024 तक प्रभावी है।

टैरिफ समय-समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंशिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

**6.**  
**वर्ष 2021–22 के**  
**दौरान गतिविधियां**





## 6. वर्ष 2021-22 के दौरान गतिविधियां

### विधिक कार्रवाहियां

वर्ष 2021-22 के दौरान, 327 याचिकाएं दर्ज की गईं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2019-20 से 1064 याचिकाएं आगे ले जाई गईं, जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1391 हो गई। इनमें से, 623 याचिकाओं का 2021-22 के दौरान निस्तारण किया गया। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

### वर्ष 2021-22 में जारी प्रमुख निर्णय/विनियम

#### 1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के संबंध में दिनांक 14.03.2022 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 अधिसूचित किया।

इस विनियम का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि ग्रिड के उपयोगकर्ता ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूची से विचलित न हों और उसका पालन करें। ये विनियम ग्रिड से जुड़ी सभी प्रादेशिक इकाइयों और विद्युत की अंतर-राज्यिक क्रय और विक्रय में लगी अन्य इकाइयों पर लागू होंगे।

आयोग ने फ्रीक्वेंसी से विचलन प्रभारों को डिलिक कर दिया चूंकि अब प्रणाली फ्रीक्वेंसी उत्पादन के कम या अधिशेष होने का संकेतक नहीं है, और अब प्रणाली सीमांत कीमत और फ्रीक्वेंसी के बीच कोई लिंक मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, सहायक सेवाओं के आरंभ ने डीएसएम दर को फ्रीक्वेंसी से जोड़ने को निरर्थक बना दिया है।

विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर भारित औसत सहायक सेवा प्रभार (पैसा/किलोवाट घंटा में) के बराबर विनिर्दिष्ट की गई है। तथापि, डीएसएम विनियम, 2022 के प्रभाव की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली आगे की अवधि के लिए, सामान्य डीएसएम दर [डीएसएम के भारित औसत

एसीपी, आरटीएम के एसीपी या औसत सहायक सेवा प्रभार] के उच्चतम के बराबर होगी।

क्रेताओं/विक्रेताओं के लिए विचलन हेतु प्रभार निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

#### 3. विक्रेता के लिए डीएसएम प्रभार

- सामान्य विक्रेता विचलन के लिए,  $\pm 2\%$  तक ऊर्जा प्रभार दर पर प्राप्य/देय है। 2% से अधिक के लिए उत्पादक, विनिर्दिष्ट दरों पर डीएसएम प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- आरओआर परियोजनाओं के लिए, ऊर्जा प्रभार दर पर  $\pm 2\%$  तक विचलन प्राप्य/देय है। 2% से अधिक होने पर अधिक अंतःक्षेपण के लिए कोई डीएसएम प्रभार नहीं है, परंतु विनिर्दिष्ट दर पर 2% से अधिक होने पर कम अंतःक्षेपण के लिए डीएसएम प्रभार लगाया जाएगा।
- एमएसडब्ल्यू परियोजनाओं के लिए,  $\pm 20\%$  टॉलरेंस बैंड की अनुमति है अर्थात् इस टॉलरेंस बैंड के भीतर कोई डीएसएम प्रभार नहीं है। 20% तक के अधिक अंतःक्षेपण के लिए उन्हें उनकी संविदा दर पर वापस भुगतान किया जाएगा। 20% से अधिक अंतःक्षेपण के लिए उन्हें सामान्य डीएसएम दर पर डीएसएम प्रभार का भुगतान करना होगा।
- पवन और सौर परियोजनाओं के लिए टॉलरेंस बैंड  $\pm 10\%$  प्रदान किया जाता है अर्थात् इस टॉलरेंस बैंड के भीतर कोई डीएसएम प्रभार नहीं है। 2014 डीएसएम विनियमों के अधीन टॉलरेंस बैंड  $+/- 15\%$  था। पूर्वानुमान में निरंतर सुधार के अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर इसे कड़ा किया गया है। आरई के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग के मामले में अधिक अनुशासन लागू करना होगा। 10% तक के अधिक अंतःक्षेपण के लिए उन्हें विनिर्दिष्ट दरों पर वापस भुगतान किया जाएगा। 10% से अधिक के कम अंतःक्षेपण के लिए उन्हें अपनी संविदा दरों पर वापस भुगतान करना होगा।

#### 4. क्रेताओं के लिए डीएसएम प्रभार

- कम आहरण के लिए, क्रेताओं को विनिर्दिष्ट दरों पर 20% या 40 मेगावाट तक, जो भी कम हो, (400 मेगावाट तक के शेड्यूल वाले छोटे क्रेताओं के लिए); अन्य क्रेताओं (गैर-आरई समृद्ध राज्यों) के लिए 15% या 200 मेगावाट तक जो भी कम हो; 15% या 300 मेगावाट जो भी कम हो (आरई समृद्ध राज्यों के लिए) वापस भुगतान किया जाएगा। अधिक आहरण के लिए उन्हें अधिक आहरण के विभिन्न मात्रा स्तरों के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर वापस भुगतान करना होगा।

#### 2. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के विनियम 33 के अधीन "सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के भुगतान की पद्धति" पर विस्तृत क्रियाविधि

आयोग ने दिनांक 15.03.2022 के आदेश द्वारा 1.4.2019 से 31.3.2024 की नियंत्रण अवधि के लिए विस्तृत क्रियाविधि को अनुमोदित किया। विस्तृत क्रियाविधि की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(क) इस क्रियाविधि का उद्देश्य एनएलडीसी और आरएलडीसी के पात्र प्रणाली प्रचालकों को सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के भुगतान के लिए समुचित भार प्रेषण केन्द्रों (एलडीसी) और प्रमाणन एजेंसी द्वारा पालन की जाने वाली भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों, पात्रता मानदंडों और पद्धतियों को निर्धारित करना है।

(ख) सर्टिफिकेट रिटेनरशिप प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की पात्रता क्रियाविधि द्वारा विस्तार में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 31 जनवरी 2022 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

इस विनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासित के साथ-साथ बाजार आधारित तंत्रों के माध्यम से खरीद के लिए, 50

हर्ट्ज के समीप ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं की तैनाती और भुगतान, और ग्रिड कोड में यथा विनिर्दिष्ट स्वीकार्य बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बहाल करने और विद्युत प्रणाली के सुचारु प्रचालन, और ग्रिड के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों को प्रदान करना है।

ये विनियम द्वितीयक रिज़र्व सहायक सेवाओं (एसआरएएस) और तृतीयक रिज़र्व सहायक सेवाओं (टीआरएएस) के अतिरिक्त, स्वीकार्य बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी बनाए रखने और ग्रिड के विश्वसनीय और स्थिर प्रचालन को सहयोग देने के लिए पारिषण संकुलन से राहत के लिए उपाय प्रदान करते हैं। ये विनियम, नोडल एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा एसआरएएस और टीआरएएस के आकलन की आवश्यकता को अधिदेशित करते हैं। इन विनियमों में एसआरएएस और टीआरएएस की बाजार आधारित खरीद पर भी विचार किया गया है।

#### 4. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 – निरसन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

#### विद्युत बाजार: व्यापार और पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

#### अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तियां

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जनवरी 2020 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया था। 31 मार्च 2022 तक, आयोग द्वारा विनियमित 43 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी थे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, इनमें से 29 अनुज्ञप्तिधारियों ने या तो अल्पकालिक या अल्प एवं दीर्घकालिक दोनों तरह का व्यापार किया है, जबकि 4 अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत का केवल दीर्घकालिक व्यापार किया है।

इन विनियमों के माध्यम से, आयोग ने विनिर्दिष्ट किया है कि अल्पकालिक संविदाओं और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से एक वर्ष तक की संविदाओं के अधीन संव्यवहारों के लिए, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी शून्य (0.0) पैसे/किलोवाट घंटा से लेकर सात (7.0) पैसा/किलोवाट घंटा से तक का व्यापार मार्जिन प्रभारित करेंगे। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल हैं। व्यापार मार्जिन को विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

आयोग ने विद्युत क्षेत्र के विकास के साथ तालमेल रखते हुए, विद्युत बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए फरवरी 2021 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इन विनियमों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक व्यापक बाजार संरचना के निर्माण में मदद करना और विद्युत बाजारों में सभी प्रकार के संभावित उत्पादों के संव्यवहार, निष्पादन और संविदाओं को सक्षम करना है। ये विनियम 15.08.2021 से प्रवृत्त हुए।

डे-अहेड आधार पर आरई विद्युत के व्यापार के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, आयोग ने दिनांक 17 अक्टूबर 2021 के अपने आदेश द्वारा पावर एक्सचेंजों में ग्रीन डे अहेड संविदा (जीडीएसी) के आरंभ को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से, आरई विद्युत के व्यापार को आरई और पारंपरिक विद्युत के लिए पृथक मूल्य निर्धारण के साथ डे-अहेड बाजार में पारंपरिक विद्युत के साथ एकीकृत किया गया है। बोली के आरई खंड के सहभागियों के पास अपनी अचयनित बोलियों को एकीकृत डीएएम (आईडीएएम) के पारंपरिक खंड में अंतरित करने का विकल्प है। आयोग के आदेश को दोनों पावर एक्सचेंजों द्वारा कार्यान्वित किया गया है और ग्रीन डे अहेड बाजार 27 अक्टूबर 2021 से आईईएक्स में और 20 दिसंबर 2021 से पीएक्सआईएल में प्रचालन में है।

## पावर एक्सचेंज

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत में दो पावर एक्सचेंज कार्यरत थे, अर्थात् मेसर्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड

(आईईएक्स), नई दिल्ली और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल), मुंबई। आईईएक्स और पीएक्सआईएल ने क्रमशः 27 जून, 2008 और 22 अक्टूबर, 2008 से अपना प्रचालन आरंभ किया था। दिनांक 12.05.2021 के आदेश द्वारा आयोग ने भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (एचपीएक्स) को पंजीकरण प्रदान किया।

## बाजार मॉनिटरिंग सेल

केविविआ का बाजार मॉनिटरिंग सेल (एमएमसी) 'विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट' प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट केविविआ की वेबसाइट पर अगस्त 2008 से नियमित रूप से पोस्ट की जा रही है और इसे अल्पकालिक संव्यवहारों पर सूचना के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से माना जाता है।

रिपोर्ट में 'विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार' व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार), पावर एक्सचेंजों और विचलन व्यवस्थापन तंत्र (पूर्व में अननुसूचित विनिमय) के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत को संदर्भित करता है। रिपोर्ट का केन्द्रः (i) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा और कीमत के बारे में सूचना प्रदान करना; (ii) बाजार के सहभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना; (iii) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव का विश्लेषण करना; (iv) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की मात्रा और कीमत के बारे में सूचना प्रदान करना; और (v) मासिक आधार पर हितधारकों को अन्य प्रासंगिक बाजार सूचना का प्रसार करना है।

मासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त, एमएमसी अल्पकालिक विद्युत संव्यवहारों पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों और विभिन्न प्रकार के सहभागियों द्वारा किए गए संव्यवहारों पर विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें पावर एक्सचेंजों पर निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं, पावर एक्सचेंजों पर व्यापारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव और सहायक सेवा प्रचालनों पर पर जोर दिया जाता है। अल्पकालिक संव्यवहारों में वर्ष-वार रुझान नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा (बिलियन यूनिट)

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत (आईईएक्स एवं पीएक्सआईएल)	डीएसएम की मात्रा	डिस्कॉम के बीच सीधे रूप से संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38
2017-18	38.94	47.70	24.21	16.77
2018-19	47.32	53.52	25.13	19.23
2019-20	29.95	56.45	22.59	28.17
2020-21	26.67	79.59	22.91	16.84
2021-22	39.47	101.45	25.27	20.56

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत की अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा

वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन* (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के % के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा
2009-10	65.90	768.43	9.6%
2010-11	81.56	852.35	9.6%
2011-12	94.51	927.75	10.2%
2012-13	98.94	969.29	10.2%
2013-14	104.64	1026.34	10.2%
2014-15	98.99	1110.07	8.9%
2015-16	115.23	1172.78	9.8%
2016-17	119.23	1241.70	9.6%
2017-18	127.62	1308.15	9.8%
2018-19	145.20	1375.86	10.6%
2019-20	137.16	1390.93	9.9%
2020-21	146.01	1380.06	10.6%
2021-22	186.75	1491.85	12.5%

\* सीईए द्वारा परिभाषा के अनुसार भारत में कुल उत्पादन सकल उत्पादन है

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत और डीएसएम की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)			
वर्ष	व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत (डीएएम+जीडीएएम+टीएएम+आरटीएम+जीटीएएम)	डीएसएम के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की औसत कीमत
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76
2017-18	3.59	3.45	2.03
2018-19	4.28	4.26	2.68
2019-20	4.51	3.24	2.85
2020-21	3.47	2.98	2.82
2021-22	3.72	4.69	3.75

### बोली मूल्यांकन और भुगतान के उद्देश्य से वृद्धि दरों और अन्य मापदंडों की अधिसूचना

विद्युत मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 19.01.2005 के "वितरण अनुज्ञापितधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु दिशानिर्देश" के अनुसार, आयोग को प्रत्येक छह मास में, बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन हेतु विभिन्न वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग ने दिनांक 23.04.2021 और 27.10.2021 की अधिसूचना द्वारा उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया है। दिनांक 23.04.2021 और 14.10.2021 की अधिसूचना द्वारा केविविआ ने पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को भी अधिसूचित किया।

दिनांक 03.11.2020 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 22.07.2020 के "कोयला आधारित थर्मल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के साथ पूरक ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश" पर विद्युत मंत्रालय के संकल्प के अनुसरण में, आयोग को बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से विभिन्न वृद्धि कारकों और अन्य

मापदंडों को अधिसूचित करना आवश्यक है। तदनुसार, दिनांक 31.05.2021 की अधिसूचना द्वारा, केविविआ ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन हेतु वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया।

आयोग ने दिनांक 18.10.2019 के अपने स्व-प्रेरणा आदेश के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र के लिए लागू समुचित कोयला कीमत सूचकांक के संकलन के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित किया। इस सूचकांक का उपयोग 01.10.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण अनुज्ञापितधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के भुगतान के लिए घरेलू कोयले की वृद्धि दर की गणना के लिए किया जा रहा है।

### थर्मल उत्पादन

अधिनियम की धारा 62 के अधीन केन्द्रीय आयोग, निजी क्षेत्र के आईपीपी के साथ-साथ एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी), एनएचपीसी लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी), दामोदर वैली कॉरपोरेशन





(डीवीसी) सीपीएसयू आदि से जुड़ी संयुक्त उद्यम कंपनियां जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों के अंतर राज्यिक उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ को विनियमित करता है।

### नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)

दिनांक 31.3.2022 को एनटीपीसी लिमिटेड के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 59167.23 मेगावाट है जिसमें कोयला आधारित में 48120 मेगावाट, प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017.23 मेगावाट और कोयला और गैस दोनों सहित एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों में 7030 मेगावाट शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, एनटीपीसी ने कुल 3280 मेगावाट की क्षमता जोड़ी।

दिनांक 31.03.2022 को, एनटीपीसी के कुल 44 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट और नॉन पिट हेड), 7 गैस आधारित थर्मल स्टेशन और 6 संयुक्त उद्यम हैं। दिनांक 31.3.2022 को संस्थापित क्षमता और एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुलग्नक-II में दी गई है:-

### दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)

31.3.2022 तक डीवीसी के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 6960 मेगावाट है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, डीवीसी ने कोई नई क्षमता नहीं जोड़ी। 2019-20 के दौरान, 130 मेगावाट वाले चंद्रपुरा टीपीएस को 1.4.2020 को बंद कर दिया गया था। दिनांक 31.3.2022 तक स्थापित क्षमता और डीवीसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुलग्नक-III में दी गई है।

### नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको)

दिनांक 31.3.2022 तक नीपको लिमिटेड के उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों की 527 मेगावाट है। प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुलग्नक-IV में दी गई है।

### नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसी)

दिनांक 31.3.2022 को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 4640 मेगावाट

है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) अनुलग्नक V में दी गई है।

### उत्पादन स्टेशनों का टैरिफ:

एनटीपीसी, डीवीसी, नीपको, ओटीपीसीएल, एनएलसीआईएल, एमपीएल और पीपीसीएल जैसे थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.03.2022 को ऊर्जा प्रभार अनुलग्नक VI के रूप में संलग्न हैं।

### हाइड्रो उत्पादन

आयोग ने, वर्ष 2021-22 के दौरान, सीपीएसयू के स्वामित्व वाले केन्द्रीय क्षेत्र के हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों अर्थात् एनएचपीसी, एनएचडीसी, एसजेवीएनएल, नीपको, एनटीपीसी, टीएचडीसी और डीवीसी, बीबीएमबी, राज्य के स्वामित्व वाला एक पावर स्टेशन अर्थात् टीयूएल और मैसर्स जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक आईपीपी स्टेशन जो उत्तरी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश में स्थित हैं, के लिए टैरिफ को विनियमित किया।

दिनांक 31.3.2022 को संस्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष अनुलग्नक VII में दिया गया है।

वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए केविविआ की परिधि में आने वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए समग्र टैरिफ जैसा कि नवीनतम अनुमोदित एएफसी के आधार पर उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अनुलग्नक VIII में प्रदान किया गया है।

### पारेषण टैरिफ

#### विनियम/ड्राफ्ट विनियम/स्टाफ पेपर

(1) ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में सामान्य नेटवर्क और संयोजकता) विनियम, 2021: आयोग ने दिनांक 16.12.2021 की अधिसूचना द्वारा, ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में सामान्य नेटवर्क और संयोजकता) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। ड्राफ्ट मसौदे में वृहत तौर पर तीन खंड शामिल हैं अर्थात् संयोजकता, सामान्य नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) और अस्थायी जीएनए (टी-जीएनए)। इसकी

मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

### संयोजकता:

- क) उत्पादक, स्टैंडअलोन ईएसएस, आरई विद्युत पार्क विकासकर्ता 50 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता के अध्यक्षीन आईएसटीएस से संयोजकता की मांग कर सकते हैं। उत्पादन स्टेशन अंतःराज्यिक और अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ सकते हैं।
- ख) केन्द्रीय पारेषण कंपनी, सीईए तकनीकी मानकों में यथा विनिर्दिष्ट प्रणाली अध्ययन करेगा और सैद्धांतिक रूप से 30 दिनों के भीतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की सूचना देगा, यदि इसे मौजूदा प्रणाली में समायोजित किया जा सकता है और 60 दिनों के भीतर, यदि संयोजकता प्रदान करने के लिए वृद्धि की आवश्यकता है।
- ग) आरईजीएस के मामले को छोड़कर संयोजकता अंतरणीय नहीं है, इस शर्त के अध्यक्षीन कि मूल कंपनी को प्रदान की गई संयोजकता का उपयोग उसकी सहायक कंपनी और इसके विपरीत द्वारा किया जा सकता है। आरईजीएस के मामले में, ऐसे भाग के सीओडी के बाद, संयोजकता को हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। संयोजकता अनुदानग्राही को केन्द्रीय पारेषण कंपनी को प्रत्येक भाग की संस्थापित क्षमता के बारे में सूचित करना होगा।
- घ) संयोजकता अनुदानग्राही, केन्द्रीय पारेषण कंपनी को 30 दिनों के नोटिस के साथ पूर्ण या आंशिक रूप से संयोजकता का त्याग कर सकता है। त्याग करने पर, उनकी बैंक गारंटी को संबंधित एटीएस और टर्मिनल बे (एस) की सीमा तक नकदीकरण किया जाएगा, जिसका निर्माण पहले ही दिया जा चुका है।

### सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए)

- क) प्रत्येक राज्य के पास आईएसटीएस के लिए एक सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) होगा। राज्यों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जीएनए की मांग की जा सकती है। जीएनए से परे कोई भी आहरण अतिरिक्त प्रभारों के साथ होगा और एक बार प्रदान किया गया जीएनए त्यागने तक वैध रहेगा।

- ख) सर्वप्रथम जीएनए का अवधारण प्रत्येक राज्य के लिए पिछले 3 वर्षों के आईएसटीएस आहरण डेटा के आधार पर किया गया है जिसमें 50% भारित वार्षिक अधिकतम निकासी और 50% औसत दैनिक अधिकतम निकासी है।
- ग) निम्नलिखित इकाइयाँ जीएनए के लिए या जीएनए की मात्रा में वृद्धि के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी:
- अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली और अन्य अंतर-राज्यिक इकाइयों से जुड़े वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू)।
  - अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी खरीददार इकाई
  - वितरण अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपभोक्ता, जो सीधे आईएसटीएस से जुड़ना चाहता है।
  - विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी
  - सहायक विद्युत के आहरण के लिए आईएसटीएस से जुड़े पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
  - आईएसटीएस से जुड़ी इकाइयाँ या जिनके लिए संयोजकता विनियमों के अधीन प्रदान की गई संयोजकता प्रभावी हो गई है।
- घ) एक बार प्रदान किए गए जीएनए का, अग्रिम रूप से त्याग प्रभारों के भुगतान पर, पूर्ण या आंशिक रूप से त्याग किया जा सकता है।

### अस्थायी जीएनए

- क) अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच (टी-जीएनए) पात्र क्रेता या क्रेता की ओर से किसी इकाई को ग्यारह मास तक की एक ब्लॉक की समयावधि के लिए प्रदान की गई आईएसटीएस में निर्बाध पहुंच है।
- ख) टी-जीएनए अनुदानग्राही को, जीएनए के लिए मात्रा आबंटित करने के बाद मौजूदा अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर अधिशेष क्षमता पर पहुंच प्रदान की जा सकती है।

ग) टी-जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन, दो श्रेणियों अर्थात् द्विपक्षीय और सामूहिक संव्यवहारों के अधीन किया जा सकता है। द्विपक्षीय संव्यवहार को टी-जीएनए के अनुदान के लिए अग्रिम आवेदन और आवश्यक आवेदन में उप-वर्गीकृत किया गया है।

**(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के विनियम 33 के अधीन "सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के संदाय की पद्धति" पर विस्तृत प्रक्रिया:**

आयोग ने दिनांक 15.03.2022 के आदेश द्वारा 1.4.2019 से 31.03.2024 की नियंत्रण अवधि के लिए विस्तृत प्रक्रिया को मंजूरी दी। विस्तृत प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क) इस प्रक्रिया का उद्देश्य एनएलडीसी और आरएलडीसीएस के पात्र प्रणाली प्रचालकों को सर्टिफिकेट रिटेनर-शिप के संदाय के लिए समुचित भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) और प्रमाणन एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों, पात्रता मानदंड और कार्यप्रणाली को निर्धारित करना है।

ख) सर्टिफिकेट रिटेनरशिप प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की पात्रता, प्रक्रिया के माध्यम से विस्तार से विनिर्दिष्ट की गई है।

**अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच का अनुदान**

निर्बाध पहुंच, विद्युत अधिनियम, 2003 की आधारशिलाओं में से एक है। आयोग को अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणालियों के लिए निर्बाध पहुंच की सुविधा के लिए कार्य सौंपे गए हैं। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 जारी किए हैं, जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक पहुंच को सुगम बनाते हैं।

**आईएसटीएस पारेषण प्रभारों और हानियों की शेरिंग**

अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित धारा 178 की धारा 2, विद्युत की अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली को विनियमित करने और विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ को अवधारित करती है। आयोग ने धारा 178 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेरिंग) विनियमों को अधिसूचित किया था।

आयोग ने 2021-22 में शेरिंग विनियम, 2010 के लिए कई आदेश पारित किए हैं अर्थात् याचिका संख्या 627/एमपी/2020 में दिनांक 24.01.2022 का आदेश, आईए संख्या 87/आईए/2021 के साथ याचिका संख्या 148/एमपी/2021 में दिनांक 23.12.2021 का आदेश, याचिका संख्या 533/एमपी/2020 और 538/एमपी/2020 में दिनांक 22.12.2021 का आदेश, याचिका संख्या 200/एमपी/2019 में दिनांक 26.11.2021 का आदेश, याचिका संख्या 616/एमपी/2020 में दिनांक 08.11.2021 का आदेश, याचिका संख्या 533/एमपी/2020 में दिनांक 07.11.2021 का आदेश, याचिका संख्या 128/एमपी/2021 में दिनांक 27.10.2021 का आदेश, याचिका संख्या 162/एमपी/2020 में दिनांक 07.08.2021 का आदेश, याचिका संख्या 211/एमपी/2011 में आदेश दिनांक 20.06.2021।

**पारेषण अनुज्ञप्ति:**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में उपबंध है कि समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को – (क) ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या (ख) विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या (ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

आयोग ने 2021-22 के दौरान अधिनियम की धारा 63 के अधीन "पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली" और "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देश" के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए याचिका संख्या 280/टीएल/2021 में दिनांक



28.03.2022 के आदेश द्वारा कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका संख्या 257/टीएल/2021 में दिनांक 22.03.2022 के आदेश द्वारा पावरग्रिड कला एएमबी ट्रांसमिशन लिमिटेड और 89/टीएल/2021 में दिनांक 31.05.2021 के आदेश द्वारा पावरग्रिड रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति का अनुदान किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान केविविआ द्वारा अधिसूचित विनियम/विस्तृत प्रक्रिया

- I. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के विनियम 33 के अधीन "सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के संदाय की पद्धति" पर विस्तृत प्रक्रिया।
- II. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022
- III. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022
- IV. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 - निरसन

#### वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

- I. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता प्रदान करना और सामान्य नेटवर्क पहुंच और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2021
- II. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2021
- III. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022
- IV. ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश।
- V. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022।

VI. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022

#### नवीकरणीय ऊर्जा

##### वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरई टैरिफ आदेश

आयोग ने याचिका संख्या 2/एसएम/2021 में अपने आदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020 के विनियम 8 के अधीन निम्नलिखित आरई प्रौद्योगिकियों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्तरीकृत सामान्य टैरिफ अवधारित किया है:

- क. लघु हाइड्रो परियोजनाएं
- ख. रैंकिन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास विद्युत परियोजनाएं
- ग. गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजना
- घ. बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजनाएं
- ड. बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

पिछले आदेश (वित्त वर्ष 2020-21) की तुलना में इस आदेश (वित्त वर्ष 2021-22) में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

##### परियोजनाओं का उपयोगी जीवन

प्रौद्योगिकियाँ	आरई टैरिफ वित्त वर्ष 2020-21	आरई टैरिफ वित्त वर्ष 2021-22
लघु हाइड्रो परियोजना	40 वर्ष	40 वर्ष
रैंकिन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास विद्युत परियोजना	25 वर्ष	25 वर्ष
गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजना	25 वर्ष	25 वर्ष
बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना	25 वर्ष	25 वर्ष
बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना	25 वर्ष	25 वर्ष

### वित्तीय सिद्धांत

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य टैरिफ आदेश	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य टैरिफ आदेश
ऋण इक्विटी अनुपात	70:30	70:30
ऋण अवधि	15 वर्ष	15 वर्ष
ब्याज दर	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) और 200 बेसिस प्वाइंट्स</li> <li>9.67%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) और 200 बेसिस प्वाइंट्स</li> <li>9%</li> </ul>
मूल्यह्रास	प्रथम 15 वर्षों के लिए 4.67% और शेष मूल्यह्रास परियोजना के शेष उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाएगा	पहले 15 वर्षों के लिए 4.67% और शेष मूल्यह्रास परियोजना के शेष उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाएगा
इक्विटी पर लाभ	टैरिफ अवधि के प्रथम 20 वर्षों के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर और शेष टैरिफ अवधि के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित कॉर्पोरेट कर दर से 14% सकल।	टैरिफ अवधि के प्रथम 20 वर्षों के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर और शेष टैरिफ अवधि के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित कॉर्पोरेट कर दर से 14% सकल।
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) जमा 350 बेसिस प्वाइंट्स</li> <li>11.17%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) जमा 350 बेसिस प्वाइंट्स</li> <li>10.50%</li> </ul>

कार्यशील पूंजी आवश्यकता	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईंधन लागत</li> <li>ओ एंड एम व्यय</li> <li>प्राप्य</li> <li>रखरखाव स्पेयर्स</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 मास</li> <li>1 मास</li> <li>45 दिन</li> <li>ओ एंड एम व्यय का 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 मास</li> <li>1 मास</li> <li>45 दिन</li> <li>ओ एंड एम व्यय का 15%</li> </ul>
ओ एंड एम वृद्धि दर	टैरिफ अवधि से अधिक 3.84% प्रति वर्ष	टैरिफ अवधि से अधिक 3.84% प्रति वर्ष	
कॉर्पोरेट कर दर	34.94%	34.94%	
एमएटी दर	17.47%	17.47%	

### प्रौद्योगिकी विनिर्दिष्ट पैरामीटर

#### लघु हाइड्रो परियोजनाएं

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
पूंजीगत लागत (रु. लाख/मेगावाट)	<ul style="list-style-type: none"> <li>रु. 1100 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 1100 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 780 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 900 लाख/मेगावाट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रु. 1100 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 1100 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 780 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 900 लाख/मेगावाट</li> </ul>
एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल और एनई राज्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 मेगावाट से नीचे</li> <li>5 मेगावाट से 25 मेगावाट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 मेगावाट से नीचे</li> <li>5 मेगावाट से 25 मेगावाट</li> </ul>
अन्य राज्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 मेगावाट से नीचे</li> <li>5 मेगावाट से 25 मेगावाट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 मेगावाट से नीचे</li> <li>5 मेगावाट से 25 मेगावाट</li> </ul>
सीयूएफ	<ul style="list-style-type: none"> <li>45%</li> <li>30%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45%</li> <li>30%</li> </ul>
एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल और एनई राज्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>45%</li> <li>30%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45%</li> <li>30%</li> </ul>
अन्य राज्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>45%</li> <li>30%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45%</li> <li>30%</li> </ul>

<p><b>ओ एंड एम (रु. लाख/मेगावाट)</b> एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल और एनई राज्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 मेगावाट से नीचे</li> <li>5 मेगावाट से 25 मेगावाट अन्य राज्य</li> <li>5 मेगावाट से नीचे</li> <li>5 मेगावाट से 25 मेगावाट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रु. 41.78 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 31.34 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 33.66 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 24.37 लाख/मेगावाट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रु. 43.38 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 32.54 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 34.95 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 25.31 लाख/मेगावाट</li> </ul>
<b>सहायक खपत</b>	1%	1%

**बायोमास आधारित रैकिन चक्र परियोजनाएं**

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
<p>पूँजीगत लागत –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूसीसी के साथ परियोजना [चावल के भूसे और जूलीपलोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के अतिरिक्त]</li> <li>एसीसी के साथ परियोजना [चावल के भूसे और जूलीपलोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के अतिरिक्त]</li> <li>डब्ल्यूसीसी के साथ चावल के भूसे और जूलीपलोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के लिए</li> <li>एसीसी के साथ चावल के भूसे और जूलीपलोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के लिए</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रु. 559 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 600 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 611 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 652 लाख/मेगावाट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रु. 559 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 600 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 611 लाख/मेगावाट</li> <li>रु. 652 लाख/मेगावाट</li> </ul>

<p><b>सहायक खपत –</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूसीसी के लिए (प्रथम वर्ष के दौरान)</li> <li>डब्ल्यूसीसी के लिए (द्वितीय वर्ष से आगे)</li> <li>एसीसी के लिए (प्रथम वर्ष के दौरान)</li> <li>एसीसी के लिए (द्वितीय वर्ष से आगे)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूसीसी के लिए -10%</li> <li>एसीसी के लिए -12%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूसीसी के लिए -10%</li> <li>एसीसी के लिए -12%</li> </ul>
<p><b>पीएलएफ</b> स्थिरीकरण के दौरान</p>	80%	80%
<p>स्थिरीकरण के बाद प्रथम वर्ष के दौरान - 70%</p> <p>द्वितीय वर्ष से आगे-80%</p>		
<p><b>स्टेशन हीट दर (किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर्स</li> <li>एएफबीसी बॉयलर्स</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4200 किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा</li> <li>4125 किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4200 किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा</li> <li>4125 किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा</li> </ul>
सकल कैलोरिफिक मान	<ul style="list-style-type: none"> <li>3100 किलोकैलोरी/ किलोग्राम</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3100 किलोकैलोरी/ किलोग्राम</li> </ul>
<b>ओ एंड एम</b>	रु. 46.42 लाख प्रति मेगावाट	रु. 48.20 लाख प्रति मेगावाट
<b>ईंधन लागत वृद्धि</b>	5%	5%

**गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएं**

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
पूँजीगत लागत	रु. 492 लाख/ मेगावाट	रु. 492 लाख/ मेगावाट
सहायक खपत	8.5%	8.5%
पीएलएफ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्य राज्य</li> <li>टीएन और महाराष्ट्र</li> <li>यूपी एवं एपी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>53%</li> <li>60%</li> <li>45%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>53%</li> <li>60%</li> <li>45%</li> </ul>
स्टेशन हीट दर (किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा)	3600 किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा	3600 किलोकैलोरी/ किलोवाट घंटा



सकल कैलोरिफिक मान	2250 किलोकैलोरी / किलोग्राम	2250 किलोकैलोरी / किलोग्राम
ओ एंड एम	रु. 24.52 लाख प्रति मेगावाट	रु. 25.46 लाख प्रति मेगावाट

### बायोमास गैसीफायर पावर प्लांट

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
<b>पूँजीगत लागत</b> • सब्सिडी के बिना • सब्सिडी के साथ	• रु. 593 लाख /मेगावाट • रु. 443 लाख /मेगावाट	• रु. 593 लाख /मेगावाट • रु. 443 लाख /मेगावाट
सहायक खपत	10%	10%
पीएलएफ	85%	85%
विनिर्दिष्ट ईंधन खपत	सबस्ट्रेट मिक्स का 1.25 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा	सबस्ट्रेट मिक्स का 1.25 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा
ओ एंड एम	रु. 61.31 लाख प्रति मेगावाट	रु. 63.36 लाख प्रति मेगावाट

### बायोगैस पावर संयंत्र

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
<b>पूँजीगत लागत</b> • सब्सिडी के बिना • सब्सिडी के साथ	• रु. 1186 लाख /मेगावाट • रु. 886 लाख /मेगावाट	• रु. 1186 लाख /मेगावाट • रु. 886 लाख /मेगावाट
सहायक खपत	12%	12%
पीएलएफ	90%	90%

विनिर्दिष्ट ईंधन खपत	सबस्ट्रेट मिक्स का 3 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा	सबस्ट्रेट मिक्स का 3 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा
ओ एंड एम	रु. 61.31 लाख प्रति मेगावाट	रु. 63.66 लाख प्रति मेगावाट
ईंधन लागत	रु. 1422 /एमटी	रु. 1493.10 /एमटी
ईंधन कीमत वृद्धि दर	5%	5%

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयोग द्वारा अवधारित जेनरिक टैरिफ का विवरण अनुबंध-IX-क में दिया गया है।

### वर्ष 2021-22 के दौरान अन्य गतिविधियाँ

#### राजभाषा का कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन

वर्ष 2021-22 के दौरान, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियाँ कीं। केविविआ में प्रभागीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के अतिरिक्त जो प्रत्येक तिमाही में कार्यालय में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा और चर्चा करती है। माननीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समिति में माननीय अध्यक्ष, केविविआ को सरकारी सदस्य बनाया गया है। इस समिति के कार्य कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित होंगे और इसमें भारत सरकार द्वारा बनाई गई राजभाषा नीति के ढांचे के अधीन कवर किए गए मुद्दों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना भी शामिल होगा।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के प्रति सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 1 सितम्बर से 14 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन तथा हिन्दी अनुवाद का ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

#### हिंदी गृह पत्रिका सौदामिनी

आयोग प्रत्येक तिमाही में हिंदी में "सौदामिनी" नामक गृह पत्रिका प्रकाशित करता है। यह पत्रिका इस अवधि के दौरान

आयोग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट करती है। इसके अतिरिक्त, आयोग में 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियां (अर्थात् निबंध, लेख, कविता आदि) भी विजेताओं के फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं। आयोग ने राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में सौदामिनी के त्रैमासिक अंक के स्थान पर वार्षिक अंक प्रकाशित करने का निर्णय लिया। पत्रिका के वर्ष 2021-22 के वार्षिक अंक के प्रकाशन की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

### स्वच्छ भारत अभियान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान "स्वच्छ भारत अभियान" के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोग के सभी कर्मचारियों को कार्य परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने परिसर को साफ-सुथरा रखने में अत्यधिक रुचि दिखाई है। केविविआ परिसर में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया जिसका उद्देश्य अभिलेखों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना, कार्यस्थल का वातावरण बनाए रखना आदि था।

### लेखापरीक्षा पैरा

रिपोर्ट के आधीन वर्ष के दौरान, भारत के सीएजी की रिपोर्ट में केविविआ से संबंधित कोई पैरा शामिल नहीं किया गया था।

### सतर्कता मामले

केविविआ में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला विचाराधीन या लंबित नहीं था।

### वार्षिक दिवस

केविविआ ने 24 जुलाई, 2021 को अपना 22वां वार्षिक दिवस मनाया। महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, यह दिवस ऑनलाइन मनाया गया जिसमें केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहभागिता की। माननीय अध्यक्ष ने केविविआ के अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित किया। केविविआ के कर्मचारी विनियमन के क्षेत्र में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित मूल्यवान विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हुए।

### ई-कोर्ट

सूचना पाने के लिए दक्ष, मितव्ययी और प्रभावी साधन के साथ प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने अपनी ई-कोर्ट परियोजना अर्थात् सौदामिनी (डिजिटल पहुंच का उपयोग करते हुए न्याय निर्णयन और नेटवर्क एकीकरण के माध्यम से सूचना का प्रबंधन) का प्रमोचन किया जिसे पूर्व में सीसीएमएस (कोर्ट केस मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) के नाम से जाना जाता था। वेब आधारित ई-फाइलिंग और ई-प्लीडिंग मॉड्यूल अप्रैल 2016 से सफलतापूर्वक चल रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी याचिकाएं/उत्तर/प्रत्युत्तर/अन्य दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और अपनी याचिकाओं की स्थिति को ट्रैक कर/ देख सकते हैं। यह केविविआ की कानूनी प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करता है और प्रक्रिया ऑटोमेशन को बढ़ाने के संगठन के जारी प्रयासों का एक हिस्सा है। सौदामिनी केस प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मॉड्यूल में डैशबोर्ड, कॉज लिस्ट जेनरेशन, रिपोर्ट जेनरेशन, एडवांस सर्च, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी विशेषताएं भी कार्यशील हैं और इसका उपयोग केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सौदामिनी परियोजना का ई-हियरिंग मॉड्यूल भी जो आयोग को याचिकाओं की सॉफ्टकॉपी के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जून 2017 से कार्यशील है।

संगठन की प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और पहल के रूप में और सौदामिनी परियोजना के हितधारकों के ई-विनियमन मॉड्यूल जो केविविआ ड्राफ्ट विनियमों/स्टाफ पेपर आदि पर आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों को ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाता है, भी 24 जुलाई 2019 से कार्यात्मक हुआ।

सौदामिनी ई-मॉनिटरिंग (व्यापार अनुज्ञप्तिधारी) मॉड्यूल का प्रमोचन, 24 जुलाई, 2020 को किया गया जो एनएलडीसी, व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों को इसके माध्यम से अपनी विनियामक अनुपालन सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

केविविआ की ई-कोर्ट प्रणाली से आयोग को एकीकृत, लचीला परंतु गतिशील डेटाबेस विकसित करने में सक्षम होना अपेक्षित है, जिससे आयोग को विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके निर्णय लेने की सुविधा मिलना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, अपने डिजिटल बैकएंड को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए केविविआ ने एआईआधारित खोज, स्वचालित डेटा निष्कर्षण, दस्तावेज निर्माण और डेटा विजुअलाइजेशन टूल से युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विनियामक विशेषज्ञ प्रणाली उपकरण (आरईएसटी) विकसित किया है।

### एफओआरए एफओआईआरए साफिर

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की दिनांक 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा विनियामकों के फोरम (एफओआर) का गठन किया गया है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के अध्यक्ष और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष, फोरम के अध्यक्ष हैं। अन्य उद्देश्यों में, एफओआर का प्राथमिक उद्देश्य केविविआ, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा विद्युत क्षेत्र में तैयार किए गए विनियमों का सामंजस्य है। एफओआर अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत जांच के बाद विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें भी प्रदान करता है। केविविआ, एफओआर को सचिवालय सेवा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विनियामक फोरम की छह बैठकें हुईं जिनमें विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और सिफारिशें की गईं।

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 09 अप्रैल, 2021 को आयोजित विनियामक फोरम की 74वीं बैठक
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 अप्रैल, 2021 को आयोजित विनियामक फोरम की 75वीं बैठक
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 मई और 11 मई, 2021 को आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

- 01 अक्टूबर, 2021 को केविविआ, नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 76वीं बैठक
- 17 दिसंबर, 2021 को लखनऊ और एमएस टीमों पर आयोजित विनियामक फोरम की 77वीं बैठक
- 03 से 05 मार्च, 2022 को कोलकाता और सुंदरबन में आयोजित विनियामक फोरम की 78वीं बैठक

वर्ष के दौरान, एफओआर ने "वितरण आस्तियों के लिए मूल्यहास के विकसित सिद्धांतों और वितरण के लिए प्रचालन और वित्तीय मानदंडों" पर अध्ययन भी पूरा किया।

एफओआर ने विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर अपने सदस्यों के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम (वर्चुअल मोड के माध्यम से) भी आयोजित किए:

- 20 और 21 जनवरी, 2022 के दौरान आयोजित सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए "उपभोक्ता हितों का संरक्षण" पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 17 और 18 फरवरी, 2022 के दौरान आयोजित एसईआरसी/जेईआरसी के अधिकारियों के लिए "विद्युत क्षेत्र में विनियामक ढांचा" पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 9 और 11 मार्च, 2022 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित ईआरसी के अधिकारियों के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम

केविविआ, भारतीय विनियामकों के फोरम (एफओआईआर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है। एफओआईआर की परिकल्पना भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई है। एफओआईआर में न केवल अध्यक्ष बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्य और अन्य विनियामक प्राधिकरण जैसे विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण



(टीआरएआई) इत्यादि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, एफओआईआर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और एफओआईआर की अन्य गतिविधियों के लिए रिटेनरशिप आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को संलग्न किया और इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। इस साझेदारी के अधीन, अधिकारियों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, केन्द्रीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए एक संगोष्ठी और सभी सदस्यों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष एफओआईआर के अध्यक्ष हैं।

केविविआ, इंफ्रास्ट्रक्चर विनियमन के लिए साउथ एशिया फोरम (साफिर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है। साफिर, 1999 में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विनियामकों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित) के एक नेटवर्क के रूप में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है और इस क्षेत्र में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और व्यक्तियों से जुड़ा है। इसमें सदस्यों की चार श्रेणियां हैं, अर्थात् शैक्षणिक संस्थानएं उपभोक्ता निकाय/एनजीओए निगमित/यूटिलिटी और विनियामक निकाय। इसका उद्देश्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित एक डाटाबैंक प्रदान करना, ज्ञान और

विशेषज्ञता का लाभकारी आदान-प्रदान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के तेजी से कार्यान्वयन की प्रवृत्ति निर्धारित करना है।

वर्तमान में, भूटान विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष साफिर के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2021-22 में, साफिर ने वर्चुअल मोड के माध्यम से "नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि और एकीकरण की सुविधा के लिए पावर बाजार" पर सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन, फरवरी 2022 के दौरान एसएआरआई/ईआई कार्यक्रम के अधीन आयोजित किया गया था। 27वीं संचालन समिति की बैठक (एससीएम) और 21वीं कार्यकारी समिति की बैठक (ईसीएम) 19 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी जबकि 22वीं कार्यकारी समिति की बैठक (ईसीएम) 18 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

#### संगोष्ठी / सम्मेलन / प्रशिक्षण / एक्सचेंज कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए संगोष्ठी / सम्मेलनों / प्रशिक्षण / संयंत्र के दौरे / एक्सचेंज कार्यक्रमों के विवरण अनुबंध- X और अनुबंध- XI में दिए गए हैं।





## 7.

उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष



## 7. उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

### उपभोक्ताओं को लाभ

सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ रहते हुए, उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता सहित नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केविविआ द्वारा की गई पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:

- I. ग्रिड अनुशासन की दिशा में सुरक्षित ग्रिड प्रचालन के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप बेहतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी और परिणामी ग्रिड प्रचालन हुआ। इससे उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।
- II. बाजार मॉनिटरिंग अल्पकालिक बाजार कीमतें स्थिर रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 39.74 बीयू की वृद्धि के साथ अल्पकालिक संव्यवहारों ने 186.75 बीयू के चिह्न को छू लिया। पावर एक्सचेंजों पर प्रति यूनिट औसत डे अहेड कीमत 4.69 रुपये पर स्थिर हो गई।

### क्षेत्र का विकास

इस क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा की गई पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं।

- I. ग्रिड अनुशासन
  - (क) केविविआ (विचलन व्यवस्थापन और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास।
  - (ख) पहलें यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि प्रादेशिक इकाइयाँ अपने शेड्यूल का पालन करें और शेड्यूल से विचलन के विरुद्ध हैं।
- II. बाजार का विकास
 

केविविआ (सहायक सेवा) विनियम, 2022 के अधीन एसआरएस और टीआरएस के आरंभ के माध्यम से आयोग, ग्रिड सुरक्षाए भार संभालने और आरई उत्पादन में भिन्नता के लिए पूरक बाजार तंत्र को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।



8.  
वर्ष 2021–22 के दौरान  
जारी की गई अधिसूचनाएं



## 8. वर्ष 2021-22 के दौरान जारी अधिसूचनाएं

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	राजपत्र तारीख	विनियम
1	एल.1/42/2010-केविविआ (राजपत्र सं. 152)	12.04.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय का विनियमन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 – 26.10.2021 को निरसित
2	एल-1/257/2020/ केविविआ (राजपत्र सं. 241)	16.06.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) विनियम, 2021
3	एल-1/236/2018/ केविविआ (राजपत्र सं. 394)	13.09.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021
	एल-1/42/2010- केविविआ (राजपत्र सं. 530)	01.11.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय का विनियमन) विनियम, 2010 – निरसन
4	आरए-14026(11)/3/2019- केविविआ (राजपत्र सं. 85)	12.02.2022	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022
5	एल -1/153/2019/ केविविआ	15.03.2022	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के विनियम 33 के अधीन "सर्टिफिकेट रिटेनरशिप के संदाय की पद्धति" के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि
6	एल -1/260/2021/ केविविआ (राजपत्र सं. 147)	22.03.2022	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022
7	एल -1/02/2022- केविविआ (राजपत्र सं. 149)	24.03.2022	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2022





9.  
वर्ष 2022–23 के लिए  
कार्यसूची



## 9. वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

- I. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता प्रदान करना और और सामान्य नेटवर्क पहुंच और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2021
- II. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2021
- III. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022
- IV. ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश"।
- V. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022।
- VI. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022



# 10. लेखों का वार्षिक विवरण



## 10 लेखा का वार्षिक विवरण

- वर्ष 2021-22 के दौरान, रु. 40.00 करोड़ की अव्ययित राशि पिछले वर्ष से आगे लाई गई थी और रु. 67.00 करोड़ विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत का लोक लेखा के अधीन बनाए रखा गया) से रिलीज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ब्याज सहित

फीस/अन्य प्राप्तियों से रु. 165.00 करोड़ (पिछले वर्ष में रु. 146.00 करोड़) की राशि प्राप्त हुई जिससे वर्ष 2021-22 के लिए कुल उपलब्ध निधि रु. 272.00 करोड़ हुई। वर्ष के दौरान, रु. 268.00 करोड़ (पिछले वर्ष में रु. 115.33 करोड़) की राशि का उपयोग किया गया जिससे रु. 4.00 करोड़ की अव्ययित राशि को वर्ष 2022-23 के लिए आगे ले जाया गया।





# 11. आयोग का मानव संसाधन



### 11. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और

कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-XIII में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

31.03.2022 को कार्यशील कार्यबल				
क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	प्रमुख	4	2	2
3	संयुक्त प्रमुख	9	7	2
4	उप प्रमुख	21	9	12
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
7	सहायक सचिव	2	2	0
8	सहायक प्रमुख	28	17	11
9	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1
10	प्रधान निजी सचिव	4	1	3
11	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	0
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0
13	निजी सचिव	5	4	1
14	सहायक	16	8	8
15	वैयक्तिक सहायक	2	1	1
16	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
17	आशुलिपिक	1	0	1
18	हिंदी टंकक	1	0	1
19	आरसीटीओ	1	1	0
20	ड्राईवर	4	4	0
21	वरिष्ठ चपरासी	2	2	0
22	एमटीएस	2	2	0
<b>कुल</b>		<b>111</b>	<b>67</b>	<b>44</b>

केविआ में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी		
क्रम सं.	पद (पदों) का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1	सचिव	1
2	प्रमुख	1
3	संयुक्त प्रमुख	1
4	उप प्रमुख	4
5	सहायक प्रमुख	3
6	सहायक	1
<b>कुल</b>		<b>11</b>



## 12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



## 12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक लोक प्राधिकरण है। अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, केविविआ में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी है। इसमें आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के साथ-साथ आवेदकों से सीधे भौतिक आवेदन भी प्राप्त होते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों

से अंतरण होने पर भी आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं। केविविआ में आरटीआई आवेदनों की जांच संबंधित प्रभागों के परामर्श से की जाती है और आवेदकों को आवश्यक सूचना प्रस्तुत की जाती है। केविविआ से संबंधित न होने वाले आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित जन प्राधिकरणों को अंतरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) के दौरान, 229 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और 226 का निस्तारण हुआ। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान 32 प्रथम अपील प्राप्त हुईं और 31 का निस्तारण हुआ।





# 13. अनुबंध



केविविआ की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	याचिका सं.	विषय	निपटाई गई याचिका	याचिका के प्रकार
1	212/एमपी/2019	सेमबकार्प एनर्जी इण्डिया लि. को विधिक रूप से संदेय ईंधन प्रभारों से प्रतिवादियों द्वारा यादृच्छिक रूप से और गलती से रखी गई रकम की रिलीज के लिए सेमबकार्प एनर्जी इण्डिया लि. तथा डिस्कॉक के बीच निष्पादित 18.02.2016 के विद्युत क्रय करार के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31/03/2022	विविध याचिका
2	71/आरसी/2022	इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज लि. के बोर्ड पर नियुक्ति के लिए स्वतंत्र निदेशक के अनुमोदन के लिए आवेदन	31/03/2022	विनियामक अनुपालन
3	107/टीटी/2017 में 32/आरपी/2020	याचिका संख्या 107/टीटी/2017 में 17.08.2020 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका।	31/03/2022	पुनरीक्षण याचिका
4	3/एसएम/2022	सुरक्षा नियंत्रित आर्थिक प्रेषण पर कार्यान्वयन पायलट का विस्तार	31/03/2022	स्वप्रेरणा याचिका
5	293/जीटी/2019	ट्रूंगअप कार्य के बाद 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. शिलांग के दोगांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर संयंत्र (75 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका। उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.	31/03/2022	पारेषण टैरिफ
6	250/एमपी/2021	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि., उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि., हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लि. और उससे संबद्ध पीटीसी इण्डिया लि. के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन कार्यवाहियों को आरंभ करना और याचिका सं. 405/एमपी/2019 में पारित 22.03.2021 के आदेश के निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31/03/2022	विविध याचिका



7	219/टीटी/2020	(क) याचिका संख्या 418/टीटी/2014 में 31.5.2016 के आदेश और (ख) याचिका संख्या 101/टीटी/2018 में दिनांक 10.12.2018 के आदेश में कवर किए गए कृष्णा पटनम यूएमपीपी पार्ट-बी से संबंधित पारेषण प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए पारेषण आस्तियों के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूटिंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29/03/2022	पारेषण टैरिफ
8	655/टीटी/2020	आस्ति-I: आगरा उपकेन्द्र में स्पेयर आईसीटी के रूप में 1X500एमवीए, 765/400 केवी ट्रांसफार्मर आस्ति II: फतेहपुर उपकेन्द्र में स्पेयर आईसीटी के रूप में 1X500 एमवीए, 765/400 केवी ट्रांसफार्मर और आस्ति III: उत्तरी क्षेत्र में 'उत्तरी क्षेत्र के लिए स्पेयर 765/400 केवी ट्रांसफार्मर' के अंतर्गत झटीकरा उपकेन्द्र में स्पेयर आईसीटी के रूप में 765/400 केवी, 500 एमवीए सिंगल फेस के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूटिंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन। पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि.	29/03/2022	पारेषण टैरिफ
9	395/जीटी/2020	कोरबा एसटीपीएस स्टेज 3 (500 मेगावाट) के संबंध में 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के टूटिंगअप की याचिका।	21/03/2022	उत्पादन टैरिफ
10	262/टीडी/2021	अंतरराज्यिक ट्रेडिंग आइडियल एनर्जी सोल्यूशन प्रा. लि. के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	22/03/2022	व्यापार
11	372/जीटी/2019	टूटिंगअप कार्य के बाद 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए कोपली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 2 (25 मेगावाट) के टैरिफ के टूटिंगअप के लिए याचिका।	25/03/2022	पारेषण टैरिफ
12	136/एमपी/2019	राष्ट्रीय सौर मिशन फेस 2 बैच 2 ट्रेचे 1 के अंतर्गत पावगडा सौर पार्क में 100 मेगावाट (50 मेगावाट स्टार 2) वाले एसीएमई कुरुक्षेत्र सोलर एनर्जी प्रा. लि. और एसीएमई रिवाड़ी सोलर पावर प्रा. लि. के सौर उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की निकासी में किसी प्रतिबंधों के स्थापना न करने के लिए कर्नाटक सोलर पावर विकास कार्पोरेशन लि. को निर्देशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(सी) धारा 79 1 के अंतर्गत याचिका।	25/03/2022	विविध याचिका

13	284 / टीडी / 2021	विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 के विनियम 6(1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के अंतर्गत आवेदन।	25 / 03 / 2022	व्यापार
14	121 / टीटी / 2020	उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच विंध्याचल में बेक टू बेक (2X50) एचवीडीसी सहित 400 केवी एससी सिंगरौली विंध्याचल पारेषण लाइन सहित के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	26 / 03 / 2022	पारेषण टैरिफ
15	280 / टीएल / 2021	कोपल नरेन्द्र ट्रांसमिशन को पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत आवेदन।	28 / 03 / 2022	पारेषण टैरिफ



16	476/टीटी/2020	<p>आस्ति 1: (1) दोनों छोरों में संबद्ध बेज सहित पारेषण लाइन 400 केवी डी/सी अजमेर (न्यू)-अजमेर (आरवीपीएन) (2) अजमेर (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (3) अजमेर (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765/400 केवी, 3X500एमवीए आईसीटी-1 (4) दोनों छोरों में संबद्ध बेज सहित पारेषण लाइन 400 केवी डी/सी चितौडगढ़ (न्यू) चितौडगढ़ (आरवीपीएन) (5) चितौडगढ़ (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 केवी, 240 एमवीएआर बस रिएक्टर (6) चितौडगढ़ (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (7) चितौडगढ़ (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765/400 केवी 3X500 एमवीए आईसीटी-1 (8) चितौडगढ़ (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765/400 केवी 3X500 एमवीए आईसीटी-2 की समन्वित आस्तियों के, आस्ति 2: (1) अजमेर (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 केवीए 240 एमवीएआर बस रिएक्टर; (2) अजमेर (न्यू) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765/400 केवीए 3X500 एमवीएआर आईसीटी-2 की समन्वित आस्तियों के; आस्ति 3: 400/230 केवी तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित और 2X125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर के साथ न्यू 400/230 केवी (जीआईएस) तिरुनेवेली पूलिंग उपकेन्द्र के साथ 2X400 केवी डी/सी (क्वेद) तिरुनेवेली पूलिंग स्टेशन - तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन और आस्ति 4: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अधीन कवर किए गए न्यू 400/230 केवी (जीआईएस) तिरुनेवेली पूलिंग उपकेन्द्र में उपकरण और संबद्ध बेज सहित 2X500 एमवीएआर 400/230 केवी ट्रांसफार्मररू अंतरराज्यिक पारेषण योजना (आईएसटीएस)- भाग क, के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	28/03/2022	पारेषण टैरिफ
17	551/एमपी/2020	<p>संबद्ध पूलिंग उपकेन्द्र और समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण के लिए करार और अटेंडेंट फार्म और विस्तृत क्रियाविधि के खण्ड 11.2 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि की रियायत की मांग करते हुए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करने के लिए विस्तृत क्रियाविधि और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 27, 33क और 33ख के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(ग), 79(1)(च) और 79(1)(ट) के अधीन याचिका।</p>	25/03/2022	विविध याचिका

18	65/एमपी/2019	एनटीपीसी लि. और राजस्थान वितरण कंपनियों के बीच प्रविष्ट 26.02.2016 के विद्युत बिक्री करार के अधीन जून 2017 से अप्रैल 2018 में सप्लाई की गई विद्युत के लिए राजस्थान वितरण कंपनियों से धन की वसूली के लिए याचिका।	22/03/2022	विविध याचिका
19	452/एमपी/2019	एमओसी मार्गनिर्देशों के अनुसार एनएलसी माइन्स के संबंध में ट्रूंगअप के कारण 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए लिग्नाइट ट्रांसफर कीमत के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए एनएलसी याचिका।	24/03/2022	विविध याचिका
20	213/एमपी/2021	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया के 1200 मेगावाट आईएसटीएस संबंध पवर परियोजनाओं के भाग के रूप में बलारी जिला कर्नाटक में 175 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई संयोजकता बैंक गारंटी के संबंध में निर्देशों की मांग करते हुए 20.2.2021 के अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करने के लिए संशोधित विस्तृत क्रियाविधि और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबंध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(सी) और 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	23/03/2022	विविध याचिका
21	419/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (500 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 9, अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(क) के अंतर्गत याचिका।	23/03/2022	उत्पादन टैरिफ
22	35/टीटी/2021	2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूंगअप के लिए और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22/03/2022	पारेषण टैरिफ
23	117/एमपी/2019	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों के नकदीकरण के स्थगन सहित किसी निग्रह उपायों के स्थगन और अनुसूचित आरंभ करने की तारीख के विस्तार की मांग करते हुए राष्ट्रीय सौर मिशन फेज 2, बैच 4 ट्रेंचे 12 के अधीन 27.4.2018 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	22/03/2022	विविध याचिका
24	112/जीटी/2020	ट्रूंगअप कार्य के बाद 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 के टैरिफ का पुनरीक्षण।	22/03/2022	पारेषण टैरिफ



25	257/टीएल/2021	एनआरएसएस XXXI (ए) पारेषण लि. (अब पावरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लि. के रूप में अभिज्ञात) के लिए आरटीएम रूट पर कला अम्ब में 125 एमवीएआर, 420 केवी एस रिएक्टर के कार्यान्वयन के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत आवेदन।	22/03/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति
26	3/टीडी/2022	अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी 1 अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन फार्म।	21/03/2022	व्यापार
27	285/एमपी/2019	वैकल्पिक स्रोतों से कोयले के प्राप्ति के लिए मार्गनिर्देश/तंत्र के अनुमोदन की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(बी) और 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	21/03/2022	विविध याचिका



28	355/टीटी/2020	<p>आस्ति कः गया एक्सटेंशन, 765 केवी एस/सी फतेहपुर-आगरा पारेषण लाइन में गया एक्सटेंशन, 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-2 में संबद्ध 220 केवी लाइन बेज, 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-1 और गया उपकेन्द्र में सीकेटी-2 220 केवी डी/सी देहरी-बोधगया का लीलो, संबद्ध 220 केवी लाइन बेज और गया उपकेन्द्र में सीकेटी-1 220 केवी डी/सी देहरी-बोधगया का लीलो, 765 केवी सासाराम-फतेहपुर एस/सी पारेषण लाइन, फतेहपुर में इलाहाबाद-कानपुर 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो, फतेहपुर में फतेहपुर (यूपीपीसीएल) - कानपुर (यूपीपीसीएल) 220 केवी डी/सी लाइन का लीलो, फतेहपुर में सिंगरोली-कानपुर का लीलो, फतेहपुर विस्तार में फतेहपुर विस्तार, 400/220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी-2 में 400/220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी-1, आस्ति-खः रांची उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और 400 केवी डी/सी (आरबी)-रांची (पीजी) पारेषण लाइन, आस्ति-गः 400 केवी डी/सी मेथॉन (आरबी)-मेजा पारेषण लाइन, आस्ति-घः बिहारशरीफ-गया लाइन के रूप में प्रभारित 400 केवी डी/सी बिहारशरीफ-सासाराम पारेषण लाइन के सीकेटी-4 का भाग और 400 केवी डी/सी बिहारशरीफ-सासाराम पारेषण लाइन (सीकेटी-3) का एक सीकेटी, आस्ति-डः सासाराम-बलिया लाइन के रूप में प्रभारित 400 केवी डी/सी बिहारशरीफ-सासाराम पारेषण लाइन के सीकेटी-4 का अन्य सीकेटी भाग, आस्ति-चः 400 केवी डी/सी मेथान-कोडरमा (कोडरमा टीपीएस-गया का भाग) (क्वेद) पारेषण लाइन, आस्ति-छः मल्टी सर्किट सहित 400 केवी डी/सी कोडरमा गया पारेषण लाइन सीकेटी-2 का शेष भाग, आस्ति-जः मल्टी सर्किट सहित 400 केवी डी/सी कोडरमा गया पारेषण लाइन सीकेटी-1 का शेष भाग और आस्ति-झः पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में डीवीसी एवं मेथान राईट बैंक प्रोजेक्ट से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन कोडरमा टीपीएस-बोकारों टीपीएस लाइन के लिए पीएलसीसी उपकरण और 400 केवी डी/सी बोकारों टीपीएस विस्तार-कोडरमा टीपीएस लाइन के लिए समन्वित आस्तियों को शामिल करते हुए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	21/03/2022	पारेषण टैरिफ
----	---------------	--	------------	--------------



29	450/एमपी/2019	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 7.12.2015 की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के स्थापन के कारण अतिरिक्त पूंजी और परिचालनगत व्यय के अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका सं. 156/एमपी/2018 में पारित 3.6.2019 के VI इस माननीय आयोग के आदेश और प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के। 18.1.2014 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10(II) 20.1.2014 के पीपीए के अनुसूची 1 के अनुच्छेद 10(III) प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश के खंड 4.7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	21/03/2022	विविध याचिका
30	511/टीटी/2020	1.2004-9 और 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूइंगअप 3.दक्षिण क्षेत्र में कैगा नरेन्द्र पारेषण प्रणाली के अधीन नरेन्द्र उपकेन्द्र में एक 315 एमवीआईसीटी और सेकण्ड 315 आईसीटी सहित नरेन्द्र में 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन, 400/220 केवी उपकेन्द्र, कैगा के समन्वित घटकों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/03/2022	पारेषण टैरिफ
31	656/टीटी/2020	तूमकूर (पावगडा) कर्नाटक फेज 2 (पार्ट ए) में अल्ट्रामेगा सौर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अंतर्गत तुमकूर (पावगडा) एस/एस में संबद्ध बेज सहित पारेषण आस्ति 1ग500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी के लिए 2019-2024 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए टूइंगअप और 2004-9 और 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/03/2022	पारेषण टैरिफ
32	318/टीटी/2020	आस्ति 1: मौजूदा उपकेन्द्र सलेम 400/220 केवी में बे एक्सटेंशन और सलेम (धरमपुरी) (400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित) में न्यू 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन 400 केवी सलेम पूलिंग स्टेशन (धरमपुरी) सलेम 400 केवी डी/सी क्वेद लाइन, आस्ति 2: पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित सलेम पूलिंग स्टेशन मधुगिरी पूलिंग स्टेशन 765 केवी एस/सी लाइन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/03/2022	पारेषण टैरिफ

33	391/जीटी/2019	1000 मेगावाट करचम वांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9(2) के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पूंजी लागत और उत्पादन टैरिफ का ट्राइप के लिए आवेदन।	17/03/2022	उत्पादन टैरिफ
34	364/जीटी/2020	ट्रूंगअप कार्य के बाद 30.9.2017 से 31.3.2019 तक फिरोज गांधी उच्चतर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 के टैरिफ का पुनरीक्षण।	16/03/2022	उत्पादन टैरिफ
35	314/टीटी/2020	आस्ति 1: 400 केवी डी/सी रिहंद इलाहाबाद, इलाहाबाद और मैनुपरी - बल्लभगढ़ तथा संबद्ध बेज, आस्ति 2: संबद्ध बेज सहित अब्दुल्लापुर उपकेन्द्र में आईसीटी 3 और 400 केवी एस/सी पटियाला मलेरकोटला पारेषण, कैथल में नालागढ़ हिसार पारेषण लाइन के एक सर्किट का लीलो, आस्ति 3: कैथल में आईसीटी 1 और 2 और कैथल उपकेन्द्र में 4 नं. 220 केवी लाइन बेज, आस्ति 4: पटियाला उपकेन्द्र में आईसीटी 2 और संबद्ध बेज सहित पटियाला उपकेन्द्र में नालागढ़ हिसार पारेषण लाइन के एक सर्किट (400 केवी) के लीलो, आस्ति 5: 315 एमवी अजयगढ़ पूलिंग स्टेशन टी/एल और आस्ति 6: संबद्ध बेज सहित 400 केवी एस/सी दादरी पानीपत पारेषण लाइन आस्ति 7: उत्तरी क्षेत्र में रिहंद स्टेज 2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत अब्दुल्लापुर उपकेन्द्र में 220 केवी बेज का 2 नं. 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूंगअप और 2004-9 के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण के लिए और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14/03/2022	पारेषण टैरिफ



36	357/टीटी/2020	<p>आस्ति 1: टुमकूर (पावगडा) पूलिंग स्टेशन में 400 केवी डी/सी बूटीटुमकूर (बसंत नरसपुर) डी/सी लाइन के एक सर्किट का लीलो। आस्ति 2: संबद्ध बेज और उपकरण से संबद्ध टुमकूर (पावगडा) में 400 केवी डी/सी गूटीटुमकूर (बसंत नरसपुर) डी/सी लाइन के दो सर्किट का लीलो। आस्ति 3: 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी सहित टुमकूर (पावगडा) में नए 400/220 केवी पूलिंग स्टेशन। आस्ति 4: 400/220 केवी टुमकूर (पावगडा) पूलिंग स्टेशन में उपकरण और संबद्ध बेज सहित 1X125 एमवीएआर 400 केवी बस रिपेक्टर। आस्ति 5: संबद्ध बेज और उपकरण सहित टुमकूर (पावगडा) पूलिंग स्टेशन में 400 केवी डी/सी बिलारी – टुमकूर (बसंत नरसापुर) डी/सी (क्वेद मूज) का लीलो। आस्ति 6: दक्षिण क्षेत्र में टुमकूर (पावगडा), कर्नाटक फेज 1 में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन उपकरण एवं संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी टुमकूर (पावगडा) पूलिंग स्टेशन में 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-III को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति का केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	14/03/2022	पारेषण टैरिफ
37	एमपी/156/2014 में 1/आरपी/2022	<p>दिनांक 7.6.2021 के माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय से रिमांड पर याचिका सं. 156/एमपी/2014 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 24.10.2021 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग करते हुए कारोबार के संचालन नियम 1999 के विनियम 103 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका।</p>	13/03/2022	पुनरीक्षण याचिका
38	145/टीटी/2018	<p>संबद्ध 400 केवी बेज सहित महान टीपीएस में 1X80 एमवीएआर, 420 केवी स्विचेबल बस रिपेक्टर और महान पूलिंग उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी महान – सिपत और 2X50 एमवीएआर लाइन रिपेक्टर के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम के अंतर्गत अनुमोदन।</p>	14/03/2022	पारेषण टैरिफ

39	653/टीटी/2020	i. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंगअप ii. टुमकूर (पावगड़ा) कर्नाटक फेज 1 में अल्ट्रामेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन दोनों छोरों में उपकरण और संबद्ध बेज सहित पारेषण आस्ति टुमकूर (पावगड़ा) कूलहीहीरीयूर 400 केवी डी/सी लाइन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13/03/2022	पारेषण टैरिफ
40	30/टीटी/2021	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आईपीपी पार्ट ख के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण योजना पावरग्रिड कार्य के अधीन रायपुर पीएस पावरग्रिड राजनंदगांव टीबीसीबी के लिए 765/400 केवी रायपुर पूलिंग स्टेशन रायपुर में 2 नं. 765 केवी लाइन बेज के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूड़ंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13/03/2022	पारेषण टैरिफ
41	107/जीटी/2020	ओमकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) के संबंध में 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	11/03/2022	उत्पादन टैरिफ
42	236/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 अवधि के लिए टोरंट पावर लि. के 1200 मेगावाट डीजेन मेगापावर प्रोजेक्ट (डीजेन प्लांट) के टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ टैरिफ की निबंधन व शर्तें विनियम 2019 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(बी) के अंतर्गत याचिका।	10/03/2022	उत्पादन टैरिफ
43	674/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र के अधीन उड़ीसा में फेज 2 उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध पावरग्रिड कार्य के अधीन झरसुगड़ा सुन्दरगढ़ जीआईएस में 765 केवी एस में बस व्यवस्था और संबद्ध बेज सहित 2ग1500 एमवीए 765/400 केवी आईसीटी के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन सीओडी से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08/03/2022	पारेषण टैरिफ
44	211/एटी/2021	विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 3.8.2017 के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चुने गए और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से संबद्ध 2000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट (ट्रेंचे 9) के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत याचिका।	08/03/2022	टैरिफ का अंगीकार



45	278/जीटी/2020	यूनिट 51 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से (प्रथम ब्लॉक) 31. 3.2019 तक – टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 8(1) के अंतर्गत टैरिफ का टूटिंगअप की टोरंट पावर लि. की 1200 एमडब्ल्यू डीजेन मेगा पावर प्रोजेक्ट (डीजेन प्लांट के टैरिफ के लिए केविविआ की टैरिफ की निबंधन व शर्तें विनियम 2014 के साथ पठत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(ख) के अंतर्गत याचिका।	08/03/2022	उत्पादन टैरिफ
46	34/टीटी/2021	क. 765 केवी डीसी अजमेर न्यू बीकानेर न्यू लाइन तथा 240 एमवीएआर 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर और अजमेर छोर में संबद्ध बेज और 330 एमवीएआर 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर और अजमेर में संबद्ध बेज और बीकानेर छोर में संबद्ध बेज, ख. बीकानेर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 3X500 एमवीआईसीटी का 2 नं., ग. बीकानेर न्यू उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765/400 केवी 3X110 एमवीएआर बस रिएक्टर, घ. बीकानेर न्यू उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी का एक नं., 125 एमवीएआर बस रिएक्टर, ङ. 400 केवी बादला आरवीपीएनएल का एक सर्किट का लीला संबद्ध बेज सहित बीकानेर न्यू में 400 केवी बादला आरवीपीएनएल का एक सर्किट का लीलो और आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आईएसटीएस पार्ट घ के अधीन मोगा छोर में संबद्ध बेज और 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर, 2 नं. 330 एमवीएआर और बीकानेर छोर में संबद्ध बेज और 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर 2 नं. 330 एमवीएआर सहित 765 केवी डी/सी बीकानेर न्यू के लिए के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन सीओडी से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08/03/2022	पारेषण टैरिफ
47	267/एमपी/2021	केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 12 और 3.7.17 के अनुच्छेद 17.3, 13.1.2016 के टीएसए के अनुच्छेद 15.3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अंतर्गत इस माननीय आयोग के अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका।	08/03/2022	विविध याचिका

48	479/टीटी/2020	1.2001-04 टैरिफ ब्लाक, 2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप 3. क. संबद्ध बेज सहित 400 केवी जयपुर गजुवाका पारेषण लाइन और आस्ति खरू दक्षिण क्षेत्र में गजुवाका एचवीडीसी बेक टू बेक परियोजना के अधीन गजुवाका में 500 एमडब्ल्यू एचवीडीसी बेक टू बेक केन्द्रों के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	06/03/2022	पारेषण टैरिफ
49	713/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र में दामोदर वैली कार्पोरेशन के पारेषण और वितरण प्रणाली नेटवर्क के नए घटकों के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02/03/2022	पारेषण टैरिफ
50	664/टीटी/2020	आस्ति 1: 1 नंबर स्पेयर 201 एमवीए 1 फेज 3 वाइंडिंग कनवर्टर ट्रांसफार्मर और आस्ति 2: दक्षिण क्षेत्र में विजाक एचवीडीसी प्रणाली के लिए स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर के प्राप्ति के अधीन विजाक एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन में 1 नंबर स्पेयर 234 एमवीए 1 फेज 3 वाइंडिंग कनवर्टर ट्रांसफार्मर के लिए के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02/03/2022	पारेषण टैरिफ
51	68/टीटी/2021	पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनईआरएसएस 4 के अधीन मीसा उपकेन्द्र में 1X500 एमवीए, 400/220 केवी, 3 पीएच आईसीटी सहित 1 पीएच आईसीटी, मौजूदा 4X105 एमवीए 400/220 केवी के प्रतिस्थापन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02/03/2022	पारेषण टैरिफ





52	378/टीटी/2020	आस्ति 1: न्यू वानपो और तीन नंबर 220 केवी लाइन बेज में संबद्ध बेज सहित एक नंबर 315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी 1 में बेज सहित 400 केवी डी/सी किशनपुर वगुरा टी/एल के दोनों सर्किट का लीलो। आस्ति 2: न्यू वानपो उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी II आस्ति 3: संबद्ध बेज सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर और आस्ति 4: उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XVI" से संबद्ध दोनों में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी किशनपुर – न्यू वानपो लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019–24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01/03/2022	पारेषण टैरिफ
53	466/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र में दामोदर वैली कार्पोरेशन के आईएसटीएस पावर की गैर आईएसटीएस 400 केवी पारेषण लाइन के 4 नंबर के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019–24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28/02/2022	पारेषण टैरिफ
54	193/टीटी/2019	आस्ति 1: 400 केवी डी/सी अलीपुरद्वार पुनसंगम पारेषण लाइन तथा अलीपुरद्वार उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और आस्ति 2: एनआर/डब्ल्यू आर में भूटान से पावर के अंतरण और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पूलिंग स्टेशन के विकास के लिए पारेषण प्रणाली सहित पारेषण प्रणाली के अधीन अलीपुरद्वार उपकेन्द्र में 220 केवी बेज की 2 संख्या के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम के अंतर्गत अनुमोदन।	28/02/2022	पारेषण टैरिफ
55	289/टीटी/2019	दक्षिण क्षेत्र के लिए रिएक्टर और स्पेयर आईसीटी के उपबंध के लिए 2019–24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014–19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28/02/2022	पारेषण टैरिफ



56	248/टीटी/2020	<p>आस्ति 1: क. नरेन्द्र उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर ख. नरेन्द्र देवनगरे 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन और मैसूर में एमवीएआर बस रिपक्टर ग. कालीवन्थुपट्टू में 50 एमवीएआर रिपक्टर सहित कोलार श्रीपेरंबूर 400 केवी एस/सी का लीलो। आस्ति 2: घ. हिरीयूर उपकेन्द्र में दूसरा आटो ट्रांसफार्मर आस्ति 3: ड. कलिवन्थुपट्टू उपकेन्द्र में प्रथम 315 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर च. संबद्ध बेज और उपकरण सहित कलिवन्थुपट्टू उपकेन्द्र में दूसरा आटो ट्रांसफार्मर और आस्ति 4: दक्षिण क्षेत्र में कैगा तीन और चार (2X235 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत मैसूर उपकेन्द्र के विस्तार और कोझीकोड उपकेन्द्र में 2X50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिपक्टर तथा 2X315 एमवीए आईसीटी सहित न्यू 400/220 सहित मैसूर कोझीकोड 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	28/02/2022	पारेषण टैरिफ
57	316/टीटी/2020	<p>1.2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.पश्चिमी क्षेत्र में ककरापुर पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	28/02/2022	पारेषण टैरिफ
58	367/एमपी/2019 में 24/आरपी/2020	<p>30.6.2020 को सुनवाई के लिए आरओपी में रिकार्ड किए गए याचिका सं. 367/एमपी/2019 में माननीय आयोग द्वारा पारित 30.6.2020 के आदेश/निर्देशों की पुनरीक्षण की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण निगम लि. की ओर से केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका।</p>	28/02/2022	पुनरीक्षण याचिका
59	135/एमपी/2021 में 25/आरपी/2021	<p>कारोबार संचालन विनियम 1999 के विनियम 103 के अंतर्गत याचिका सं. 135/एमपी/21 में पारित 31.8.21 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग करते हुए पुनरीक्षण याचिका।</p>	28/02/2022	पुनरीक्षण याचिका



60	308/टीटी/2020	आस्ति 1: 400 केवी डी/सी पलाटना सिलचर टवीन मूस कंडक्टर पारेषण लाइन 247.30 कि.मी. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.9.2012 आस्ति 2: 400 केवी डी/सी सिलचर बाइरनी हार्ट (डी/सी टावर पर एक सर्किट) टवीन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन 214.41 कि.मी. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2013 आस्ति 3: 400 केवी डी/सी बाइरनी हार्ट बोंगेगांव (डी/सी टावर पर एक सर्किट) टवीन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन 201 कि.मी. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 22.2.2015 आस्ति 4: 400 केवी डी/सी सिलचर अजारा (डी/सी टावरों पर एक सर्किट) टवीन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन 256.41 कि.मी. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 27.7.2014 आस्ति 5: 400 केवी डी/सी अजारा बोंगेगांव (डी/सी टावरों पर एक सर्किट) टवीन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन पारेषण लाइन 159 कि.मी. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 16.1.2015 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28/02/2022	पारेषण टैरिफ
61	2/एसएम/2022	9.3.2021 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इण्डिया लि. के पावरग्रिड कार्य से सीटीयू कार्य को अलग करने अनुसरण में सीटीयूआईएल के अन्य व्यय और मानव शक्ति के लेखांकन और पूर्ति के लिए।	25/02/2022	स्वप्रेरणा
62	283/एटी/2021	कोपल नरेन्द्र ट्रांसमिशन लि. द्वारा स्थापित किए जा रहे पारेषण प्रणाली "कोपल पवन ऊर्जा जोन (कर्नाटक) (2500 मेगावाट) में आरई स्रोतों से विद्युत की निकासी" के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन।	25/02/2022	टैरिफ का अंगीकार
63	169/एमपी/2021	बाध्य इकाइयों के अनुपालन हाइड्रो पावर क्रय बाध्यता को सरल बनाने के लिए भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि. में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट में हाइड्रो पावर कंट्रेक्टों के आरंभ के अनुमोदन के लिए केविविआ (पावर मार्केट) के विनियम 25 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अंतर्गत याचिका।	24/02/2022	विविध याचिका

64	283/जीटी/2020	चटक पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26 और 35(2) और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1)(ए), केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के 79(1) और 86 के अंतर्गत याचिका। चटक पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 अवधि के लिए टैरिफ के टूडंगअप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8, 14 और 25(3) तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(1)(ए), केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के 79(1) और 86 के अधीन याचिका।	23/02/2022	उत्पादन टैरिफ
65	240/जीटी/2017 में 10/आरपी/2020	यूनिट 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (15.10.10) से 31.3.2014 तक और 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए केबीयूएनएल के मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (2X210 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन/पुनरीक्षण के लिए माननीय आयोग द्वारा पारित 22.1.2020 के आदेश का पुनरीक्षण।	22/02/2022	पुनरीक्षण याचिका
66	614/एमपी/2020	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. को आपूर्ति के लिए अदानी पावर (मुंद्रा) द्वारा किए गए वास्तविक लागत के गैर भुगतान और अनुमोदित पीपीए/एसपीपीए उपबंधों के विवाद के रूप में एकपक्षीय संशोधन के अधिनिर्णय की मांग करते हुए 6.2.2007 के अनुच्छेद 17.3 और 5.12.2018 के अनुपूरक विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 3.2.4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	21/02/2022	विविध याचिका
67	275/एमपी/2019	धारा 62 और 79 (1)(बी) सहित विद्युत अधिनियम 2003 के लागू उपबंधों और 2011 के सिविल अपील सं. 11133 में 2.7.2019 के आदेश के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में याचिका।	21/02/2022	विविध याचिका
68	250/एमपी/2019	5.12.2018 के अनुपूरक करार का अनुमोदन प्राप्त करने में 374/एमपी/2018 में 12.4.2019 के केविविआ के आदेश के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(बी) और (एफ) के अंतर्गत याचिका।	21/02/2022	विविध याचिका
69	360/टीटी/2020	i. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप ii. अनंतपुर जिला आंध्रप्रदेश भाग ए (फेज 1) में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/02/2022	पारेषण टैरिफ

70	644/टीटी/2020	आस्ति 1: एनआरएसएसXXX के अधीन इलाहाबाद में छोर में 1X50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित दोनों छोरों में संबद्ध बेज सहित इलाहाबाद 400 केवी एस/सी लाइन संगरौली के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/02/2022	पारेषण टैरिफ
71	652/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में (एसआरटीएस II) में कर्नाटक फेज 2 (पार्ट सी) टुमकूर पावगडा में अल्ट्रा मेगा सौर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अंतर्गत टुमकूर पावगडा पीएस में टुमकूर (पावगडा) टुमकूर (वसंतारपुरा) डी/सी क्वेद लाइन 400 केवी टुमकूर के सर्किट एक और दो पर नियत सीरिज कैपिसिटर (40 प्रतिशत) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/02/2022	पारेषण टैरिफ
72	160/एमपी/2021	पावर एक्सचेंज के प्रचालन और स्थापन्न के लिए और समर्थित शपथपत्र सहित पावर एक्सचेंज के प्रचालन को आरंभ करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति देने के लिए संशोधित या प्रतिस्थापित केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 21 के अधीन याचिका।	16/02/2022	विविध याचिका
73	523/एमपी/2020	“अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली को नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना” के लिए विस्तृत क्रियाविधि के खंड 10.11 के अधीन निर्धारित क्रियाविधि की छूट की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 33 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(सी) और धारा 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	15/02/2022	विविध याचिका
74	266/टीडी/2021	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 9(4) और 15(3)(ए) के अधीन व्यापार अनुज्ञप्ति डाउनग्रेशन के लिए आवेदन।	15/02/2022	व्यापार

75	348/टीटी/2020	आस्ति 1: राजपुर उपकेन्द्र में देहर भिवानी 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो, आस्ति 2: पंचकुला उपकेन्द्र में देहर पानीपत 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो आस्ति 3: 220 केवी लाइन बे लाइन का 1 नंबर चमेरा 400/220 केवी पूलिंग उपकेन्द्र जीआईएस का विस्तार, आस्ति 4: एनआरएसएस योजना XXVII से संबद्ध आरवीपीएनएल द्वारा स्वामित्व लाइन 400 केवी एस/सी अंत कोटा लाइन के लिए कोटा उपकेन्द्र में 400 केवी अंत बे के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2019 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15/02/2022	पारेषण टैरिफ
76	276/जीटी/2018	12.2.2015 से 31.3.2019 की अवधि के लिए जिंदल इण्डिया थर्मल पावर लि. की पावर प्रोजेक्ट कोयला आधारित 1200 मेगावाट के टैरिफ के अवधारण के याचिका संख्या 276/जीटी/18	12/02/2022	उत्पादन टैरिफ
77	230/टीडी/2021	समय समय से यथासंशोधित (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भारत के सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी 5 अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 के विनियम 6(1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के अंतर्गत आवेदन।	09/02/2022	व्यापार
78	88/एमपी/2021	1.11.2013 के विद्युत क्रय करार की शर्तों के अनुसार फलाईएश के परिवहन के प्रभारों के उदग्रहण के कारण क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(बी) और 79(1)(एफ) के अधीन याचिका।	09/02/2022	विविध याचिका
79	24/एमपी/2019	1.12.2018 के सरकारी संकल्प द्वारा जारी किए गए गुजरात सरकार के नीतिगत निर्णय द्वारा 3.10.2018 की रिपोर्ट के माध्यम से उच्च स्तरीय समिति द्वारा जारी किए गए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 22.4.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छे 18.1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) और (बी) के अंतर्गत याचिका।	08/02/2022	विविध याचिका



80	354 / टीटी / 2020	1. 2004-09 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण, 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 3. पश्चिमी क्षेत्र में विंध्याचल स्टेज 2 पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08 / 02 / 2022	पारेषण टैरिफ
81	24 / आरपी / 2021 पद 373 / एमपी / 2020	याचिका सं. 373 / एमपी / 2020 में इस मान्य आयोग द्वारा पारित 20.8.21 के आदेश के विरुद्ध केविविआ (कारोबार का संचालन) (संशोधन) विनियम 2013 के विनियम 103(1) के अंतर्गत दाखिल पुनरीक्षण याचिका।	07 / 02 / 2022	पुनरीक्षण याचिका
82	239 / एमपी / 2021	अन्य बातों के साथ साथ विधि घटनाओं में और अपरिहार्य घटनाओं में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति का दावा करने, इसके कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले अपरिहार्य घटनाओं के कारण पारेषण परियोजना के अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के विस्तार और उचित निर्देशों की मांग करते हुए गोवा तमनार पारेषण परियोजना लि. और इसके दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के बीच निष्पादित 28.6.2017 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 11 और 12 तथा सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अंतर्गत याचिका।	08 / 02 / 2022	विविध याचिका
83	209 / टीटी / 2020	1. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2. उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	07 / 02 / 2022	पारेषण टैरिफ
84	114 / एमपी / 2019	याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित 27.11.2013 के विद्युत क्रय करार से उद्भूत विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) और (बी) के अंतर्गत याचिका।	04 / 02 / 2022	विविध याचिका
85	317 / टीटी / 2020	1. 2004-09 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण, 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 3. पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03 / 02 / 2022	पारेषण टैरिफ

86	671/टीटी/2020	डब्ल्यूआरएसएस-XIV के अधीन आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03/02/2022	पारेषण टैरिफ
87	34/एमपी/2022	15 महीने (15.2.2022 के बाद) के अवधि के आगे ग्रिड से तेलंगाना एसटीपीएस फेज 1 (2X800 मेगावाट) के U#1 (800 मेगावाट) के लिए स्टार्टअप पावर के आहरण की अनुमति के लिए माननीय आयोग की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करना, दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच एवं संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	02/02/2022	विविध याचिका
88	401/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए विंध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (1260 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9 और अध्याय 3, केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1)(ए) के अंतर्गत याचिका।	31/01/2022	उत्पादन टैरिफ
89	688/टीटी/2020	1. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2. पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर के स्थापन के अधीन आस्तियों के लिए लए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29/01/2022	पारेषण टैरिफ
90	142/टीटी/2021	1. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2. पश्चिमी क्षेत्र में मुंद्रा यूएमपीपी (भाग ख) सहित पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण के अधीन 400 केवी डी/सी मुंद्रा यूएमपीपी भुज (ट्रिपल स्नोबर्ड) के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	30/01/2022	पारेषण टैरिफ





91	636/एमपी/2020	11.12.2017 के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पत्र के साथ पठित पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 28.6.2018 के पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2018 और 7.12.2015 के पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 2015 अर्थात् विधि घटनाओं में परिवर्तन द्वारा आवश्यक लाइम स्टोन आधारित ईंधन गैस की स्थापना के कारण किए जाने वाले अतिरिक्त पूंजी व्यय के सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में तदाली, चंद्रपुर में स्थित 2X300 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्र के यूनिट 2 से 100 मेगावाट कांट्रेक्ट क्षमता की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण कार्पोरेशन लि. तथा धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के बीच प्रविष्ट 20.12.2013 के परिशिष्ट सहित 27.11.2013 के केस 1 दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) और (बी) के अधीन याचिका।	28/01/2022	विविध याचिका
92	301/एमपी/2018	प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागतों को प्रभावित करने वाली विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं और जीएमआर वरौरा एनर्जी लि. के बीच निष्पादित 17.3.2010, 21.3.2013 और 27.11.2013 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 10 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) और (एफ) के अंतर्गत याचिका।	28/01/2022	विविध याचिका
93	300/एमपी/2018	प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागतों को प्रभावित करने वाली विधि घटनाओं में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि. और इसके हिताधिकारियों के बीच निष्पादित संबंधित विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 10 और 13 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 14 के विनियम 8(3) (II) और विनियम 14 (3) (II) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (बी) और (एफ) के अंतर्गत याचिका।	28/01/2022	विविध याचिका
94	165/एमपी/2019	याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 2/पीटीसी के बीच निष्पादित 13.6.2013 के विद्युत क्रय करारों बेक टू बेक और प्रतिवादी सं. 1/केएसईबी और प्रतिवादी सं.2/पीटीसी के बीच निष्पादित 13.6.2013 के विद्युत क्रय करारों के अनुसार पठित याचिका सं. 18/एमपी/2017 में पारित 18.4.2018 के आदेश के माध्यम से माननीय आयोग द्वारा अनुमत विधि में परिवर्तन से संबंधित घटना के कारण वहन लागत/ब्याज का दावा करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (बी) और 79 (1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	28/01/2022	विविध याचिका



95	174/एमपी/2019	याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 1/टेंगमेंडको के बीच निष्पादित 23.8.2013 के विद्युत क्रय करारों बेक टू बेक और प्रतिवादी सं. 1/केएसईबी और प्रतिवादी सं.2/पीटीसी के बीच निष्पादित 13.6.2013 के विद्युत क्रय करारों के अनुसार पठित याचिका सं. 126/एमपी/2016 में पारित 18.4.2018 के आदेश के माध्यम से माननीय आयोग द्वारा अनुमत विधि में परिवर्तन से संबंधित घटना के कारण वहन लागत/ब्याज का दावा करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (बी) और 79 (1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।	28/01/2022	विविध याचिका
96	280/जीटी/2020	नीपको शिलांग के असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (6X33.5 मेगावाट + एसटी 3X30 मेगावाट = 291 मेगावाट) के संबंध में 1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9(2) (अध्याय 3) और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के संबद्ध उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) के अंतर्गत याचिका।	27/01/2022	उत्पादन टैरिफ
97	298/जीटी/2018	डीवीसी के कोदरमा टीपीएस से विद्युत की आपूर्ति के संबंध में डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए के एकपक्षीय समाप्ति के कारण नियत प्रभारों का दावा।	27/01/2022	विविध याचिका
98	311/टीटी/2020	1. 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3. पश्चिमी क्षेत्र में अतिरिक्त पारेषण प्रणाली विंध्यांचल स्टेज 1 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/01/2022	पारेषण टैरिफ
99	418/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि के लिए सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (1000 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 विनियम 9 अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 3 की धारा 62 और 79 (1) (ए) के अंतर्गत याचिका।	24/01/2022	उत्पादन टैरिफ



100	15/एमपी/2019	इस घोषणा के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (एफ) के अधीन याचिका कि याचिकाकर्ता को इनवाइस की गई ईंधन की लागत में कर, उदग्रहण, उपकर के कारण किसी प्रकार की भिन्नता है जिसमें रॉयल्टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एसईडी, सीएसटी, ऊर्जा उपकर, आकार प्रभार, सरफेस परिवहन और कोयला लागत पर नए कर/रॉयल्टी का विनियमन शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है जिसमें कोयले की इनवाइस दर के संघटक होने के नाते केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघाशासित प्रदेश या कोई अन्य सरकार द्वारा लगाए गए एनएमईटी, डीएमएफ, वन मार्गस्त फीस और पीडब्ल्यूडी कर शामिल है लेकिन सीमित नहीं है, वह 7.8. 2008 के पीपीए के अनुसार पासथ्रू लागत है।	25/01/2022	विविध याचिका
101	28/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि के लिए रामपुर हाइड्रो स्टेशन (412 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1) और (ए) के अंतर्गत याचिका।	24/01/2022	उत्पादन टैरिफ
102	132/एमपी/2021	फरवरी 2020 माह के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए क्रियाविधि के अनुपालन में विलंब के समन्वय तथा याचिकाकर्ता को देय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देना की मांग करते हुए याचिका।	24/01/2022	विविध याचिका
103	1/एसएम/2022	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार भारत सरकार के उन्नयन विभाग के कारोबार विनियामक अनुपालन पोर्टल को सरल बनाना – विनियम के उपबंधों में रियायत तथा कठिनाई का निराकरण।	22/01/2022	स्वप्रेरणा
104	251/टीडी/2021	श्रेणी 4 से श्रेणी 5 में व्यापार अनुज्ञप्ति मैसर्स अटरिया एनर्जी सर्विस प्रा. लि. की व्यापार अनुज्ञप्ति को डाउनग्रेड करने की मांग करते हुए केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 15(3) और 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 के अंतर्गत याचिका।	23/01/2022	व्यापार
105	325/टीटी/2020	1. 2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूटिंगअप 3. पश्चिमी क्षेत्र में क्वास पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/01/2022	पारेषण टैरिफ

106	146/टीटी/2016	वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पारेषण टैरिफ के टूडंगअप के लिए याचिका।	21/01/2022	पारेषण टैरिफ
107	184/टीटी/2013	1. संबद्ध उपकेन्द्र, बेज इलेक्ट्रो लाइन और संबद्ध 400 केवी लाइन से संबद्ध + 500केवी मुद्रा मोहिन्द्रगढ़ एचवीडीसी बाईपोल पारेषण लाइन 2. पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से 31.3.2014 तक नियंत्रण अवधि 2009-14 के लिए संबद्ध प्रणाली सहित 400 केवी डी/सी मुद्रा देहगाम पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ।	21/01/2022	पारेषण टैरिफ
108	216/टीटी/2020	अभिज्ञप्ति सं. 20/पारेषण/2013 केविविआ के माध्यम से अदानी पारेषण (इण्डिया लि.) द्वारा प्रचालित और निर्मित पारेषण प्रणाली के लिए 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण और 1.4.2014 से 31.3.2019 की पारेषण टैरिफ के टूडंगअप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/01/2022	पारेषण टैरिफ
109	243/टीटी/2020	1. 2001-04, 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3. दक्षिणी क्षेत्र में एनएलसी 1 पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/01/2022	पारेषण टैरिफ
110	89/टीटी/2020	1. 2001-04, 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3. दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी रामगुंडम - भदरावती (चन्द्रपुर) पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/01/2022	पारेषण टैरिफ
111.	296/एमपी/2019	आरईआरसी (पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण विचलन व्यवस्थापन और सौर तथा पवन उत्पादन स्रोतों के संबद्ध मामले) विनियम 2017 के विनियम 15 के समानरूप करने के लिए 27.1.2012 के पीपीए के संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(बी) और 79(1)(एफ) के अधीन याचिका।	21/01/2022	विविध याचिका



112.	594/एमपी/2020	डेअहेड आधार पर जीडब्ल्यूईएल द्वारा घोषित क्षमता पर आधारित जीडब्ल्यूईएल को क्षमता प्रभारों को अदा करने के लिए डीएनएच को निर्देशों की मांग करते हुए डीएनएच विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. और जीएमआर वरौरा एनर्जी लि. के बीच निष्पादित 21.3.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 4 और 9 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) और (एफ) के अधीन याचिका।	20/01/2022	विविध याचिका
113	286/एमपी/2018	याचिका सं. 1/एमपी/17 में पारित 16.3.2018 और याचिका सं. 13/एसएम/17 में पारित 14.3.2018 के आदेशों के निष्पादन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका और उसके संबंध में तमिलनाडु उत्पादन और वितरण कार्पोरेशन लि. के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन कार्यवाहियों की पहल करना।	20/01/2022	विविध याचिका
114	377/टीटी/2020	1. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2. उत्तरी क्षेत्र में बस रिएक्टर के अधीन समन्वित आस्तियों के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण (फेज 2) के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19/01/2022	पारेषण टैरिफ
115	682/टीटी/2020	आस्ति। क: संबद्ध बेज सहित 1x500 एमवीए, 400/220/33 आटो ट्रांसफार्मर सहित 400/220 केवी सीकर उपकेन्द्र का एक्स. आस्ति। ख: 2 नं. 220 केवी लाइन बेज सहित 400/220 केवी सीकर उपकेन्द्र का एक्सटेंशन, आस्ति। क: 400/220 केवी मेनपुरी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी मेनपुरी उपकेन्द्र, आस्ति। ख: उत्तरी क्षेत्र में मेनपुरी और सीकर में पारेषण क्षमता के वृद्धि के अधीन 400/220 केवी मेनपुरी उपकेन्द्र में 2 नं. 220 केवी लाइन बेज के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/01/2022	पारेषण टैरिफ
116	544/एमपी/2020	राजस्व शेयरिंग तंत्र के अवधारण के लिए और याचिकाकर्ता द्वारा दूरसंचार कारोबार की पूर्व सूचना देने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111, 112 और 113 के साथ पठित केविविआ (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग) के विनियम 4 और 10 के अधीन याचिका।	18/01/2022	विविध याचिका

117	481/टीटी/2020	आस्ति 1: 400 केवी ओरंगाबाद उपकेन्द्र में 300 एमवीएआर स्टेटकॉम, आस्ति 2: 400 केवी ग्वालियर उपकेन्द्र में 200 एमवीएआर स्टेटकॉम, आस्ति 3: 400 केवी सतना उपकेन्द्र में 300 एमवीएआर स्टेटकॉम, आस्ति 4: पश्चिमी क्षेत्र में स्टेटकॉम की स्थापना के अंतर्गत 400 केवी शोलापुर उपकेन्द्र में 300 एमवीएआर स्टेटकॉम के लिए टैरिफ ब्लॉक 2019-24 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/01/2022	पारेषण टैरिफ
118	449/एमपी/2019	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्रदान न करने की चुनौती देते हुए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता की निबंधन व शर्तें) विनियम 10 के विनियम 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	17/01/2022	विविध याचिका
119	24/टीटी/2021	आस्ति क: सीपत एसटीपीसी (एनटीपीसी) – बिलासपुर पीएस (पीजी) 765 केवी थर्ड एस/सी के लिए 765/400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन में 1 नं. 765 केवी लाइन बे और आस्ति ख: पश्चिमी क्षेत्र में “सीपत एसटीपीसी के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य” के अधीन 765/400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन छोर में 2 नं. 240 एमवीआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित बिलासपुर पीएस (पीजी) – राजनंद गांव (टीबीसीबी) 765 केवी डी/सी लाइन के लिए 765/400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन (पावरग्रिड) में 2 नं. 765 केवी लाइन बेज के संबंध में के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/01/2022	पारेषण टैरिफ
120	163/टीटी/2020	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजना के अनुपूरक पारेषण योजना के अंतर्गत धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी 1 और आईसीटी 2 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के टूडंगअप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/01/2022	पारेषण टैरिफ



121	595/एमपी/2020	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र और परिणामी सहायता के अधीन याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रेशन और नए प्रत्यायन के लिए राज्य नोडल एजेंसी – प्रतिवादी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और ओडीशा नवीकरण पीय ऊर्जा विकास एजेंसी को निर्देशों के लिए याचिका।	11/01/2022	विविध याचिका
122	293/जीटी/2020	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 14 के विनियम 8 अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1)(ए) के अधीन याचिका।	11/01/2022	उत्पादन टैरिफ
123	710/टीटी/2020	आस्ति 1: 765 केवी एस/सी मोगा – भिवानी पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2012) आस्ति 2: 765 केवी एस/सी जटीकलां – 765 केवी प्रणाली से संबद्ध भिवानी पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2012) आस्ति 3: 400 केवी डी/सी बमनोली – जटीकलां 765/400 केवी उपकेन्द्र में मुंडका/बवाना/के दोनों सर्किटों का लीलो (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2012) आस्ति 4: आगरा –जटीकलां 765 केवी एस/सी पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2013) और आस्ति 5: आगरा – “उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड पार्ट 1 के केन्द्रीय पार्ट के लिए 765 केवी प्रणाली” के अंतर्गत कवर किए गए मेरठ 765 केवी एस/सी पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2013) को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत 2019–24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	10/01/2022	पारेषण टैरिफ
124	297/जीटी/2020	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए विंध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (6X210 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1)(ए) के अधीन याचिका।	11/01/2022	उत्पादन टैरिफ
125	109/जीटी/2020	वित्तीय वर्ष 2019–24 के लिए ओटीपीसी 726.6 मेगावाट पलाटना परियोजना बहुवर्ष टैरिफ याचिका।	11/01/2022	उत्पादन टैरिफ

126	665/टीटी/2020	पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में उड़िसा में फेज 2 उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली के अधीन टीबीसीबी लाइन से संबद्ध पावरग्रिड कार्य के अंतर्गत आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	11/01/2022	पारेषण टैरिफ
127	273/टीटी/2020	रायबरेली एवं सितारगंज 220/132 केवी उपकेन्द्रों में पारेषण क्षमता के वृद्धि के अधीन सितारगंज एस/एस (रायबरेली से स्थानान्तरित 100 एमवीए आईसीटी) में 1X100 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी 3 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	10/01/2022	पारेषण टैरिफ
128	165/टीडी/2021	माननीय केविविआ नई दिल्ली के समक्ष पैन इण्डिया में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी 1 अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन।	10/01/2022	व्यापार
129	283/एमपी/2019	विधि घटनाओं में परिवर्तन के परिणामतः लागत में वृद्धि और राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करने के संबंध में क्रमशः उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. और टाटा पावर ट्रेडिंग लि. के साथ झज्जर पावर लि. में प्रविष्ट 7.8.2008 और 20.1.2009 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के खण्ड 4.7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और (च) के अंतर्गत विविध याचिका।	07/01/2022	विविध याचिका
130	622/जीटी/2020	5.4.2019 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन को कम करने के लिए थर्मल पावर स्टेशन के अनुसूचीकरण और उत्पादन में लोचशीलता के अधीन आंध्रप्रदेश में एनटीपीसी सिम्हाद्री में 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टाइक प्लांट के लिए परियोजना विनिर्दिष्ट स्तरीकृत टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (नवीकरण गीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 के साथ केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन याचिका।	08/01/2022	उत्पादन टैरिफ





131	408/जीटी/2020	मैथान पावर लि. के 2X525 मेगावाट मैथान राइट बैंक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की धारा 86 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 9(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 8(9) के अनुसार 1.4.2019 से 31.3.2019 से आरंभ होने वाली टैरिफ अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।	08/01/2022	उत्पादन टैरिफ
132	106/जीटी/2020	इन्दिरा सागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1000 मेगावाट) के संबंध में 2019-24 अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए और 2019 टैरिफ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के टूइंगअप के लिए याचिका।	06/01/2022	उत्पादन टैरिफ
133	124/एमपी/2021	रिफाइनरी के लिए नवीकरणीय विद्युत के 500 मेगावाट की प्राप्ति/स्रोत के उद्देश्य से नजदीकी आईएसटीएस पूलिंग स्टेशन जो खंबालिया में स्थित है, सीटीयू नेटवर्क में मोतीखाड़ी, जामनगर, गुजरात में स्थित तेल रिफाइनरी के लिए संयोजकता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता को सरल बनाने के प्रयोजन के लिए कठिनाइयों को दूर करने और रियायत के लिए इसकी विनियामक शक्तियों के प्रयोग के लिए माननीय आयोग से अनुनय करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) (छठा संशोधन) विनियम 2017 के विनियम 33 क और 33 ख तथा धारा 38 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	05/01/2022	विविध याचिका
134	252/टीटी/2020	1.2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप 3. उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 132 केवी एस/सी एनईआर वृद्धि से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04/01/2022	पारेषण टैरिफ



135	195/टीटी/2020	1.2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप 3.पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली फेज 2 कहलगांव 2 के अधीन रांची उपकेन्द्र में रांची सिपत पारेषण लाइन 400 केवी पर 40 प्रतिशत एफएससी और रांची तथा सिपत उपकेन्द्रों में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी रांची सिपत पारेषण लाइन की समन्वित आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03/01/2022	पारेषण टैरिफ
136	170/एमपी/2021	भारत सरकार की शक्ति योजना के अधीन कोयला लिंकेज के आबंटन के कारण पीपीए और टैरिफ के संशोधन के अनुमोदन के लिए धारा 79 (1) (ख) के अधीन याचिका।	04/01/2022	विविध याचिका
137	695/टीटी/2020	उत्तरी क्षेत्र से संबद्ध सलाल 2 पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03/01/2022	पारेषण टैरिफ
138	684/टीटी/2020	मुंद्रा यूएमपीपी (भाग ख) से संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण के अधीन 400 केवी मुंद्रा यूएमपीपी स्विचयार्ड और 400 केवी भुज पूलिंग स्टेशन सहित 400 केवी डी/सी मुंद्रा यूएमपीपी भुज (ट्रिपल स्नोबर्ड) सीकेटी 1 पारेषण लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03/01/2022	पारेषण टैरिफ
139	660/टीटी/2020	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुदृढीकरण एनईआरएसएस 4 योजना के अधीन मीसा उपकेन्द्र में 220 केवी साइट में एआईएस बेज और 400 केवी साइट में जीआई बेस सहित पारेषण आस्ति 1ग500 एमवीए, 400/220/33 केवी तीन फेज आईसीटी 3 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03/01/2022	पारेषण टैरिफ
140	447/टीटी/2020	पश्चिमी क्षेत्र में मुंद्रा यूएमपीपी (भाग क) से संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	03/01/2022	पारेषण टैरिफ



141	686 / टीटी / 2020	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना IX के अधीन रांची (न्यू) में 765 / 400 केवी आईसीटी (कोल्ड स्पेयर) के 500 एमवीए सिंगल फेज यूनिट के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 / 01 / 2022	पारेषण टैरिफ
142	27 / टीटी / 2021	1.2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आईपीपीएफ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए रायपुर वर्धा कारिडोर में प्रणाली सुदृढीकरण के अधीन वर्धा उपकेन्द्र और 765 केवी रायपुर पूलिंग स्टेशन में उपकरण एवं बे एक्सटेंशन सहित रायपुर पूलिंग स्टेशन वर्धा 765 केवी डी/सी सेकण्ड लाइन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
143	40 / टीटी / 2021	रैप 7 और 8 भाग ख के अधीन आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
144	6 / टीटी / 2021	बहादुरगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित लखनऊ आस्ति 4400 / 220 केवी आईसीटी में संबद्ध बेज सहित आस्ति 3500 एमवीए 400 / 220 केवी आईसीटी 2 महारानीबाग उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1 और 2 समन्वित आस्ति 500 एमवीए 400 / 220 केवी आईसीटी 3 और 500 एमवीए 400 / 220 केवी आईसीटी 4 को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र में संबद्ध बेज सहित उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XXIII के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
145	150 / एमपी / 2021	26.1.2016 के पारेषण सेवा करार के आवेदन उपबंधों के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 के विनियम 111 के साथ पठित 25.3.2021 के विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 3 / 7 / 17 / पारेषण भाग 6 के कार्यान्वयन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) के अंतर्गत याचिका।	31 / 12 / 2021	विविध याचिका

146	679/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडूंगअप 2.दक्षिण क्षेत्र में टूटीकोरिन क्षेत्र भाग ख में तटीय एनर्जन प्रा. लि. एवं इंड भारत पावर (मद्रास) लि. एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन 400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित टूटीकोरिन पूलिंग स्टेशन सलेम पूलिंग स्टेशन 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक छोर पर 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और सलेम पूलिंग स्टेशन पर बे एक्सटेंशन सहित 400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित टूटीकोरिन पूलिंग स्टेशन सलेम पूलिंग स्टेशन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/12/2021	पारेषण टैरिफ
147	317/एमपी/2019	26.12.2014 के पीपीए के अनुसार पारेषण हानियों और नियत प्रभार के गैरभुगतान के कारण याचिकाकर्ता के पक्ष में अर्जित बकाया भुगतान को रिलीज करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1/एएसईबी पर उचित निर्देशों की मांग करते हुए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच निष्पादित 26.12.2014 के अनुच्छेद 21.1..2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख), 79 (1) (घ) और 79 (1) (ट) के अंतर्गत याचिका।	31/12/2021	विविध याचिका
148	75/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न उपकेन्द्र के लिए स्प्लिट बस व्यवस्था के अधीन एनटीपीसी के कहलगांव स्विचयार्ड के स्टेज 2 साइड में मौजूदा स्थान से बिहारशरीफ सीकेटी 3 और 4 के लिए 400 केवी पारेषण लाइन आस्ति के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27/12/2021	पारेषण टैरिफ
149	135/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडूंगअप 2.पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना VI से संबद्ध समन्वित आस्ति के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	24/12/2021	पारेषण टैरिफ
150	72/जीटी/2021	1.4.2019 से 31.3.2.24 तक की नियंत्रण अवधि के लिए भाखड़ा बीज प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रचालित और व्यवस्थित उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ का अवधारण।	24/12/2021	उत्पादन टैरिफ



151	368/जीटी/2019	रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटो वाल्टिक प्लांट के लिए प्रोजेक्ट विनिर्दिष्ट स्तरीकृत टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2017 सहित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अंतर्गत याचिका।	23/12/2021	उत्पादन टैरिफ
152	211/टीटी/2020	1.2001-4 टैरिफ ब्लाक, 2004-09 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3. पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी कोल्हापुर मपुसा पारेषण लाइन सीकेटी 1 और सीकेटी 2 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	23/12/2021	पारेषण टैरिफ
153	148/एमपी/2021	चेनाब वैली में पकलडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से विद्युत के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 तथा केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 तथा केविविआ (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी को अंतरराज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 के विनियम 3 और 4 तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) और धारा 79 (1) (ट) के साथ पठित धारा 38 (2) के अधीन याचिका।	23/12/2021	विविध याचिका

154	213/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी तलचर पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2009-14 टैरिफ ब्लॉक, 2004-09 टैरिफ ब्लॉक, 2001-04 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	23/12/2021	पारेषण टैरिफ
155	208/टीडी/2021	अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें और संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत आवेदन।	22/12/2021	व्यापार
156	249/एटी/2021	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तीन वर्षों के लिए (मध्यकाल के अधीन कवर की गई) पायलट योजना 2 के अधीन 2500 मेगावाट के कुल विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	22/12/2021	टैरिफ का अंगीकार
157	25/टीटी/2021	1.2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.दक्षिण क्षेत्र में तलचर कोलार एचवीडीसी बाइपोल की अंतरण क्षमता के उन्नयन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22/12/2021	पारेषण टैरिफ
158	49/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में कडप्पा, नेलोर पीएस, कुरनूल, रायचूर और तिरुवलम में बस रिएक्टर के स्थापन के अधीन तिरुवलम एस/एस में संबद्ध बेज सहित 2ग240 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22/12/2021	पारेषण टैरिफ
159	118/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ 2.एनआएसएस-XXXVIII से संबद्ध बेज और आईसीटी के अधीन 400 केवी डी/सी निमराना धनोनदा पारेषण लाइन के समाप्ति के लिए निमराना उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज के 2 नं. आस्ति 1 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22/12/2021	पारेषण टैरिफ



160	178/एटी/2021	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के 25.6.2020 के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से संबद्ध 970 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना (ट्रेन्चे IX) (ब्लेंडिंग सौर ऊर्जा के विकल्प सहित) के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	22/12/2021	टैरिफ का अंगीकार
161	298/जीटी/2019	नीपको, शिलांग के असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (जीटी 6 X 33.5 मेगावाट + एसटी 3X30 मेगावाट = 291 मेगावाट) के संबंध में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित कुल व्यय के संबंध में 2014-19 अवधि के लिए टूटिंगअप कार्य करते हुए 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अध्याय 3 के 8(1), 8(2) और 8(3) तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के संबद्ध उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) के अंतर्गत याचिका।	21/12/2021	उत्पादन टैरिफ
162	210/एटी/2021	विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 3.8.2017 के मानक बोली मार्गनिर्देश और उसके संशोधन के अनुसार राजस्थान में नोकसोर पार्क (खुली श्रेणी के अंतर्गत) में 190 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर पीवी पावर परियोजना से पावर की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाए गए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	21/12/2021	टैरिफ का अंगीकार
163	179/एटी/2021	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के 14.10.2020 के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन की गई और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 1110 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट (ट्रेन्चे 3) के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	21/12/2021	टैरिफ का अंगीकार
164	199/एमपी/2020	याचिकाकर्ता को संदेही और फीस और प्रभारों के लिए याचिका जिसे केविविआ (विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार) विनियम 2019 में वर्णित ग्रिड प्रचालन संबद्ध प्रभार के व्यवस्थापन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए विद्युत के आयात/निर्यात (क्रॉसबार्डर) 2018 के लिए मार्गनिर्देशों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यवस्थापन नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया।	20/12/2021	विविध याचिका
165	121/एमपी/2017	विधि घटनाओं में परिवर्तन की आवृत्ति के कारण सीजीपीएल की लागत/राजस्व में वृद्धि/कमी के लिए टैरिफ के समायोजन की मांग करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के खण्ड 4.7 और 22.4.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79 (1) (ख) के अधीन याचिका।	20/12/2021	विविध याचिका

166	157/एमपी/2015	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के कारण कोस्टल गुजरात पावर लि. के राजस्व/लागतों में वृद्धि/कमी के लिए टैरिफ के समायोजन की मांग करते हुए याचिका।	20/12/2021	विविध याचिका
167	448/टीटी/2020	1.2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप 3.पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी जयपौर तलचर पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	20/12/2021	पारेषण टैरिफ
168	18/आरपी/2021 पद 33/ टीटी/2019	याचिका संख्या 33/टीटी/2019 में 7.2.2021 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) और (च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका।	20/12/2021	पुनरीक्षण याचिका
169	108/जीटी/2020	2014-19 टैरिफ अवधि के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कं. लि. (726.6 मेगावाट) की समन्वित साइकल गैस आधारित पलाटना पावर प्रोजेक्ट के टूइंगअप के लिए याचिका।	18/12/2021	उत्पादन टैरिफ
170	15/आरपी/2020 in 281/जीटी/ 2018	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 (1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1) (च) के अधीन 29.6.2010 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सेवा 2 एचई प्रोजेक्ट (3X40 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन मामले में माननीय आयोग द्वारा पारित 5.2.2020 के आदेश का पुनरीक्षण।	16/12/2021	पुनरीक्षण याचिका
171	333/एमपी/2018	भारतीय रेल बिजली कं. लि. द्वारा यथाघोषित उत्पादन केन्द्र के यूनिट 1 और 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वैधता के संबंध में केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के 6.3 क और 6.3 ख के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के अंतर्गत याचिका।	15/12/2021	विविध याचिका
172	176/एमपी/2021	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 30.7.2018 की अधिसूचना सं. 1/18 कस्टम (एसजी) द्वारा रक्षोपाय ड्यूटी को लगाने अर्थात् विधि घटना में परिवर्तन के कारण राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता और एनटीपीसी के बीच 5.7.2018 के अनुच्छेद 12.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (क) और 79 (1) (ख) के अंतर्गत याचिका।	16/12/2021	विविध याचिका





173	156/एमपी/2021	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 30.7.2018 की अधिसूचना सं. 1/18 कस्टम (एसजी) द्वारा रक्षोपाय ड्यूटी को लगाने अर्थात् विधि घटना में परिवर्तन के कारण राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता और एनटीपीसी के बीच 17.7.2018 के अनुच्छेद 12.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (क) और (ख) के अंतर्गत याचिका।	16/12/2021	विविध याचिका
174	626/एमपी/2020	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 30.7.2018 की अधिसूचना सं. 1/18 कस्टम (एसजी) द्वारा रक्षोपाय ड्यूटी को लगाने अर्थात् विधि घटना में परिवर्तन के कारण राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता और एनटीपीसी के बीच 5.7.2018 के अनुच्छेद 12.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (क) और (ख) के अंतर्गत याचिका।	16/12/2021	विविध याचिका
175	41/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2.दक्षिण क्षेत्र में टूटीकोरिन क्षेत्र भाग क में तटीय एनर्जन प्रा. लि. एवं इंड भारत पावर (मद्रास) लि. एलटीओए से संबद्ध सामान्य प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15/12/2021	पारेषण टैरिफ
176	251/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में सीटीपी वृद्धि के अधीन हैदराबाद और 50 एमवीएआर रिएक्टर कुदप्पा में 315 एमवीए 400/220 केवी आटो ट्रांसफार्मर के समन्वित घटकों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के टूडंगअप 2009-14 टैरिफ ब्लॉक 2004-09, 2001-04 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14/12/2021	पारेषण टैरिफ
177	214/टीटी/2020	1.2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेज 1 एक्सटेंशन परियोजना 2ग50 मेगावाट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14/12/2021	पारेषण टैरिफ



178	44 / टीटी / 2021	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंगअप 2. उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड भाग 2 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली के अधीन आस्तियों को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
179	217 / टीटी / 2020	क. गूटी में गूटी नीलमंगला लाइन 2 पर 40 प्रतिशत नियत सीरिज क्षतिपूर्ति ख. दक्षिण क्षेत्र में 400 केवी लाइन पर नियत सीरिज क्षतिपूर्ति के अधीन कडप्पा में सर्किट 2 और गूटी, कडप्पा नागार्जुन सागर सर्किट 1 में गूटी नीलमंगला लाइन 1 पर 40 प्रतिशत नियत सीरिज क्षतिपूर्ति के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंगअप, 2004-09 और 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
180	668 / टीटी / 2020	दक्षिण क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता की वृद्धि के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
181	15 / टीटी / 2021	आस्ति 1: जालंधर एस/एस में सांबा एस/एस और 2 नं. 400 केवी लाइन बेज में 2 नं. 400 केवी लाइन बेज आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XXIX के अंतर्गत सांबा एस/एस में सांबा एस/एस एवं 2 नं. 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर में 2 नं. 400 केवी लाइन बेज के लिए 2019-24 के लिए 2014-19 टैरिफ टूड़ंगअप	13 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
182	646 / टीटी / 2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंगअप 2.पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनईआरएसएस III के अधीन 132 केवी उपकरण के प्रतिस्थापन सहित 160 एमवीए 220 / 132 केवी आईसीटी बलिपुर उपकेन्द्र में मौजूदा 1 नंबर 50 एमवीए 220 / 132 केवी आईसीटी के प्रतिस्थापन पारेषण आस्ति के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ



183	12/टीटी/2020	1.2001-4 टैरिफ ब्लॉक, 2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूटिंगअप 3.उत्तरी क्षेत्र में विशेष ऊर्जा मीटरों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13/12/2021	पारेषण टैरिफ
184	614/एमपी/2020 में 20/आरपी/2021	अदानी पावर (मुंद्रा) लि. द्वारा दाखिल याचिका सं. 614/एमपी/20 में आईए सं. 64/आईए/20 में केविविआ के 28.6.2021 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 (1) और सिविल क्रियाविधि 1908 के कोड के नियम 1 आदेश 47 के साथ पठित धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	13/12/2021	पुनरीक्षण याचिका
185	174/एटी/2021	3.8.2017 के विद्युत मंत्रालय के मानक बोली मार्गनिर्देश के अनुसार 5.3.2019 के केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम योजना फेज 2 के अधीन प्रतिस्पर्धात्मक बोली क्रियाविधि के माध्यम से चुनिंदा और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 1692 एमवी सोलर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन (ट्रेन्चे) के लिए उपयोग प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत याचिका।	13/12/2021	टैरिफ का अंगीकार
186	438/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए फिरोजगांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (420 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	13/12/2021	उत्पादन टैरिफ
187	180/एमपी/2020	अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 और 5 नवंबर 2015 से 31.3.2016 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तैयार करना।	08/12/2021	विविध याचिका
188	475/टीटी/2020	आस्ति 1: देहरादून और अब्दुल्ला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित देहरादून अब्दुल्लापुर पारेषण लाइन का 400 केवी डी/सी क्वेद सर्किट 1 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2018) आस्ति 2: देहरादून और अब्दुल्ला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित देहरादून अब्दुल्लापुर पारेषण लाइन का 400 केवी डी/सी क्वेद सर्किट 2 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2018) आस्ति 3: किशनपुर में संबद्ध बेज सहित 400केवी डी/सी क्वेद दुलहस्ती किशनपुर सिंगल सर्किट स्ट्रिंग (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 23.1.2018) आस्ति 4: उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस योजना-XXIV के अधीन 63 एमवीएआर 400 केवी लाइन रिएक्टर बलिया पीजी उपकेन्द्र एक्सटेंशन का 2 नंबर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2014) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08/12/2021	पारेषण टैरिफ

189	284 / आरसी / 2019 में 19 / आरपी / 2020 in	याचिका सं. 284 / आरसी / 2019 में 30.12.2019 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अंतर्गत याचिका।	06 / 12 / 2021	पुनरीक्षण याचिका
190	222 / एमपी / 2021	भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि. में क्रासबार्डर कंट्रैक्ट की शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम 2021 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अंतर्गत याचिका।	06 / 12 / 2021	विविध याचिका
191	218 / एमपी / 2021	भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के कारोबार नियम में संशोधनों के अनुमोदन के लिए केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम 2021 विनियम 19 के अनुपालन में आवेदन।	06 / 12 / 2021	विविध याचिका
192	514 / टीटी / 2019	दक्षिण क्षेत्र में आईएलएण्डएफएस (2X600 मेगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए आकस्मिकता से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	06 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
193	134 / टीटी / 2020	1. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2. श्रीकाकुलम क्षेत्र पार्ट ए में एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि. और पूर्वी कोष्ठ ऊर्जा प्रा. लि. से संबद्ध सामान्य प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ
194	122 / टीटी / 2020	1.2001-4 टैरिफ ब्लॉक, 2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.आस्ति 1 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण 220 केवी डी / सी फरीदाबाद संबद्ध बेज सहित समयपुर पारेषण लाइन और उत्तरी क्षेत्र में फरीदाबाद गैस आधारित समन्वित साइकिल पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी / सी फरीदाबाद पल्ला पारेषण लाइन के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 / 12 / 2021	पारेषण टैरिफ



195	211/टीटी/2018	विद्युत क्रय करारों की प्रभावी तारीख के बाद याचिकाकर्ता द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त आवर्ती व्यय के परिणामतः सेवा कर की दर में परिवर्तन और केन्द्रीय स्तर पर माल एवं सेवा कर विधियों की शुरुआत से विधि में परिवर्तन के कारण सहायता की माग करते हुए 10.1.2011 के एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. और याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	30/11/2021	विविध याचिका
196	691/टीटी/2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेष टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण समन्वित आरिस्त 1 के लिए 1.765 केवी एस/सी बिना ग्वालियर पारेषण लाइन 2.315 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी 1 सहित ग्वालियर एस/एस में संबद्ध बेज 3.संबद्ध बेज सहित भटपाड़ा उपकेन्द्र में 400 केवी एस/सी कोरबा रायपुर लाइन का लीलो 4. संबद्ध बेज सहित 400 केवी खण्डवा राजगढ़ सीकेटी 2 और सियोनी एस/एस में 765/400 केवी आईसीटी 3, 5. संबद्ध बेज और 63 एमवीएआर बस रिएक्टर बिना एस/एस सहित 400 केवी खण्डवा राजगढ़ सीकेटी 1, 6.ग्वालियर उपकेन्द्र में 400 केवी आईसीटी 2, 7. पश्चिमी क्षेत्र में सिपत 2 पारेषण प्रणाली के अधीन भटपाड़ा उपकेन्द्र में 400/220 केवी आईसीटी 2 (प्रभावी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 5.5.2008) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	30/11/2021	पारेषण टैरिफ
197	661/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में वेमागिरी से आगे पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबद्ध उपकेन्द्र कार्य के अधीन कुडप्पा 2 नंबर 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर में चिलाकालुरिपेटा कुदप्पा 765 डी/सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर 1 नंबर 240 एमवीए स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 2 नंबर 765 केवी लाइन बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2024 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	30/11/2021	पारेषण टैरिफ

198	324 / टीटी / 2020	आस्ति 1: एनएचपीसी में बेज सहित 400 केवी एस/सी यूरी 1, यूरी 2 इन्टरकनेक्टर पारेषण लाइन, आस्ति 2: वगुरा उपकेन्द्र में बेज सहित 400 केवी एस/सी यूरी 2 वगुरा पारेषण लाइन, आस्ति 3: उत्तरी क्षेत्र में यूआरआई 2 एचईपी पारेषण प्रणाली के अधीन किशनपुर उपकेन्द्र में 400 केवी 80 एमवीएआर बस रिएक्टर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप, केविविआ (निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	30 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ
199	221 / एमपी / 2019	1.1.2016 से 31.3.2019 तक की अवधि के दौरान दुलहस्ती पावर स्टेशन में केन्द्रीय विद्यालय और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों और इसके कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव की वसूली के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 79, 111 और 114 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अधीन याचिका।	13 / 11 / 2021	विविध याचिका
200	667 / टीटी / 2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2.उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इण्डिया (एनईआर) और बांग्लादेश भारतीय भाग के बीच पारेषण आस्ति रेडियल इन्टरकनेक्शन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ
201	712 / टीटी / 2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2.उत्तरी क्षेत्र में बेरासूल से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ



202	289/टीटी/2020	क.400 केवी डी/सी दुलहस्ती किशनपुर पारेषण लाइन संबद्ध बेज सहित, ख.किशनपुर और वगुरा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी किशनपुर वगुरा पारेषण लाइन, ग.उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती पारेषण प्रणाली के अधीन किशनपुर में आईसीटी के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप, टैरिफ ब्लाक 2004-09, टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29/11/2021	पारेषण टैरिफ
203	198/टीडी/2021	रिन्यू एनर्जी मार्केट प्रा. लि. के लिए विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	28/11/2021	व्यापार
204	75/एमपी/2019	विधि में परिवर्तन के कारण राहत की मांग करते हुए अर्थात् अन्य बातों के साथ साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना से संबंधित माल एवं सेवा कर दर को प्रभावी रूप से संशोधित करते हुए और 1.1.2019 से याचिकाकर्ता द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त गैर आवर्ती व्यय के होने से वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2018 का 24 और 27 केन्द्रीय कर (दर) और 2018 का 25 और 28 एकीकृत कर (दर) दिनांक 31.12.2018 के कारण राहत की मांग करते हुए 31.10.2018 की याचिकाकर्ता और सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. द्वारा निष्पादित विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 और विद्युत अधिनियमक 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	28/11/2021	विविध याचिका
205	328/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप 2.दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु भाग क 1 (क) के नागापटिनम कुदालोरे क्षेत्र में आईएसजीएस से संबद्ध सामान्य पारेषण योजना के अधीन आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	26/11/2021	पारेषण टैरिफ

206	200/एमपी/2019	1.केविविआ (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी को अंतरराज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 2.केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के 111 और 114 और 3.दक्षिण क्षेत्र में सौर एवं पवन ऊर्जा अंचलों के 18.5 जीडब्ल्यू के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) सहित अधिनियम की धारा 79 (1) (ग) और धारा 79 (1) (ट) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38 (2)	26/11/2021	विविध याचिका
207	598/एमपी/2020	विद्युत आपूर्ति करार के अनुच्छेद 39.1 के साथ पठित 26.12.2014 के विद्युत आपूर्ति करार के अनुच्छेद 34 के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति के दावे के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अंतर्गत याचिका।	24/11/2021	विविध याचिका
208	463/TT/2020	टैरिफ ब्लाक 2019-24 अवधि के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अनुसार केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 में यथाप्रदत्त पीओसी प्रभारों में समावेशन के लिए याचिका संख्या 15/स्वप्रेरण II/2012 में 14.3.2012 के केविविआ के आदेश के अनुसार विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक पारेषण लाइनों में हस्तक्षेप करने और अन्य राज्यों के साथ संबद्ध पीटीसीयूएल स्वामित्व पारेषण लाइनों/प्रणाली के संबंध में टैरिफ का अनुमोदन।	25/11/2021	पारेषण टैरिफ
209	321/टीटी/2020	1.2001-04 टैरिफ ब्लाक 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 3. 400 केवी विंध्यांचल, कोरबा, एससी पारेषण लाइन (आस्ति 1) 400 केवी इटारसी इंदौर एससी पारेषण लाइन 1 (आस्ति 2) 400 केवी विंध्यांचल जबलपुर डी/सी पारेषण लाइन 1 (आस्ति 3) 400 केवी जबलपुर इटारसी डी/सी पारेषण लाइन 1 (आस्ति 4) और पश्चिमी क्षेत्र में विंध्यांचल स्टेज 1 पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी इंदौर असोज एस/सी पारेषण लाइन 2 (आस्ति 5) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.1992) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22/11/2021	पारेषण टैरिफ





210	719/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ ब्लॉक का टूड़ंगअप और 2.आस्ति 1 क 400 केवी इलाहाबाद मेजा लाइन 1 तथा 1 नंबर 400 केवी इलाहाबाद बे (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 10.11.2016) आस्ति 1 ख मेजा टीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी इलाहाबाद मेजा लाइन 2 सहित 1 नंबर 400 केवी इलाहाबाद बे (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 10.2.2017) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25/11/2021	पारेषण टैरिफ
211	235/एमपी/2019	1.1.2016 से 31.3.2019 तक की अवधि के दौरान चमेरा 1 पावर स्टेशन में केन्द्रीय विद्यालय/दयानंद एंग्लो वेदिक और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों और इसके कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव की वसूली के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 79, 111 और 114 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अधीन याचिका।	22/11/2021	विविध याचिका
212	162/एमपी/2021	याचिकाकर्ता संख्या 1 पारेषण प्रोजेक्ट के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 (इसके समानुदेशी, अंतरिती, नोवेड सहित) के पक्ष में याचिकाकर्ता संख्या 1 आस्ति पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और 17 (4) के अधीन प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए अनुमोदन के लिए याचिका।	21/11/2021	विविध याचिका
213	196/टीटी/2021	उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएसए-XXXV के अधीन एक अर्थवायर के स्थान पर कोपी जीडब्ल्यू और दोनों छोरों में संचार उपकरण सहित 400 केवी डी/सी महेन्द्रगढ़ भिवानी पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/11/2021	पारेषण टैरिफ



214	50 / टीटी / 2020	<p>आस्ति 1: पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अधीन समन्वित आस्तियां (पहले तला अनुपूरक योजना का भाग) और आस्ति 2: ईआरएसएस 15 के अधीन 400 केवी एस/सी सागरदिघी सुभाषग्राम टीएल के सुभाषग्राम छोर में स्विचबल लाइन रिएक्टर में 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर का संपरिवर्तन अब टैरिफ पूर्वी क्षेत्र में याचिका संख्या 259/टीटी/2018 में 12.9.2018 के केविविआ आदेशानुसार पूर्वी क्षेत्र के प्रणाली सुदृढीकरण योजना (पहले तला अनुपूरक योजना का भाग) के अधीन दावा किया जा रहा है, के 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडूंगअप, 2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	21 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ
215	215 / टीटी / 2020	<p>4.2001-4 टैरिफ ब्लॉक, 2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 5.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडूंगअप 6.पूर्वी पश्चिमी अंतर प्रादेशिक लिंक के अधीन रायपुर और राउरकेला एक्सटेंशन सहित 400 केवी डीसी रायपुर राउरकेला पारेषण लाइन 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	20 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ
216	241 / एमपी / 2021	<p>9.1.2022 से आगे के एपीपी 3 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक या 9.7.2022 जो भी पहले हो, के विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन स्टार्टअप पावर के आहरण सहित इनफर्म पावर अंतःपरिवर्तन को जारी रखने के लिए आयोग की अनुमति की मांग करना।</p>	19 / 11 / 2021	विविध याचिका
217	714 / टीटी / 2020	<p>आस्ति 1 क: 400 केवी बरेली मंडोला सीकेटी 1 और बरेली में सीकेटी 2 पर 30 प्रतिशत एफएससी ख. उन्नाव में 400 केवी डी/सी उन्नाव बरेली सीकेटी 1 और सीकेटी 2 उन्नाव पर 45 प्रतिशत एफएससी ग. लखनऊ में 400 केवी गोरखपुर, लखनऊ सीकेटी 1 पर 30 प्रतिशत एफएससी, आस्ति 2: लखनऊ में 400 केवी गोरखपुर लखनऊ सीकेटी 2 पर 30 प्रतिशत एफएससी को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र के पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर की पारेषण क्षमता की वृद्धि से संबद्ध प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडूंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	18 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ



218	444/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (500 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9 अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) 1999 के अध्याय V के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन याचिका।	17/11/2021	उत्पादन टैरिफ
219	553/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में फिरोज गांधी उनचाहर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 (1X500) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
220	545/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (2X500) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
221	510/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में सिंगरोली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
222	501/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में फिरोजगांधी उनचाहर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1X210 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
223	499/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (980 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका

224	496/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में फिरोजगांधी उनचाहर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2X210 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
225	414/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी स्टेज 1 (840 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
226	267/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में फिरोज गांधी उनचाहर पावर स्टेशन स्टेज 1 (2X210 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
227	66/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1000 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
228	502/एमपी/2019	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में तांडा थर्मल पावर स्टेशन (440 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	17/11/2021	विविध याचिका
229	501/एमपी/2019	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (1000 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन	17/11/2021	विविध याचिका
230	400/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए दादरी गैस पावर स्टेशन (829.78 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	13/11/2021	उत्पादन टैरिफ



231	114 / टीडी / 2021	विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार प्रदान करने के लिए केविआ (व्यापार अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन।	17 / 11 / 2021	व्यापार
232	6 / एसएम / 2021	थर्मल उत्पादन केन्द्रों के संबंध में 7.12.2015 को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2015 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में उत्पादन कंपनियों द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन के कारण क्षतिपूर्ति अवधारित करने के लिए तंत्र।	15 / 11 / 2021	स्वप्रेरणा
233	468 / एमपी / 2019	1.विधि में परिवर्तन का अनुमोदन और 2.महिन्द्रा नवीकरणीय प्रा. लि. और दिल्ली रेल कार्पोरेशन के बीच 17.4.2017 के विद्युत क्रय करार और महिन्द्रा नवीकरणीय प्रा. लि. और एमपी मैनेजमेंट पावर कं. लि. के बीच 17.4.2017 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 17 के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा विनियमित सेवा कर अधिनियम और राज्य माल तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की शुरुआत के कारण पूंजी लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए परिणामी राहत के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के साथ पठित धारा 79 (1) (ख) के अधीन याचिका।	12 / 11 / 2021	विविध याचिका
234	233 / एमपी / 2021	प्रतिवादी सं. 1 को याचिकाकर्ता द्वारा 25.10.2019 को जारी की गई आईएनआर 50000000 रकम की संयोजकता बैंक गारंटी सं. 007बीजी0729980002 को रिलीज करने की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	13 / 11 / 2021	विविध याचिका
235	225 / एमपी / 2021	प्रतिवादी सं. 1 / सीटीयूआईएल को याचिकाकर्ता द्वारा 13.8.2018 को जारी की गई आईएनआर 50000000 (केवल पांच करोड़ रुपये) रकम की संयोजकता बैंक गारंटी सं. 007बीजी 0729980002 को रिलीज करने की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	13 / 11 / 2021	विविध याचिका
236	224 / एमपी / 2021	प्रतिवादी सं. 1 / सीटीयूआईएल को याचिकाकर्ता द्वारा 13.8.2018 को जारी की गई आईएनआर 50000000 (केवल पांच करोड़ रुपये) रकम की संयोजकता बैंक गारंटी सं. 007बीजी 0729980003 को रिलीज करने की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	13 / 11 / 2021	विविध याचिका

237	231 / एमपी / 2021	पीजीसीआईएल / सीटीयूआईएल को याचिकाकर्ता द्वारा 18.12.2020 को जारी की गई आईएनआर 50000000 (केवल पांच करोड़ रुपये) रकम की संयोजकता बैंक गारंटी सं. 007बीजी 07192980001 को रिलीज करने की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	12 / 11 / 2021	विविध याचिका
238	197 / एमपी / 2018	13.6.2013 के केरल राज्य विद्युत बोर्ड (पीपीए) के साथ पीटीसी द्वारा निष्पादित बेक टू बेक विद्युत क्रय करार के अनुसार याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 2 के बीच निष्पादित 8.3.2013 के विद्युत क्रय करार (पीटीसी-पीपीए) के कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाले घरेलू कोयले की वृद्धि दरों में संशोधन के कारण वृद्धि योग्य ऊर्जा प्रभागों की वसूली की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	11 / 11 / 2021	विविध याचिका
239	92 / एमपी / 2020	पारेषण प्रभागों के दावों के लिए पीजीसीआईएल द्वारा जारी 8.11.2019 के पत्र और 7.11.2019 के पत्र और इनवॉयस को रद्द करने की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करना, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 14 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग), 79 (1) (घ) और 79 (1) (ट) के अंतर्गत याचिका।	11 / 11 / 2021	विविध याचिका
240	214 / एमपी / 2019	निर्बाध पहुंच के गलत रद्द गलत करने का प्रतिवाद करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करना, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग), 79 (1) (घ) के अंतर्गत याचिका	09 / 11 / 2021	विविध याचिका
241	80 / टीटी / 2016	याचिका सं. 133 / एमपी / 2012 के लिए 31 जनवरी 2013 के माननीय केविविआ के आदेश के अनुसार 400 केवी श्रीनगर उपकेन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अनुज्ञाप पारेषण कारोबार के लिए टैरिफ के अवधारण और वार्षिक नियत लागत के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62 और 79 (1) (ग) और 79 (1) (घ) के अंतर्गत अनुमोदन।	09 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ
242	265 / टीटी / 2019	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अनुसार पीओसी तंत्र में समावेशन के लिए 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ आंध्र प्रदेश लि. स्वामित्व की पारेषण लाइनों / प्रणाली के लिए बेज सहित दो राज्यों को जोड़ने वाली अंतरराज्यिक पारेषण लाइनों के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।	07 / 11 / 2021	पारेषण टैरिफ



243	616/एमपी/2020	गुजरात में खावदा क्षेत्र और धुलेरा यूएमएसपी फेज 1 2जीडब्ल्यू में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा अंचल से 8 जीडब्ल्यू पावर की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन के विनियामक अनुमोदन प्रदान करना।	08/11/2021	विविध याचिका
244	288/जीटी/2020	ट्रूइंगअप के बाद 1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए दादरी गैस पावर स्टेशन (829.78 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण।	07/11/2021	उत्पादन टैरिफ
245	141/टीटी/2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप 3.क.वेमागिरी में 400 केवी डी/सी गजुवाका विजयवाडा लाइन के दोनों सर्किट का लीलो ख. दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण 6 के अधीन विजयवाडा में 400/220 केवी उपकेन्द्र का विस्तार के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08/11/2021	पारेषण टैरिफ
246	9/एसएम/2021	अटरिया एनर्जी सर्विसेज प्रा. लि. को केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 का गैर अनुपालन	03/11/2021	स्वप्रेरणा
247	8/एसएम/2021	नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग सर्विस लि. को केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 का गैर अनुपालन	03/11/2021	स्वप्रेरणा
248	588/टीटी/2020	पावरलिंक्स पारेषण लि. के उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली और उत्तर-पूर्व इन्टर-कनेक्टर, तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबद्ध उत्तर-पूर्वी अंतर-क्षेत्र में मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-19 का ट्रूइंगअप और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 8 (1) के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-24 अवधि के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार के अनुमोदन के लिए टैरिफ याचिका।	02/11/2021	पारेषण टैरिफ
249	95/एमपी/2021	याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा किसी बाध्यकारी से अंतरिम राहत सहित पूर्व शर्तों की पूर्ति के लिए टाइमलाइन के विस्तार निर्देशों की मांग करते हुए अन्य बातों के साथ साथ विद्युत बिक्री करार दिनांक 25.3.2019 (अनुपूरक करारों सहित) तथा 8.4.2019 के विद्युत क्रय करार के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 68 के साथ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) और 79 (1) (ट) के अंतर्गत दाखिल याचिका।	01/11/2021	विविध याचिका

250	522 / एमपी / 2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में केहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (4X210 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31 / 10 / 2021	विविध याचिका
251	517 / एमपी / 2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में केहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (1500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31 / 10 / 2021	विविध याचिका
252	508 / एमपी / 2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 और 2 (1500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31 / 10 / 2021	विविध याचिका
253	342 / एमपी / 2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1X500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31 / 10 / 2021	विविध याचिका
254	333 / एमपी / 2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (1000 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31 / 10 / 2021	विविध याचिका
255	183 / एमपी / 2020	7.12.2015 की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुपालन में बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2X660 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय की अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	31 / 10 / 2021	विविध याचिका





256	708/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूडिंगअप 2.रायबरेली एस/एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 19.2.2018) में 1X200 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी 2 द्वारा 1X00 एमवीए 220/132 केवी का प्रतिस्थापन, आस्ति 2: रायबरेली और सितारगंज 220/132 उपकेन्द्रों में रूपांतरण क्षमता की वृद्धि के अधीन रायबरेली एस/एस में 1X200 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी 3 द्वारा 1X100 एमवीए, 220/132 केवी का प्रतिस्थापन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2017) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/10/2021	पारेषण टैरिफ
257	669/टीटी/2020	1. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंगअप और 2. दक्षिण क्षेत्र में कुदप्पा, नेलोर पी/एस, कुरनूल, रायचूर और तिरुवलम में बस रिएक्टर के स्थापन के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/10/2021	पारेषण टैरिफ
258	131/टीटी/2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंगअप 3.उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड भाग क. पारेषण प्रणाली के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रणाली सुदृढीकरण 6 के अधीन संबद्ध बेज सहित आस्ति 1, 400 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग डी/सी कोटा मैरता पारेषण लाइन सीकेटी 1 और 2 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/10/2021	पारेषण टैरिफ
259	610/टीटी/2020	पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण संबद्ध विंध्यांचल 5 के लिए 19.11.2014 के विधि में परिवर्तन अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12, अपरिहार्य कारण के अधीन राहत प्रदान करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 और 79 (1) (ग) और (घ) के अधीन याचिका।	28/10/2021	विविध याचिका



260	133/टीटी/2020	1.2001-4 टैरिफ ब्लॉक, 2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.दक्षिण क्षेत्र में नेवेली टी/एस 1 से संबद्ध नेवेली टीपीएस 1 विस्तार स्विचयार्ड पारेषण प्रणाली में मौजूदा नेवेली त्रिचि 400 केवी डी/सी लाइन के एक सर्किट का लीलो के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28/10/2021	पारेषण टैरिफ
261	380/टीटी/2020	1.2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2. 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3. आस्ति 1: को शामिल करते हुए पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र दोनों में उत्तरी पश्चिमी कॉरिडोर सुदृढीकरण योजना से संबद्ध प्रणाली के लिए और आस्ति 2: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी जेरदा कंकरोली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27/10/2021	पारेषण टैरिफ
262	100/एमपी/2019	याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. के बीच निष्पादित 8.11.2017 के अनुपूरक करार और 13.4.2016 के विद्युत की प्राप्ति के लिए करार से उद्भूत विवादों के अधिनिर्णय की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (क) (घ) के अधीन याचिका।	27/10/2021	विविध याचिका
263	391/एमपी/2018	8.11.2017 के अनुपूरक करार के साथ पठित उत्तर प्रदेश के उत्तरी रेलवे और जिंदल इण्डिया थर्मल पावर लि. के बीच 13.4.2016 के विद्युत की प्राप्ति के लिए करार।	27/10/2021	विविध याचिका
264	547/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2. उत्तरी क्षेत्र में बस रिपेक्टर के योजना उपबंध के अधीन समन्वित आस्ति के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	20/10/2021	पारेषण टैरिफ
265	128/एमपी/2021	सामूहिक संव्यवहारों के लिए पारेषण प्रभारों के उदग्रहण और संगणना के संबंध में स्पष्टीकरण और निर्देशों के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 के विनियम 11, 27 और 28 और अन्य विनियमों के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) और (घ) के अधीन याचिका।	27/10/2021	विविध याचिका



266	410/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए रत्नगिरी पावर स्टेशन (1967.08 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 9, अध्याय 5 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9, अध्याय 3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन याचिका।	25/10/2021	उत्पादन टैरिफ
267	704/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूटगंगाप और 2.पश्चिमी क्षेत्र में एमवी पावर लि. (एमपी) की संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन आरिस्ट बी 1 एमवीटीपीएस (अनूपुर) जबलपुर पूलिंग स्टेशन 400 केवी डी/सी ट्रिपल स्नोबर्ड तथा जबलपुर पूलिंग स्टेशन में 2 नंबर 50 एमवीएआर बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 2 नं. लाइन बेज के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	24/10/2021	पारेषण टैरिफ
268	560/एमपी/2020	विविध घटनाओं में विविध परिवर्तन के कारण किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए याचिका सं. 189/एमपी/2016 में पारित 13.12.2017 के आदेश में माननीय आयोग द्वारा प्रदान की गई लिबर्टी के अनुसार और 23.8.1013 के पीपीए के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और (घ) के अधीन याचिका।	24/10/2021	विविध याचिका
269	18/एमपी/2019	सीपीएल और मध्यस्थता के लिए प्राप्तकर्ताओं के बीच विवादों के संदर्भ की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और कोस्टल आंध्र पावर लि. के बीच 23.3.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	23/10/2021	विविध याचिका
270	एमपी/156/2014	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और अदानी पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	24/10/2021	विविध याचिका
271	347/एमपी/2020	1.1.2016 से 31.3.1019 की अवधि के दौरान टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट (4x250 मेगावाट) में न्यूनतम वेतन और प्रतिभूति व्यय, जीएसटी के प्रभाव, कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव की वसूली।	23/10/2021	विविध याचिका
272	309/जीटी/2015 में 3/आरपी/2020	याचिका सं. 309/जीटी/2015 में पारित आदेश की पुनरीक्षण के लिए सिविल क्रियाविधि कोर्ट 1908 के आदेश 47 नियम 1 साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (घ) के अधीन याचिका।	23/10/2021	पुनरीक्षण याचिका

273	191/एमपी/2021	कोहिमा, मरियाना ट्रांसमिशन लि. द्वारा रखे गए और निर्मित प्रचालित पारेषण प्रोजेक्ट की कार्य पूंजी अपेक्षाओं के वित्त पोषण के संबंध में अन्य दस्तावेजों और प्रतिभूति सृजित करने वाले दस्तावेजों के अनुमोदन के लिए और कोहिमा मरियानी ट्रांसमीशन लि. की सभी चल और अचल आस्तियों के निर्धारण या दृष्टिबंधक, प्रभार द्वारा प्रतिभूति ब्याज के सृजन/विस्तार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करने के लिए याचिका।	23/10/2021	विविध याचिका
274	184/एमपी/2021	याचिकाकर्ता के पारेषण प्रोजेक्ट के संबंध में प्रतिवादी सं. 14 (ऋणदाता के लाभ के लिए कार्य करने वाले) के पक्ष में याचिकाकर्ता की आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका।	23/10/2021	विविध याचिका
275	177/एमपी/2021	याचिका सं. 86/एमपी/2018 में 10.4.2018 के आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित मौजूदा ऋणदाताओं के संघ के गठन के परिवर्तन के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिनांक 22.9.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15 के साथ 28.12.2020 के प्रतिभूति न्यासी करार के खण्ड 11.6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन।	23/10/2021	विविध याचिका
276	104/एमपी/2017	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा वितरण निगम लि. और अदानी पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 13 (विधि में परिवर्तन) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	23/10/2021	विविध याचिका
277	129/एमपी/2021	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) और 79 (1) (च) और 79 (1) (ट) के अधीन याचिका।	23/10/2021	विविध याचिका
278	174/एमपी/2020	फ्लाई एश के परिवहन के लिए प्रभारों की उदग्रहण के कारण क्षतिपूर्ति के लिए क्रमशः महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, तमिलनाडु राज्यों में वितरण कंपनियों और जीएमआर वरौरा एनर्जी लि. के बीच निष्पादित 17.3.2010, 21.3.2.13 और 27.11.2013 के अनुच्छेद 10 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली (प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश) के माध्यम से विद्युत के सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासित करने वाली प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	22/10/2021	विविध याचिका
279	604/एमपी/2020	केविविवि (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई एनआरएसएस-XXXI क के 4.9.2014 के पारेषण अनुज्ञप्ति सं.30/पारेषण/2014/केविविआ के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 18 के अधीन संशोधन के लिए आवेदन।	21/10/2021	विविध याचिका



280	585/एमपी/2020	450 मेगावाट आईएसटीएस संबद्ध पवन सौर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए भारतीय सौर ऊर्जा कार्पोरेशन द्वारा जारी 25.1.2019 के अवार्ड पत्र के लिए 25.5.2019 के प्रतिसंहरण स्टेज 2 संयोजकता के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 100000000 रुपये की रकम के लिए A25BG07191780002 की बैंक गारंटी के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 33 क और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) के अधीन याचिका।	21/10/2021	विविध याचिका
281	371/टीटी/2020	आस्ति 1रू संबद्ध बेज सहित सतारगंज में कनकपुर बरेली पारेषण लाइन सीकेटी 2, आस्ति 2रू संबद्ध बेज सहित सितारगंज में 220/32, 100 एमवीए आईसीटी 1, आस्ति 3रू संबद्ध बेज सहित सितारगंज में 220/32, 100 एमवीए आईसीटी 2, आस्ति 4रू संबद्ध बेज सहित पिथौरागढ़ में 220/32, 100 एमवीए आईसीटी 1, आस्ति 5रू संबद्ध बेज सहित पिथौरागढ़ में 220/32, 100 एमवीए आईसीटी 2, आस्ति 6रू उत्तरी क्षेत्र में उत्तरांचल में प्रणाली सुदृढीकरण योजना से संबद्ध बेज सहित पिथौरागढ़ में धौलीगंगा बरेली पारेषण लाइन के एक सर्किट के लीलो को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2004-9 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन। जंतज	18/10/2021	पारेषण टैरिफ
282	323/टीटी/2020	1.2001-2004 टैरिफ ब्लाक, 2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी पारेषण प्रणाली संबद्ध फरक्का 1 और 2 एसटीपीएस के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/10/2021	पारेषण टैरिफ
283	658/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2.पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-XI के अधीन आस्तियों के 4 नं. के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/10/2021	पारेषण टैरिफ

284	351/टीटी/2020	आस्ति 1: वांगटु में 400 केवी डी/सी बसपा-नाथपा झाकरी पारेषण लाइन का लीलो, आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी करचम वांगटु अब्दुल्लापुर पारेषण लाइन (क्वेद कंडक्टर) के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/10/2021	पारेषण टैरिफ
285	353/टीटी/2020	1.2001-2004 टैरिफ ब्लाक, 2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में बेक टू बेक स्टेशन (2X5500 मेगावाट) भद्रावती (चन्द्रपुर) एचवीडीसी और रामागुडम हैदराबाद 400 केवी एस/सी लाइन 2 के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/10/2021	पारेषण टैरिफ
286	119/टीटी/2020	आस्ति 1: रायबरेली और संबद्ध बेज सहित रायबरेली में 100 एमवीए 220/132 केवी आईसीटी 3 और रायबरेली में 220 केवी डी/सी उनचाहर लखनऊ पारेषण लाइन के लीलो, रायबरेली में संबद्ध रायबरेली पारेषण लाइन 220 केवी एस/सी और आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र में उनचाहर 3 पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित रायबरेली उपकेन्द्र में 100 एमवीए, 200/132 केवी आईसीटी के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए 2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/10/2021	पारेषण टैरिफ
287	55/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2.पूर्वी क्षेत्र एनआर द्वारा एनईआर/ईआर अधिशेष पावर के आयात के लिए पारेषण योजनाओं के अधीन 2019-24 टैरिफ ब्लाक समन्वित आस्तियों (2 नंबर) के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/10/2021	पारेषण टैरिफ



288	64 / टीटी / 2021	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप आस्ति 1: आस्ति क को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण नालागढ़ एक्सटेंशन में 2 नं. बेज, आस्ति 2: कोटा एक्टेंशन में 2 नंबर बेज, आस्ति 3: बहादुरगढ़ और सोनीपत में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी बहादुरगढ़ सोनीपत लाइन आस्ति 4: सोनीपत 315 एमवीए आईसीटी 2, आस्ति 5: सोनीपत 315 एमवीए आईसीटी 2 आस्ति 5: भिवाडी एक्सटेंशन में 2 नंबर बेज और आस्ति 7: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XII के अधीन संबद्ध बेज सहित 125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर सोनीपत के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17 / 10 / 2021	पारेषण टैरिफ
289	103 / टीटी / 2020	2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त विशेष ऊर्जा मीटरों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17 / 10 / 2021	पारेषण टैरिफ
290	146 / एमपी / 2021	भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि. में डेअहेड मार्केट क्षेत्र में ग्रीन डे अहेड कंट्रेक्ट के शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका।	17 / 10 / 2021	विविध याचिका
291	143 / एमपी / 2021	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. में समन्वित डेअहेड मार्केट के अनुमोदन और शुरुआत के लिए केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 6 और 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 (2) (म) और धारा 66 के अधीन याचिका।	17 / 10 / 2021	विविध याचिका
292	78 / एमपी / 2019	प्रतिवादियों द्वारा प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए और ग्रिड में अंतःक्षेपित नवीकरणीय ऊर्जा के पात्र मात्रा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के जारी करने के लिए लागू करने में विलंब के अधित्याग की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है।	16 / 10 / 2021	विविध याचिका
293	79 / एमपी / 2021	2019 के उक्त विनियम के विनियम 8क के अनुसार इसके चार 100: अनुषंगी एसपीवी के लिए याचिकाकर्ता से संयोजकता और एलटीए के अंतरण की अनुमति के लिए प्रतिवादी को निर्देशों की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 के विनियम 8क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका।	15 / 10 / 2021	विविध याचिका

294	470/टीटी/2020	उत्तरी क्षेत्र में (4120 मेगावाट) यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14/10/2021	पारेषण टैरिफ
295	78/टीटी/2020	दक्षिणी क्षेत्र में "प्रणाली सुदृढीकरण -XXIII" के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12/10/2021	पारेषण टैरिफ
296	77/टीटी/2020 में 7/आरपी/2021	दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम क्षेत्र में आईएसजेएस प्रोजेक्ट से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप के लिए इस माननीय आयोग द्वारा पारित याचिका सं. 77/टीटी/220 में दिनांक 16.8.2020 के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	12/10/2021	पुनरीक्षण याचिका
297	21/एमपी/2019	03.08.2017 को या इससे आगे 14.06.2018 को यथासंशोधित भारत सरकार द्वारा जारी सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध ग्रिड से पावर की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया आधारित टैरिफ के लिए मार्गनिर्देशों के खण्ड 5.7 के अधीन कवर किए गए घटनाओं में परिवर्तन के कारण पीजीसीआईएसएल, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 2 के बीच निष्पादित दिनांक 22.09.2016 के एलटीटीए के अधीन एलटीए के परिचालनगत समय के विस्तार की मांग करते हुए आगे; और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 1 मैसर्स एफबीटीएल के बीच निष्पादित दिनांक 10.01.2018 टीएसए के अनुच्छेद 11 के अधीन कवर किए परिणामी सहायता के कारण प्रोजेक्ट के एससीओडी के विस्तार की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 के अन्य लागू उपबंधों और धारा 79 (1) (ग) और (च) के अधीन याचिका।	12/10/2021	विविध याचिका





298	249/जीटी/2016 में 12/आरपी/ 2020	2014-19 अवधि के लिए 1200 मेगावाट तीस्ता-III हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के टैरिफ के अवधारण के मामले में याचिका सं. 249/जीटी/2016 में दिनांक 16.8.2020 के पुनरीक्षण की मांग करते हुए माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 9.1.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	11/10/2021	पुनरीक्षण याचिका
299	730/एमपी/2020	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 और 2 (3X200+ 3X500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन के कारण अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/09/2021	विविध याचिका
300	613/एमपी/2020	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुपालन में कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (3X800 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन के कारण अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/09/2021	विविध याचिका
301	612/एमपी/2020	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुपालन में रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1X500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन के कारण अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/09/2021	विविध याचिका
302	520/एमपी /2020	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुपालन में तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (4X500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/09/2021	विविध याचिका



303	64/एमपी /2020	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुपालन में रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (2X500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/09/2021	विविध याचिका
304	467/एमपी /2019	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुपालन में सिमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2X500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/09/2021	विविध याचिका
305	109/एमपी /2021	याचिका सं. 187/एमपी/2018 और 193/एमपी/2018 में आदरण पीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 5.2.2019 के आदेश के मांग करते हुए सिविल प्रक्रिया के कोड की धारा 151 के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 और 79 (1) (च) के अधीन स्पष्टीकरण याचिका।	29/09/2021	विविध याचिका
306	648/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 2. आस्ति 1: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी प्रादेशिक सुदृढीकरण योजना XXVI के अधीन मेरठ एवं मोगा में प्रत्येक 2 नं. 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टरों (1 नं. स्विचेबल लाइन और 1 नं. नॉन-स्विचेबल लाइन रिएक्टर) के साथ मेरठ एवं मोगा 765/400 केवी उपकेन्द्रों में संबद्ध बेज सहित मेरठ-मोगा 765 केवी एस/सी पारेषण लाइन, के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29/09/2021	पारेषण टैरिफ
307	597/एमपी /2020	अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुपालन में भिलाई सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2X250 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28/09/2021	विविध याचिका



308	687/टीटी/2020	1.400 केवी मंडोला बवाना डबल सीकेटी और 400 केवी बल्लभगढ़ बमनोली डबल सर्किट सीकेटी पारेषण लाइन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28/09/2021	पारेषण टैरिफ
309	581/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप 2. आस्ति 1: संबद्ध बेज सहित मंडोला 400/220 केवी (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में 1 नं. का 12&#8188; सीरीज बस रिएक्टर, आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र में सीरीज रिएक्टरों के स्कीम उपबंधों के अधीन सीकेटी-2, दादरी-मंडोला 400 केवी, 12&#8188; का 1 नं. सीरीज लाइन रिएक्टर और सीकेटी-1, दादरी मंडोला 400 केवी में, 12&#8188; के 1 नं. सीरीज लाइन रिएक्टर, संबद्ध बेज सहित बल्लभगढ़ 400/220 केवी (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में सीरीज बस रिएक्टर; 1 नं. का 12&#8188; को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति-क के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28/09/2021	पारेषण टैरिफ
310	116/टीटी/2020	आस्ति क: ओरइया में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी कानपुर ओरइया पारेषण लाइन, आस्ति ख: 400 केवी कानपुर-ओरइया पारेषण लाइन से संबद्ध कानपुर उपकेन्द्र में 2 नं. 400 केवी बेज, आस्ति ग: बरेली में बस रिएक्टर और बरेली में 400 केवी डी/सी बरेली मंडोला पारेषण लाइन का लीलो, आस्ति घ: बरेली में 400 केवी एस/सी लखनऊ मुराबाबाद पारेषण लाइन का लीलो, आस्ति ङ: लखनऊ में 400 केवी लखनऊ (यूपीपीसीएल) सुल्तानपुर (यूपीपीसीएल) का लीलो, आस्ति च: 5 लखनऊ उपकेन्द्र में 420 केवी बस रिएक्टर, 80 एमवीएआर और आस्ति छ: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदढ़ीकरण योजना। के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन के लिए 2004-09 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण, 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27/09/2021	पारेषण टैरिफ

311	322 / टीटी / 2020	1.1.2001-2004 टैरिफ ब्लॉक, 2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.22014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.चन्द्रपुर उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर रिएक्टर से संबद्ध उपकरण के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
312	11 / एसएम / 2021	सुरक्षा नियंत्रित आर्थिक प्रेषण पर कार्यान्वयन पायलट का विस्तार	27 / 09 / 2021	स्वप्रेरणा
313	208 / टीटी / 2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2.दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण -XVII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
314	150 / टीटी / 2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2.दक्षिण क्षेत्र में 2X500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. टीएस-1 (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) से पावर की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन एनएनटीपीएस उत्पादन स्विचयार्ड में मौजूदा नेवेली टीएस-2 पांडीचेरी 400 केवी एस/सी के लीलो के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन। ;वाणिज्यिक प्रचालन की तारीखरू 26 <sup>th</sup> 06 <sup>th</sup> 2018	26 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
315	305 / टीटी / 2020	एच.पी. पावर पारेषण कार्पोरेशन लि. (एचपीपीटीसीएल) से संबंधित उत्तराखण्ड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश (प्राकृतिक अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों) के बीच अर्थात्, 1.220 केवी एस/सी जेस्सुर-रंजीत सागर पारेषण लाइन, 2.220 केवी डी/सी माजरी-खोदरी पारेषण लाइन, 3.220 केवी डी/सी कुनीहार-पंचकुला पारेषण लाइन, पारेषण लाइन कनेक्टिंग के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन याचिका।	27 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ



316	179/एमपी/2019	विधि घटनाओं में परिवर्तन के कारण तेल की परिवहन लागत में वृद्धि के कारण (टैरिफ के समायोजन द्वारा या अन्य क्षतिपूरक तंत्र द्वारा) तटीय गुजरात पावर लि. के लिए माननीय आयोग से उचित निर्देशों की मांग करते हुए दिनांक 24.04.2007 पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	27/09/2021	विविध याचिका
317	503/टीटी/2019	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.(क) संबद्ध बेज सहित नीलमंगला-सोमनहल्ली 400 केवी डी/सी लाइन; और (ख) दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-III के अधीन बेज सहित गूटी-राययूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	24/09/2021	पारेषण टैरिफ
318	220/जीटी/2020	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (500 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 के अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन	25/09/2021	उत्पादन टैरिफ
319	83/आरसी/2021	पारेषण अनुज्ञप्ति का अवनयन।	24/09/2021	विनियामक अनुपालन
320	190/एमपी/2021	इसके प्रथम सिंक्रनाइजेशन की तारीख से 6 महीने की अवधि के आगे नबी नगर टीपीएस स्टेज-1 (3X660 मेगावाट), के यूनिट-3 के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करना।	24/09/2021	विविध याचिका
321	100/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2. पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना VIII के अधीन आस्तियों के 8 नं. के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21/09/2021	पारेषण टैरिफ

322	207 / टीटी / 2020	1.2001-2004 टैरिफ ब्लॉक, 2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारिषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारिषण टैरिफ का टूडंगअप 3.पूर्णिया और पूर्णिया (न्यू) उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी बोंगेगांव - मालदा लाइन के लीलो के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारिषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21 / 09 / 2021	पारिषण टैरिफ
323	326 / टीटी / 2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारिषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारिषण टैरिफ का टूडंगअप 3.पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा - बुधिपदार पारिषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारिषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21 / 09 / 2021	पारिषण टैरिफ
324	39 / टीटी / 2021	आस्ति 1: धरमजयगढ़ पूल के 400 केवी बस में 420 केवी 1X125 एमवीएआर बस रिएक्टर संबद्ध बे के स्थापन और धरमजयगढ़ पूल के 765 केवी बस भाग ख में 765 केवी 1X330 एमवीएआर बस रिएक्टर से संबद्ध बे की स्थापना, आवश्यक स्विचिंग प्रबंध सहित धरमजयगढ़ पूल 765 केवी बस की स्पिलिटिंग, आस्ति 2: रायगढ़ (कोरबा) पूल के 400केवी बस भाग क में संबद्ध बे सहित 1X125 एमवीएआर बस रिएक्टर, 420 केवी की स्थापना और रायगढ़ (कोटरा) पूल के 765 केवी बस भाग क में 765 केवी बस रिएक्टर बे की स्थापना और रायगढ़ (कोटरा) पूल के 765 केवी बस भाग क में संबद्ध बे सहित 765 केवी 1X240 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना, आवश्यक स्विचिंग प्रबंध के साथ 400 केवी और रायगढ़ (कोटरा) पूल 765 केवी की स्पिलिटिंग और आस्ति 3: डब्ल्यूआरएसएस-XVIII के अधीन चंपा पूल के 765केवी बस भाग क में संबद्ध बे सहित 765 केवी 1X240 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2021 तक के लिए पारिषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	20 / 09 / 2021	पारिषण टैरिफ
325	697 / टीटी / 2020	उत्तरी क्षेत्र में झज्जर-मुन्डका 400 केवी डबल सर्किट आईएसटीएस लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारिषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारिषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अधीन अनुमोदन।	20 / 09 / 2021	पारिषण टैरिफ



326	418/टीटी/2019	आस्ति 1 (क) संबद्ध बेज सहित 765 केवी एस/सी सियोनी-वर्धा पारेषण लाइन और आस्ति 1 (ख) संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी वर्धा-अकोला पारेषण लाइन, आस्ति 2 वर्धा उपकेन्द्र में अकोला और ओरंगाबाद और 400 केवी बस रिएक्टर में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी अकोला-ओरंगाबाद पारेषण लाइन; और समन्वित आस्ति 3 और 4 को शामिल करते हुए आस्ति 3: संबद्ध बेज सहित वर्धा उपकेन्द्र में 400/220 केवी आईसीटी-1; और आस्ति 4: पश्चिमी क्षेत्र में अनुपूरक पारेषण प्रणाली सिपत-II के अधीन वर्धा उपकेन्द्र में 400/220 केवी आईसीटी-2 को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों 1 और 2 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अधीन अनुमोदन।	20/09/2021	पारेषण टैरिफ
327	463/एमपी/2019	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	20/09/2021	विविध याचिका
328	462/एमपी/2019	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	20/09/2021	विविध याचिका
329	461/एमपी/2019	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	20/09/2021	विविध याचिका
330	460/एमपी/2019	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	20/09/2021	विविध याचिका

331	459/एमपी/2019	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	20/09/2021	विविध याचिका
332	94/एमपी/2019	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के स्थापन पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	20/09/2021	विविध याचिका
333	716/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूटिंगअप और 2.उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-XXII से संबद्ध पारेषण प्रणालियों की समन्वित आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए आस्ति 1: सांबा और 03 नं. 220 केवी लाइन बेज में संबद्ध बेज सहित 01 नं. 315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी-1, दोनों अंत में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी किशनपुर-सांबा पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 01.04.2013) आस्ति 2: 3 नं. 220 केवी लाइन बेज और संबद्ध बेज सहित सांबा उपकेंद्र में 400/220 केवी, 315 एमवीए आईवसीटी-2 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 01.04.2013) आस्ति 3: संबद्ध बेज सहित सांबा उपकेंद्र में 1 नं., 400 केवी एमवीएआर बस रिपेक्टर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 01.04.2013) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18/09/2021	पारेषण टैरिफ
334	524/एमपी/2020	माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में इस माननीय आयोग द्वारा पारित आदेशों की छूट की मांग करते हुए धारा 79 के अधीन याचिका।	17/09/2021	विविध याचिका
335	30/जीटी/2020	01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (6x250 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन याचिका।	16/09/2021	उत्पादन टैरिफ





336	17/आरपी/2020 in 368/टीटी/ 2018	2014-19 टैरिफ अवधि के लिए रांगपो में लीलो प्वाइंट तक क्वेद मूज कंडक्टर के साथ 400 केवी डी/सी तीस्ता III रांगपो भाग के सर्किट 1(ख) के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के मामले में याचिका संख्या 368/टीटी/2018 में दिनांक 22.01.2020 के आदेश के पुनरीक्षण/ की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका।	16/09/2021	पुनरीक्षण याचिका
337	126/एमपी/2016	प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित विद्युत क्रय करार दिनांक 23.8.2013 (पीपीए) विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10 के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति दावों के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	16/09/2021	विविध याचिका
338	182/एमपी/2021	24.3.2022 तक बढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज 1 के यूनिट 1 (660 मेगावाट) के पावर के अंतःक्षेपण के विस्तार की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम के विनियम 8 के अधीन याचिका।	16/09/2021	विविध याचिका
339	43/टीटी/2020	आस्ति 1: वर्धा में 400 केवी डी/सी मौदा-वर्धा लाइन (सीकेटी-1) सहित बे और आस्ति 2: पश्चिमी क्षेत्र में मौदा पारेषण प्रणाली के अधीन वर्धा में 400 केवी डी/सी मौदा-वर्धा लाइन (सीकेटी-2) सहित बे के लिए 1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और 2.2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15/09/2021	पारेषण टैरिफ
340	172/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के नियत लाइन रिएक्टरों के परिवर्तन के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15/09/2021	पारेषण टैरिफ



341	148 / टीटी / 2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 3.आस्ति-1रू (220 केवी दीमापुर-मीसा टीएल, लीलो 220 केवी डी/सी कोपिली-समागुडी टीएल और लीलो 132 केवी डी/सी मरियानी-दीमापुर टीएल) और आस्ति-2रू उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दोगांग एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए (संबद्ध बेज सहित 132 केवी डी/सी दोगांग-दीमापुर टीएल, 132 केवी एस/सी दीमापुर-इम्फाल टीएल) के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
342	81 / टीटी / 2020	1.2001-2004 टैरिफ ब्लॉक, 2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 3. दक्षिण क्षेत्र में रामागुंडम स्टेज 3 (Notional वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.05.2005) के अधीन समन्वित आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
343	715 / टीटी / 2020	चमेरा 2 के अधीन पूलिंग प्वाइंट में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ राजेरा में 400 केवी एस/सी चमेरा 2 पूलिंग स्टेशन पारेषण लाइन 400 / 220 केवी जीआईएस और चमेरा 2 प्रणाली के अधीन आईसीटी और 400 / 220केवी 315 एमवीए आईसीटी 1 के साथ राजेरा में 400 केवी एस/सी चमेरा 2 पूलिंग स्टेशन पारेषण लाइन 400 / 220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	13 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ



344	683/टीटी/2020	आस्ति 1रू हिसार और भिवानी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी एस/सी हिसार भिवानी सीकेटी 1 पारेषण लाइन और 220 केवी हिसार-हिसार (बीबीएमबी) डी/सी लाइन से संबद्ध मोगा हिसाब डी/सी पारेषण लाइन और आस्ति 2रू मोगा हिसार भिवानी पारेषण प्रणाली के अधीन हिसार में संबद्ध सहित बेज हिसार बवाना पारेषण लाइन तक 400 केवी एस/सी पारेषण लाइन और 400 केवी बवाना भिवानी पारेषण लाइन के एक सर्किट की समापित के लिए भिवानी उपकेन्द्र में एक बे के लिए के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12/09/2021	पारेषण टैरिफ
345	706/टीटी/2020	1.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 2.उत्तरी क्षेत्र में और औरइया गैस पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12/09/2021	पारेषण टैरिफ
346	696/टीटी/2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना V से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12/09/2021	पारेषण टैरिफ

347	506 / टीटी / 2020	1..2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.(क) नेल्लोर 400 केवी बे विस्तार के साथ 80 एमवीएआर बस रिएक्टर; (ख) कुडप्पा 400 केवी बे विस्तार के साथ 325 एमवीए; (ग) सोमानहल्ली में रिएक्टर के लिए स्विचिंग प्रबंध और कोलार में सेकण्ड 3X167 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर और गूटी विस्तार के साथ 315 एमवीए आईसीटी; (घ) गाजुवाका उपकेन्द्र बे विस्तार के साथ 315 एमवीए आईसीटी; (ङ) मुनिराबाद उपकेन्द्र बे विस्तार के साथ 315 एमवीए आईसीटी; (च) दक्षिणी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना V के अधीन खम्मम उपकेन्द्र बे विस्तार के साथ 315 एमवीए आईसीटी के समन्वित घटकों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
348	498 / टीटी / 2019	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 132 केवी एस/सी रंगानदी-ज़ीरो पारेषण लाइन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
349	472 / टीटी / 2019	1.2001-2004 टैरिफ ब्लॉक, 2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.पूर्वी क्षेत्र में सिलीगुड़ी (न्यू) में सिलीगुड़ी और उपकेन्द्र में 400 केवी बोंगोगांव-मालदा पारेषण लाइन के लीलो के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
350	86 / टीटी / 2020	2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और .2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र के बीच पूर्वी, उत्तरी क्षेत्र एवं अंतर प्रादेशिक लिंक में कहलगांव स्टेज 2, फेज 1 पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	11 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ



351	60/एमपी/2019	पश्चिमी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि. स्वप्रेरणा पावर के अनुसूचीकरण के अधीन राहत की मांग करते हुए याचिका।	12/09/2021	विविध याचिका
352	टीटी/046/2014	2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए डब्ल्यूआर में ईआर वाया ईआर और एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर से आयात और डब्ल्यूआर के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य स्कीम और ईआर से और ईआर वाया एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर से एनआर द्वारा आयात, एनआर के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन आस्तियों (05 नंबर) का पारेषण टैरिफ।	11/09/2021	पारेषण टैरिफ
353	137/एमपी/2019	अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली दिनांक 15.5.2018 के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करने के लिए केविआ द्वारा जारी विस्तृत प्रक्रिया के खण्ड 9.3 के अधीन अपेक्षित प्राप्त वित्तीय अनुलग्नकों के साथ इस याचिका में यथा उपलब्ध टाइम विस्तार प्रदान करने के लिए केविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 27 और 33 (क) के साथ पठित, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) के अधीन याचिका।	11/09/2021	विविध याचिका
354	62/एमपी/2021	केविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 दिनांक 31.12.2009 के विनियम 27 (1) के अधीन केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता के विस्तृत क्रियाविधि के उपबंधों के उल्लंघन में प्रणाली सुदृढीकरण दिनांक 08.10.2020 के साथ दीर्घकालिक पहुंच के लिए करार के अधीन निर्माण फेज बैंक अधिग्रहण को प्रस्तुत करने की मांग करते हुए पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के कार्य पर उठाए गए विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) और 79 (1) (ग) के अधीन याचिका	11/09/2021	विविध याचिका
355	328/एमपी/2018 में 14/आरपी/2021	केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 (1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन सेवा 2 पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादन केन्द्र की नियंत्रण अवधि के आगे कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण ऊर्जा प्रभारों के अधीन प्रतिपूर्ति के मामलों में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 09.02.2021 के आदेश का पुनरीक्षण।	10/09/2021	पुनरीक्षण याचिका

356	348/एमपी/2018 में 13/ आरपी/2021	केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 (1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन सेवा 2 पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादन केन्द्र की नियंत्रण अवधि के आगे कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण ऊर्जा प्रभारों के अधीन प्रतिपूर्ति के मामलों में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 09.02.2021 के आदेश का पुनरीक्षण।	10/09/2021	पुनरीक्षण याचिका
357	209/एमपी/2019 में 10/ आरपी/2021	याचिका सं. 210/एमपी/2019 में दिनांक 18.5.2020 के आयोग के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए, केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	08/09/2021	पुनरीक्षण याचिका
358	210/एमपी/2019 में 9/आरपी/2021	याचिका सं. 210/एमपी/2019 में दिनांक 18.5.2020 के आयोग के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए, केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	08/09/2021	पुनरीक्षण याचिका
359	126/एटी/2021	विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 3.8.2017 को जारी मानकीय बोली मार्गनिर्देश के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा चयनित और निर्बाध श्रेणी के अधीन सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स से संबद्ध, 1200 मेगावाट से संबद्ध अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	08/09/2021	टैरिफ का अंगीकार
360	345/एमपी/2020	याचिका सं. एल-1/44/2010-केविआ में दिनांक 6.3.2020 के आदेश पीओसी के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	03/09/2021	विविध याचिका
361	377/एमपी/2019	31.12.2016 से पहले और 01.01.2003 के बाद संस्थापित/ थर्मल पावर प्लांट के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के अनुपालन के लिए अन्य उपायों और उपलब्ध ओवर फायर एयर (ओएफए) लो नोक्स बरनर की स्थापना, पयूल गैस डिसलफाराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना, 'इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर्स' (ईएसपी) की स्थापना/रेट्रोफिट के लिए, विधि में परिवर्तन के कारण याचिकाकर्ता द्वारा किए गए लागत के अनुमोदन की मांग करते हुए प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता के बीच दिनांक 19.8.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के साथ पठित धारा 79 (1) (ख) के अधीन याचिका।	07/09/2021	विविध याचिका



362	31 / जीटी / 2020	याचिका सं. 314 / जीटी / 2018 में दिनांक 19.7.2019 के आदेश केविआ द्वारा अवधारित टैरिफ के ट्रूंगअप – 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नापथा झाकरी हाइवो पावर स्टेशन (6x250 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय-V के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (क) और 62 के अधीन याचिका।	06 / 09 / 2021	उत्पादन टैरिफ
363	504 / टीटी / 2020	आस्ति 1: उच्च क्षमता कंडक्टर के साथ इम्फाल (पावरग्रिड) – यूरेमबम (इम्फाल उप-केन्द्र-मणिपुर) 132 केवी एस/सी लाइन का पुनर्गठन [एचटीएलएस की क्षमता सिंगल एसीएसआर मूज: 798 क के बराबर] और इम्फाल (पावरग्रिड) – यूरेमबम (इम्फाल उपकेन्द्र – मणिपुर) 132 केवी एस/सी (एचटीएलएस), आस्ति 2: 400 केवी सिलचर उपकेन्द्र में जीआईएस बेज में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए, 400 / 132 केवी, आईसीटी-3, आस्ति 3: 400 केवी सिलचर उपकेन्द्र में 200 एमवीए, 400 / 132 केवी स्पेयर आईसीटी, आस्ति 4: मोकोचुंग (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीएआर, बस रिएक्टर, आस्ति 5: निरजुली उपकेन्द्र में 50 एमवीए, 132 / 33 केवी आईसीटी (स्पेयर) और कोपिली उपकेन्द्र में 160 एमवीए, 220 / 132 केवी, आईसीटी (स्पेयर), आस्ति 6: बोंगेगांव उपकेन्द्र में 1x63 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर (स्पेयर) और 1x80 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर (स्पेयर), आस्ति 7: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में "उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-VII (एनईआरएसएस-VII)" के अधीन मीसा उपकेन्द्र में 315 एमवीए, 400 / 220 केवी, आईसीटी (स्पेयर) के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूंगअप और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमादेन।	05 / 09 / 2021	पारेषण टैरिफ
364	518 / एमपी / 2020	26.1.2014 से 28.10.2017 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के अधीन याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रेशन और प्रत्योजन के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने के लिए केविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन टैरिफ के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 14 और 15 के साथ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (ट) और 66 के अधीन दाखिल याचिका।	05 / 09 / 2021	विविध याचिका
365	142 / एमपी / 2019	याचिका सं. एल-1 / 44 / 2010-केविआ में आयोग द्वारा पारित दिनांक 06.02.2019 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका।	05 / 09 / 2021	विविध याचिका

366	053/टीटी/2015	दक्षिण क्षेत्र में कुडनकुलम एटामिक पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप का अनुमोदन।	04/09/2021	पारेषण टैरिफ
367	492/टीटी/2019	समन्वित आस्तिरू (1)400/220 केवी कोल्हापुर (एमएसईबी) उपकेन्द्र का विस्तार (2) संबद्ध बेज सहित 220केवी डी/सी वापी-मगरवाडा पारेषण लाइन (3) पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस -III पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित 220केवी डी/सी वापी-खरदपाडा पारेषण लाइन।	03/09/2021	पारेषण टैरिफ
368	383/टीटी/2019	टोरंट पावर ग्रिड लि. अनुज्ञप्ति सं. 2/ट्रान्मिशन/सीईआरसी दिनांक 16.5.2007 द्वारा पारेषण प्रणाली का संचालन, रखरखाव और निर्माण के लिए 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पूंजी लागत का टूइंगअप	03/09/2021	पारेषण टैरिफ
369	193/टीटी/2020	आस्ति 1: अब्दुल्लापुर में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर, आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र में "करचम वागटू के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण" के अधीन सोनीपत उपकेन्द्र और अब्दुल्लाहपुर में 400 केवी संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी अब्दुल्लाहपुर सोनीपत पारेषण लाइन समन्वित आस्तियों को शामिल करते हुए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अधीन अनुमोदन।	02/09/2021	पारेषण टैरिफ
370	300/जीटी/2020	2014-19 टैरिफ अवधि के लिए टूइंगअप का प्रयोग करते हुए फिरोज गांधी उनचाहर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-2 (420 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	02/09/2021	उत्पादन टैरिफ
371	48/एमपी/2021	विलेज: कसाईपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में याचिकाकर्ता के 2 x 135 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के यूनिट के, वास्तविक आधार पर, स्टेशन हीट दर के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 49 (ग) (क) और (ख) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और (ट) के अधीन याचिका।	01/09/2021	विविध याचिका





372	105/टीटी/2020	आस्ति 1: संबद्ध बेज सहित आगरा (पावरग्रिड) एस/एस में आगरा-भरतपुर 220 केवी एस/सी लाइन का लीलो आस्ति 2: आगरा (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में आईसीटी बेज सहित 1X315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (बल्लभगढ़ एस/एस से स्थानतरित) आस्ति 3: कैथल उपकेन्द्र (बल्लभगढ़ से आईसीटी स्पेयर) में संबद्ध बेज सहित 01X315 एमवीए, 400/220 केवी आईसी आस्ति 4: क्षेत्र में क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अधीन कैथल एस/एस में 02 नं. 220 केवी बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/08/2021	पारेषण टैरिफ
373	326/टीटी/2019	1.2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और 3.(i) तला-सिलिगुडी पारेषण प्रणाली और (ii) पूर्वी क्षेत्र में तला-सिलिगुडी पारेषण प्रणाली का अतिरिक्त भाग समन्वित आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण का अवधारण।	31/08/2021	पारेषण टैरिफ
374	69/एमपी/2019 में 22/आरपी/2020	याचिका सं. 69/एमपी/2019 में माननीय आयोग द्वारा पारित 04.10.2019 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के अधीन पुनरीक्षण।	31/08/2021	पुनरीक्षण याचिका
375	355/टीटी/2019	1.2001-2004 टैरिफ ब्लाक, 2004-9 टैरिफ ब्लाक, 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप 3.पूर्वी क्षेत्र में इद्रावती (ओएचपीसी) स्विचयार्ड में 400/220 केवी ट्रांसफार्मर, सेकण्ड 315 (3ग105) के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/08/2021	पारेषण टैरिफ
376	121/टीटी/2019	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उत्तर-पूर्व उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर 1 के अधीन बलीपारा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी कामेंग-बलीपारा पारेषण लाइन के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 से पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31/08/2021	पारेषण टैरिफ



377	135/एमपी/2021	न्यू सिक्वोरिटी ट्रस्टी के पक्ष में वरोरा कुरनूल पारेषण लि. के पारेषण प्रोजेक्ट आस्तियों और अन्य संबंधित दस्तावेजों में सृजित करने वाली अन्य प्रतिभूति के लिए दिनांक 06.01.2016 पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका।	06/08/2021	विविध याचिका
378	58/एमपी/2021	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के साथ साथ हाइड्रो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट में, टर्म अहेड मार्केट में कांट्रेक्टों की नीलामी के यूनियम मूल्य और साप्ताहिक यूनियम मूल्य कांट्रेक्टों, हाइड्रो ग्रीन टर्म अहेड कांट्रेक्टों, हाइड्रो दो दिवस डे अहेड कांट्रेक्टों की शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 6 और 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका।	30/08/2021	विविध याचिका
379	222/एमपी/2017 में 7/आरपी/2020	विद्युत क्रय करार दिनांक 27.11.2013 के अधीन देय टैरिफ के संबंध में प्रतिवादी के साथ, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) और अन्य उपबंधों के अधीन विवादों के अधिनिर्णय के संबंध में याचिका सं. 222/एमपी/2017 में दिनांक 23.7.2019 के आयोग के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका।	30/08/2021	पुनरीक्षण याचिका
380	140/एटी/2021	सीकर-2 अलीगढ़ पारेषण लि. (पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. की एक पूर्ण 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सब्सिडी) द्वारा स्थापित किए जा रहे पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन।	26/08/2021	टैरिफ का अंगीकार
381	139/टीएल/2021	सीकर-2 अलीगढ़ पारेषण लि. के पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन।	26/08/2021	पारेषण अनुज्ञप्ति
382	138/एटी/2021	सीकर न्यू पारेषण लि. द्वारा स्थापित किए जा रहे पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन।	26/08/2021	टैरिफ का अंगीकार
383	137/टीएल/2021	सीकर न्यू पारेषण लि. के पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन।	26/08/2021	पारेषण अनुज्ञप्ति
384	141/एटी/2021	फतेहगढ़ भदला ट्रांसको लि. (पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. की एक पूर्ण 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सब्सिडी) द्वारा स्थापित किए जा रहे पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन।	26/08/2021	टैरिफ का अंगीकार



385	136 / टीएल / 2021	फतेहगढ़ भदला ट्रांसको लि. के पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन।	26 / 08 / 2021	पारेषण अनुज्ञप्ति
386	315 / टीटी / 2020	1.2004-9 टैरिफ ब्लॉक, 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2.2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूटिंगअप 3.उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोपिली-खंदोंग (गोहपुर-इटानगर में अतिरिक्त पारेषण) के एटीएस के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 केविविआ के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	26 / 08 / 2021	पारेषण टैरिफ
387	500 / एमपी / 2019	दिनांक 02.05.2019 के आदेश में आयोग के निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन दाखिल याचिका।	20 / 08 / 2021	विविध याचिका
388	457 / एमपी / 2019	दिनांक 09.10.2018 के आदेश में आयोग के निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन दाखिल याचिका।	20 / 08 / 2021	विविध याचिका
389	454 / एमपी / 2019	दिनांक 09.10.2018 के आदेश में आयोग के निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन दाखिल याचिका।	20 / 08 / 2021	विविध याचिका
390	373 / एमपी / 2020	याचिका सं. 19 / एमपी / 2019 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 15.10.2019 के आदेश के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन और एम.पी. पावर मैनेजमेंट क. लि. से विधि की घटनाओं के कारण सेफगार्ड ड्यूटी दावों की वसूली के लिए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2017 के अनुसार वार्षिकी मॉडल के अनुमोदन की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के अधीन दाखिल याचिका।	20 / 08 / 2021	विविध याचिका
391	158 / एमपी / 2020	याचिका सं. 178 / एमपी / 2019 और 189 / एमपी / 2018 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 05.02.2019 के आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सिविल प्रक्रिया के कोड की धारा 151 के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) और 94 के अधीन स्पष्टीकरण याचिका।	20 / 08 / 2021	विविध याचिका

392	536 / एमपी / 2020	बिक्री यूटिलिटी / वितरण कंपनियों और सभी इसी प्रकार के प्रोजेक्ट विकासकर्ताओं के सामान्य आदेशों के आवेदन और तत्काल भुगतान के लिए बिक्री यूटिलिटी / वितरण कंपनियों के निर्देशों को जारी करते हुए, जीएसटी / सेफगार्ड ड्यूटी आदेशों के संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) के अधीन याचिका।	20 / 08 / 2021	विविध याचिका
393	455 / टीटी / 2020	आस्ति 1: संबद्ध बेज सहित तुगलकाबाद में बमनोली-समयपुर 400 केवी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो; आस्ति 2: संबद्ध बेज सहित जीआईएस जीआईएस तुगलकाबाद-उपकेन्द्र में, संबद्ध बेज सहित तुगलकाबाद उपकेन्द्र और 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपक्टर में 400 / 220 केवी जीआईएस में 400 / 220 केवी, 2X500 एमवीए आईसीटी-1 और 2; आस्ति 3: संबद्ध बेज सहित तुगलकाबाद उपकेन्द्र में 400 / 220 केवी जीआईएस में 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी-3; और आस्ति 4: उत्तरी क्षेत्र में 12वीं योजना अवधि (भाग ख1) के दौरान दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 400 / 220 केवी उपकेन्द्रों के सृजन के अधीन संबद्ध बेज सहित तुगलकाबाद उपकेन्द्र में 400 / 220 केवी जीआईएस में 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी-4 के संबंध में टैरिफ ब्लॉक 2019-24 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19 / 08 / 2021	पारेषण टैरिफ
394	468 / टीटी / 2020	आस्ति 1: 400 / 220 केवी लुधियाना उपकेन्द्र: (+) 600 एमवीएआर / (-) 400 एमवीएआर; आस्ति 2: 400 / 220 केवी कंकरोली उपकेन्द्र: (+) 400 एमवीएआर / (-) 300 एमवीएआर एसवीसी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 25.12.2016) आस्ति 3: उत्तरी क्षेत्र में स्टेटिक वीएआर कंपेनसेटर (एसवीसी) के अधीन 400 / 220 केवी न्यू वेनपोह उपकेन्द्र: (+) 300 एमवीएआरध् (-) 200 एमवीएआर एसवीसी के लिए टैरिफ ब्लॉक 2019-24 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19 / 08 / 2021	पारेषण टैरिफ



395	104/टीटी/2019	आस्ति 1: बस रिएक्टर और 400 केवी बस रिएक्टर के रूप में अपने इस्तेमाल के लिए मेड़ता से कोटा उपकेन्द्र तक 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, 400 केवी के 400/220 केवी उपकेन्द्र (पावरग्रिड) शिपिंग का विस्तार; आस्ति 2: कोटेश्वर में संबद्ध बेज सहित 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की कोटेश्वर 400/220 केवी उपकेन्द्र (टीएचडीसी) स्थापना का विस्तार; आस्ति 4: एक सिंगल 400 केवी हाइब्रिड जीआईएस बे के माध्यम से 400केवी, 1X63 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 की स्थापना - 400/220 केवी उपकेन्द्र (बीबीएमबी) का विस्तार; आस्ति 4: क्षेत्र में सुदृढीकरण योजना के अधीन देहर में संरक्षण रिले और 400/220 केवी बे उपकरण से संबद्ध रेट्रोफिटिंग और 4X105एमवीए 1.फेज आईसीटी सहित 250 एमवीए आईसीटी का प्रतिस्थापन के लिए वणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17/08/2021	पारेषण टैरिफ
396	168/एमपी/2019 में 30/आरपी/2020	याचिका सं. 168/एमपी/2020 में दिनांक 22.06.2020 के माननीय आयोग के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 और सिविल प्रक्रिया (सीपीसी) के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका।	16/08/2021	पुनरीक्षण याचिका
397	70/टीडी/2021	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 की धारा 14 आर/डब्ल्यू के अधीन श्रेणी V व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।	16/08/2021	व्यापार
398	161/एमपी/2020	परिशिष्ट पीपीए दिनांक 10.12.2013 के अनुच्छेद 10 और विद्युत क्रय करार दिनांक 23.08.2013 के अनुच्छेद 10 के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति दावों के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	14/08/2021	विविध याचिका
399	10/टीटी/2019 में 18/आरपी/2020	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अनुसार पीओसी पारेषण प्रभारों में शामिल करने के लिए एनट्रांसकों स्वामित्व की पारेषण लाइन/प्रणाली के लिए दो राज्यों से संबद्ध अंतर-राज्यिक पारेषण लाइनों के टैरिफ के अवधारण के अनुमोदन के मामले में याचिका सं. 10/टीटी/2019 में केविविआ के दिनांक 05.02.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका।	11/08/2021	पुनरीक्षण याचिका

400	45/एमपी/2019	जीएसटी विधियों के अधिनियमन के कारण विधि की घटनाओं के परिवर्तन में अनुमोदन की मांग के लिए याचिकाकर्ता और सौर ऊर्जा कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. के बीच निष्पादित दिनांक 02.08.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और (च) के अधीन याचिका।	10/08/2021	विविध याचिका
401	530/एमपी/2020	पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत के अंतरण के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन को गलती से रद्द करने के संबंध में प्रतिवादियों के विरुद्ध निर्देशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 के अन्य लागू उपबंध और धारा 79(1)(ग), 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका	12/08/2021	विविध याचिका
402	86/एमपी/2021	दामोदर वेली का. द्वारा 150 मेगावाट पावर के एक पक्षीय अभ्यर्पण के विरुद्ध लागू विनियमों के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(बी) और (एफ) के अधीन याचिका	10/08/2021	विविध याचिका
403	269/टीटी/2020	;पद्ध 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूट्टंग अप (पप) पूर्वी क्षेत्र में चक्का पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	09/08/2021	पारेषण टैरिफ
404	203/एमपी/2019	विद्युत की आपूर्ति के आरंभ में विलंब के लिए परिसमाप्त क्षति के रूप में एनटीपीसी लि. द्वारा गलत और ब्लात बसूली की गई रकम की वापसी की मांग करते हुए और राष्ट्रीय सौर मिशन फंड 2 बेच 2 ट्रांचे 1 के अधीन स्थापित दो 70 मेगावाट सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुसूचित आरंभ होने वाली तारीख के विस्तार की मांग करते हुए याचिकाकर्ता और एनटीपीसी के बीच निष्पादन 2.05.2016 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	04/08/2021	विविध याचिका
405	2/एसएम/2019 में 9/आरपी/2019	याचिका सं. 2/एसएम/2019 में आयोग द्वारा पारित 31.01.2019 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अधीन आवेदन	06/08/2021	पुनरीक्षण याचिका
406	191/एमपी/2019 में 8/आरपी/2021	केविविआ(टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 29(4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन एवं रखरखाव मानदंड की छूट की मांग करते हुए याचिका कर्ता द्वारा दाखिल याचिका सं 191/एमपी/2019 में पारित 27.01.2021 के आदेश केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण	06/08/2021	पुनरीक्षण याचिका



407	109 / एमपी / 2019	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संयोजकता प्रदान करना और संबंध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(सी) के अधीन याचिका	05 / 08 / 2021	विविध याचिका
408	108 / एमपी / 2019	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संयोजकता प्रदान करना और संबंध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(सी) के अधीन याचिका	05 / 08 / 2021	विविध याचिका
409	356 / टीटी / 2020	आस्ति:1- डब्ल्यूआरएसएस - II सेट क(पार्ट 1) की समन्वित आस्ति आस्ति:2 डब्ल्यूआरएसएस - II सेट क(पार्ट 2) की समन्वित आस्ति आस्ति:3 डब्ल्यूआरएसएस - II सेट ख की समन्वित आस्ति आस्ति:4 डब्ल्यूआरएसएस - II सेट ग की समन्वित आस्ति आस्ति:5 डब्ल्यूआरएसएस - II सेट घ(पार्ट 1) की समन्वित आस्ति आस्ति:6 डब्ल्यूआरएसएस - II के अधीन डब्ल्यूआरएसएस - II सेट घ(पार्ट 2) की समन्वित आस्तियों के लिए (i) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंग अप (ii) 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	05 / 08 / 2021	पारेषण टैरिफ
410	176 / एमपी / 2020	याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीज प्रविष्ट 18.12.2013 और 19.12.2013 के विद्युत क्रय करारों से संबंधित विधि घटना के परिवर्तन के रूप में ब्यैक्तिक संघटकों में परिवर्तनों के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी में वृद्धि/परिवर्तन के याचिकाकर्ता के दावे की अनुमति के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	04 / 08 / 2021	विविध याचिका

411	147/टीटी/2020	(i) अमृतसर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित और अमृतसर उपकेन्द्र में 220 केवी वेरपाल फीडर बेज 1 और 2 (ii) संबद्ध बेज सहित गोरखपुर एसएस में 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी 2 (2 नं. 220 केवी लाईन बेज सहित) और (iii) बहादुरगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित बहादुरगढ़, 315 में संबद्ध बेज सहित बवाना भिवानी लाईन का लीलो और उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना से संबद्ध (पहले तला अनुपूरक योजना) पारेषण प्रणाली के अधीन बहादुरगढ़ एसएस में 220 केवी लूनामाजरा फीडर बेज के लिए (i) 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण(ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग (iii) 2019-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	03/08/2021	पारेषण टैरिफ
412	260/एमपी/2020	01.04.2019 से 31.03.2024 तक प्रतिभूति व्यय की वसूली और अनुमोदन के लिए केविविआ(टैरिफ की निबंधन व शर्त) विनियम 2019 के विनियम 35(3)(ग) के अधीन याचिका	03/08/2021	विविध याचिका
413	29/आरपी/2020 in 14/एमपी/2019	याचिका सं 14/एमपी/2019 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 4.10.2019 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारोबार का संचालन)विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 के अधीन पुनरीक्षण याचिका	02/08/2021	पुनरीक्षण याचिका
414	446/एमपी/2019 में 25/आरपी/2020	(क) पुनरीक्षण याचिका की अनुमति के लिए और मौजूदा पुनरीक्षण याचिका में प्रचलित उल्लिखित में याचिका संख्या 446/एमपी/2019 में पारित में 23.04.2020 के आदेश को संशोधित/स्पष्ट करने की याचिका (ख) किसी इस प्रकार के आदेश या आदेशों को पारित करना जिसे मान्य आयोग मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ठीक समझता हे के लिए याचिका	02/08/2021	पुनरीक्षण याचिका
415	446/एमपी/2019 में 20/आरपी/2020	याचिका सं. 446/एमपी/2019 में पारित 23.04.2020 के आदेश के केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103(1) के साथ पठित धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण	02/08/2021	पुनरीक्षण याचिका





416	155/एमपी/2021	पारबती हाईड्रो इल्कट्रिक प्रो. स्टेज 2(800 मेगावाट) के मामले में 31.08.2021 के आगे इन्फर्म पावर के अंतर्क्षण के लिए अनुमति की मांग करते हुए केविविआ(दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच और संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका	01/08/2021	विविध याचिका
417	110/टीडी/2021	विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए केविविआ(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन	31/07/2021	ट्रेडिंग
418	127/टीडी/2021	रिन्यू सोलर सर्विस प्र. लि. प्रदान किये गये अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के अभ्यर्षण के लिए आवेदन.	31/07/2021	ट्रेडिंग
419	5/आरपी/2021 पद 266/ टीटी/2018	याचिका सं 266/टीटी/2018 में 27.01.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	31/07/2021	पुनरीक्षण याचिका
420	96/टीटी/2019 में 1/आरपी/2021	याचिका सं 96/टीटी/2019 में 09.08.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	31/07/2021	पुनरीक्षण याचिका
421	152/टीडी/2021	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 15 के अधीन व्यापार अनुज्ञप्ति के डाउनग्रेड हेतु याचिका	31/07/2021	ट्रेडिंग
422	446/एमपी/2019 में 21/ आरपी/2020	केविविआ(कारोबार का संचालन) संशोधन विनियम 2013 के साथ पठित केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन ओएंडएम व्यय के सैधांतिक अनुमोदन के सीमित मुद्दे पर याचिका सं 446/एमपी/2019 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 23.04.2019 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग करते हुए सासन पावर लि. की ओर सो पुनरीक्षण याचिका	31/07/2021	पुनरीक्षण याचिका
423	16/टीटी/2020	(i)2001-04 और 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारिषण टैरिफ का पुनरीक्षण (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारिषण टैरिफ का टूडंग (iii) दक्षिण क्षेत्र में 230 केवी नवेली बहूर पारिषण लाईन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारिषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	31/07/2021	पारिषण टैरिफ



424	515/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2x660 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/07/2021	विविध याचिका
425	67/एमपी/2020	7.12.2015 की अधिसूचना के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (3 X 660 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	30/07/2021	विविध याचिका
426	146/एमपी/2019	सौर एनर्जी कां. आफ इंडिया लि. के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन कार्यवाहियों का आरंभ और याचिका स. 192/एमपी/2018 में पारित 5.2.2019 के आदेश के निष्पादन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	26/07/2021	विविध याचिका
427	308/जीटी/2018 में 28/आरपी/2020	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए यूरी 2 हाईड्रो इलक्ट्रिक प्रो. के टैरिफ के अवधारण से संबंधित याचिका सं 308/जीटी/2018 में 5.2.2020 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण	27/07/2021	विविध याचिका
428	59/एमपी/2021	पावर एक्चेंज इंडिया लि. में माह अहेड कान्ट्रेक्ट के शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविआ(पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 6 और 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका	27/07/2021	विविध याचिका
429	635/आरसी/2020	आईईएक्स लि. में टी+11 दिनों के आगे ग्रीन टर्म अहेड कान्ट्रेक्टों और अतिरिक्त टर्म अहेड कान्ट्रेक्टों की शुरुआत के अनुमोदन के लिए 10.07.2020 विद्युत मंत्रालय के आदेश और केविआ(पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 7 के अनुपालन में आवेदन	27/07/2021	विनियामक अनुपालन
430	601/जीटी/2020	पाईवाली के विलेज केसरगोद डिस्ट्रिक, केरल में टीएचडीसी इंडिया लि. के 50 मेगावाट सौर पीवी पावर प्रो. के संबंध में प्रो. विनिर्दिष्ट टैरिफ का अवधारण	27/07/2021	उत्पादन टैरिफ



431	650/टीटी/2020	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग (ii) आर्स्टि:1 240एमवीएआर लाईन रिएक्टर सहित सिपत सियोनी सीकेटी 2 के लीलो सहित 765/400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन (नजदीक सिपत) का विस्तार और आर्स्टि:2 डब्ल्यूआरएसएस 11 योजना के अधीन बिलासपुर पूलिंग स्टेशन में 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी 3 के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	26/07/2021	पारेषण टैरिफ
432	26/आरपी/2020 में 69/आईए/2019 में 202/एमपी/2018	याचिका सं. 202/एमपी/2018 में 9.6.2020 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल क्रियाविधि कोड 1908 के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103(1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अंतर्गत याचिका	24/07/2021	पुनरीक्षण याचिका
433	477/एमपी/2020	4.1.2019 के प्रतिसंहरित स्टेज 2 संयोजकता के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा पहले से प्रस्तुत 5 00 00 000 रुपये की रकम के लिए बैंक गारंटी नं. 002बीजी01190330001 का प्रयोग करने के स्थान पर कर्नाटक राज्य में 300 मेगावाट आईएसटीएस संबंध पवन पावर प्रो. के विकास के लिए सोलन एनर्जी का. आफ इंडिया द्वारा जारी 17.6.2019 के अवार्ड पत्र के लिए स्टेज 2 संयोजकता प्रदान करने पर नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए याचिका कर्ताओं को निर्देश देने में भारतीय पावर ग्रिड का. कि कार्रवाई से उद्भूत विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(सी) और(एफ) के अधीन याचिका	26/07/2021	विविध याचिका
434	31/आरपी/2020 में 187/एटी/2019	याचिका सं. 187/एटी/2019 में आयोग द्वारा पारित 28.2.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 और सीपीसी के विनियम 1 और आदेश 47 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन याचिका	24/07/2021	पुनरीक्षण याचिका
435	123/टीटी/2020	2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग और दक्षिण क्षेत्र में मदुरै तिरवेंदरम 400 केवी डी/सी पारेषण प्रणाली के केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2019 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और और के अधीन अनुमोदन	21/07/2021	पारेषण टैरिफ

436	480 / टीटी / 2020	(प) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग (पप) दक्षिण क्षेत्र में निवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन 2 एक्सपेंशन प्रो. से संबद्ध पारेषण प्रणाली के टैरिफ ब्लॉक 2019-24 के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.01.2010) के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	22 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ
437	140 / टीटी / 2020	आस्ति:1- रायपुर उपकेन्द्र में 315एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3 फेस स्पेयर आईसीटी आस्ति:2 पुणे उपकेन्द्र में 315एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3 फेस स्पेयर आईसीटी आस्ति:3 वर्धा उपकेन्द्र में 420केवी 80 एमवीएआर 3 फेस शंट रिएक्टर आस्ति:4 देहगांव उपकेन्द्र में 315 एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3 फेस स्पेयर ट्रांसफार्मर आस्ति:5 दृ जबलपुर में 315 एमवीए 400 / 220 / 33 केवी 3 फेस स्पेयर ट्रांसफार्मर आस्ति:6 पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर और स्पेयर आईसीटी के उपबंध के अधीन इटारसी में 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और और के अधीन अनुमोदन	22 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ
438	22 / टीटी / 2020	पश्चिम क्षेत्र में एनटीपीसी भाग ख के विंध्याचल 5 प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए उपकेन्द्र एक्सटेंशन के अधीन 765 केवी डी/सी विंध्याचल पूलिंग स्टेशन जबलपुर पूलिंग स्टेशन के लिए जबलपुर पूलिंग स्टेशन में 2 नं. 330 एमवीएआर लाईन रिएक्टर सहित 2 नं. 765 केवी लाईन वेज और विंध्याचल पूलिंग स्टेशन में 2 नं. 330 एमवीएआर रिएक्टर सहित 2 नं 765 केवी लाईन वेज के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और और के अधीन अनुमोदन	20 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ



439	77/एमपी/2021	रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड5) और सौलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया के बीच 4.6.2019 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के अनुसार सौर कक्ष / मोड्यूल पर रक्षोपाय ड्यूटी के लगाने के कारण विधि घटनाओं में परिवर्तन के आफ सेट वित्तीय / वाणिज्यिक प्रभाव के लिए उचित समायोजन / क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उचित तंत्र की मांग करना और विधि में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए केविविआ के समक्ष विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन 79 के अधीन याचिका	20/07/2021	विविध याचिका
440	717/एमपी/2020	नीपको शिलांग के कोपली पावर स्टेशन (4*50 मेगावाट) के संबंध में सामान्य उपयोगी जीवन के आगे जीवन विस्तार के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण और नवीकरण के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए याचिका	19/07/2021	विविध याचिका
441	194/टीटी/2020	(क) कुरनूल न्यू उपकेन्द्र में नागार्जुन सागर बूटी 400 केवी एससी लाईन का लीलो (ख) कुरनूल न्यू कुरनूल एपट्रेस्को 400 केवी डी/सी क्वेड लाईन (ग) 2 X 1500 एमवीए ट्रांसफार्मर सहित कुरनुल में 765/400 केवी उपकेन्द्र (घ) कुरनूल एपट्रेस्को उपकेन्द्र का विस्तार और(ङ) दक्षिण क्षेत्र में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी भाग सी1 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन कुरनूल न्यू उपकेन्द्र में 1 X 240 एमवीएआर बस रिक्क्टर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	19/07/2021	पारेषण टैरिफ
442	99/टीएल/2021	बीकानेर 2 भिवाड़ी ट्रांसकों लि. के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केविविआ(पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन एवं शर्तों और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन अनुमोदन	15/07/2021	पारेषण अनुज्ञप्ति
443	218/टीटी/2020	आस्ति:1- पश्चिमी क्षेत्र में बदरावती एचवीडीसी बेक टू बेट स्टेशन में स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर की प्राप्ति के अधीन बदरावती एचवीडीसी बेक टू बेट स्टेशन में 3 नं. स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर (234 एमवीए 1 पीएक्स 3 वाईडिंग) की प्राप्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	10/07/2021	पारेषण टैरिफ

444	1/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण के अधीन संबद्ध बेज सहित विजयवाड़ा और श्रीपेरूमदूर के एक्सटेशन नेलोर में न्यू 400 केवी स्विचिंग स्टेशन, 400 केवी डी/सी नेलोर श्रीपेरूमदूर लाईन, 400 केवी डी/सी विजयवाड़ा नेलोर पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के टैरिफ अवधि का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	10/07/2021	पारेषण टैरिफ
445	101/एमपी/2021	आईसीआईसी बैंक लि. की ओर से कार्य करते हुए और ऋणदाताओं अर्थात आईडीएफसी फस्ट बैंक लिं. और एनआईआईएफ इन्फ्रा. फा. लि. (पूर्व आईडीएफसी इन्फ्रा. फा. लि.)की प्रतिस्थापन के अनुमोदन की मांग करते हुए केटिलिस्ट ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में पश्चिमा ट्रास्को पा. लि. (याचिकाकर्ता/ऋण लेने वाला) द्वारा प्रतिभूति ब्याज से सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(सी) के साथ पठित धारा 17 के अधीन याचिका	10/07/2021	विविध याचिका
446	494/एमपी/2020	टैली कम्यूनिकेशन और डिजीटल टेक्नालाजी कारोबार के लिए याचिकाकर्ता के पूर्णतया निजी अनुषंज्ञी कंपनी को शामिल करने के लिए माननीय आयोग के पूर्व अनुमोदन की मांग करने के लिए केविविआ(अन्य कारोबार से पारेषण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग) विनियम 2020 के विनियम 8(4) के अधीन याचिका	10/07/2021	विविध याचिका
447	106/टीडी/2021	वित्तीय वर्ष 2020-21 में श्रेणी 3 से श्रेणी 5 में अनुज्ञप्ति में डाउनग्रेडेशन के लिए केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें व अन्य संबंध मामले) विनियम 2020 के विनियम 9(4) और 15(3)(क) के अधीन आवेदन	09/07/2021	ट्रेडिंग
448	487/टीटी/2019	(1) 2001-04 2004-09 टैरिफ ब्लाक 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और (2) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडिंग (3) पूर्वी क्षेत्र में रंगीत टैरिफ पारेषण प्रणाली 2019-24 के टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	07/07/2021	पारेषण टैरिफ



449	383/टीटी/2020	आस्ति:1 नालागढ़ में 1X315 एमवीए, 400/220 केवी ट्रांसफार्मर आस्ति:2- अबदुल्लापुर में 1 X 315 एमवीए, 400/220 केवी ट्रांसफार्मर आस्ति:3 अमृतसर में 1 X 315 एमवीए, 400/220 केवी ट्रांसफार्मर आस्ति:4- उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता भाग 1 की वृद्धि से संबद्ध किशनपुर में 4 X 105 एमवीए, 400/220 केवी सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के 86 के अधीन अनुमोदन	07/07/2021	पारेषण टैरिफ
450	290/जीटी/2019	करसरा डिस्ट्रिक वाराणसी में 180 केडब्ल्यू वाराणसी स्टेशन के लिए परियोजना विनिर्दिष्ट के स्तरीकृत टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2017 के अधीन याचिका	07/07/2021	उत्पादन टैरिफ
451	485/टीटी/2019	उत्तरी क्षेत्र में फतेहाबाद में रूपांतरण क्षमता की वृद्धि (पीजी) के अधीन फतेहाबाद उपकेन्द्र में संबंध बेज सहित 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ(टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ(कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	07/07/2021	पारेषण टैरिफ
452	358/टीटी/2019	उत्तरी क्षेत्र में यूपीपीसीएल के पन्की मुरादनगर 400 केवी एस/सी लाईन पर सीरिज क्षतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के टैरिफ अवधि का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	06/07/2021	पारेषण टैरिफ

453	389 / टीटी / 2019	(i) 2004-09 टैरिफ ब्लॉक 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग और (iii) आस्ति:1-पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली डब्ल्यूआरएसएस4 के अधीन दमो एसएस में 220 केवी बेज और संबद्ध 400 केवी सहित 400 / 220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी 2 और बेज सहित दमों एसएस में 400 200 केवी आईसीटी 1 दमों (2) दमों में संबद्ध 400केवी बेज सहित 400 केवी 63 एमवीएआर बस रिपेक्टर सहित 400,220 केवी दमों एसएस समन्वित आस्ति के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	06 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ
454	306 / टीटी / 2019	पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवी बिना दृनागदा डी / सी लाईन से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन नागता और बिना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज उपकरण सहित 400 केवी डी / सी बिना नागदा पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	06 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ
455	304 / टीटी / 2019	पश्चिम क्षेत्र में चंदरपुर(एमएसईबी) स्विचयार्ड और बदरावती (पावरग्रिड) स्विचिंग स्टेशन (एक्सटेंशन) में बे सहित बदरावती चन्द्रापुर 400 केवी डीसी पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	06 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ





456	484 / एमपी / 2020	बैंक गारंटियों और कंफर्ट पत्रों के वापसी सहित कंफर्ट पत्रों और बैंक गारंटियों के प्रति संग्रहण से एसईसीआई और पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. के नियंत्रित करने के लिए निर्देशों की मांग करते हुए पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई सौलर होल्डिंग लि. के बीच निष्पादित 16.5.2019 के दीर्घकालिक पहुंच करार और पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई सौलर होल्डिंग लि. के बीच निष्पादित 28.1.2019 के पारेषण सेवा करार, फतेहगढ़ भादला ट्रांस लि. और एसीएमई सौलर होल्डिंग लि., पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. के बीच निष्पादित 25.09.2018 के त्रिपक्षीय पारेषण करार और सौलर एनर्जी का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई रेजर सौलर एनर्जी प्रा. लि. और सौलर एनर्जी का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई फलौदी सौलर एनर्जी प्रा. लि. के बीच निष्पादित 6.12.2018 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 11 और 13 तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	02 / 07 / 2021	विविध याचिका
457	491 / टीटी / 2019	पश्चिमी क्षेत्र कोरबा विंध्यांचल पारेषण प्रणाली के अधीन कोरबा एवं विंध्याचल में संबद्ध बेज उपकरण सहित 400 केवी एससी विंध्याचल कोरबा सीकेटी 2 के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	02 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ
458	375 / टीटी / 2020	केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी में श्रीकाकुल्लम क्षेत्र भाग ख में एनसीसी पावर प्रो. लि. एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं तथा पूर्वी तटीय एनर्जी प्र. लि. के अधीन आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	02 / 07 / 2021	पारेषण टैरिफ



459	461/टीटी/2020	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंग और (ii) दक्षिण क्षेत्र में एनएलसी कराईकल 230 डीसी लाईन के अधीन कराईकल में 230 केवी नेवेली बोहोर एससी लाईन के लीलो के माध्यम से पारेषण आस्ति एनएलसी करेकल 230 केवी डीसी लाईन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	01/07/2021	पारेषण टैरिफ
460	65/एमपी/2021	एनटीपीसी लि. और उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र के साथ विवाद के अधिनिर्णय की मांग करते हुए केविविआ(टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 60, 61, 79(1)(एफ), 86 (1)(ई) और 29(5) के अधीन याचिका	01/07/2021	विविध याचिका
461	60/एमपी/2021	एनटीपीसी लि. और उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र के साथ विवाद के अधिनिर्णय की मांग करते हुए केविविआ(टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 60, 61, 79(1)(एफ), 86 (1)(ई) और 29(5) के अधीन याचिका	01/07/2021	विविध याचिका
462	483/एमपी/2020	बैंक गारंटियों और कंफर्ट पत्रों के वापसी के लिए कंफर्ट पत्रों और बैंक गारंटियों के प्रति संग्रहण से एसईसीआई और पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. को नियंत्रित करने के लिए निर्देशों की मांग करते हुए पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई सौलर होल्डिंग लि. के बीच निष्पादित 03.6.2019 के दीर्घकालिक पहुंच करार और पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई सौलर होल्डिंग लि. के बीच निष्पादित 28.1.2019 के पारेषण सेवा करार, फतेहगढ़ भादला ट्रांस लि. और एसीएमई सौलर होल्डिंग लि., पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. के बीच निष्पादित 28.10.2018 के त्रिपक्षीय पारेषण करार और सौलर एनर्जी का. आफ इंडिया लि. और एसीएमई धौलगुप पावर टैक प्रा. लि. और सौलर एनर्जी का. आफ इंडिया और एसीएमई देवगर सौलर पावर प्रा. लि. के बीच निष्पादित 7.12.2018 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 11 और 13 तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	01/07/2021	विविध याचिका



463	495/एमपी/2020	केविविआ (अन्य कोराबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग) विनियम 2007 और अन्य संगत आदेशों के अधीन माननीय आयोग द्वारा प्रदान किये गए पूर्ववर्ती अनुमोदनों के अनुसार डिजीटल टेक्नालाजी कारोबार और दूरसंचार की सतताता के बारे में माननीय केविविआ को सूचित करते हुए केविविआ (अन्य कोराबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग) विनियम 2020 के विनियम 4 के अधीन याचिका	30/06/2021	विविध याचिका
464	439/एमपी/2019	याचिका सं 205/एमपी/2018 में 12.02.2019 के आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका 2020 के विनियम 4 के अधीन याचिका	30/06/2021	विविध याचिका
465	659/टीटी/2020	पश्चिमी क्षेत्र में खरगोन टीपीएस से संबद्ध पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावर ग्रिड कार्य के अधीन खरगोन टीपीएस राजगढ़(पावरग्रिड) 400 केवी लाईन के राजगढ़(पावरग्रिड) छोर में 500 ओएसएमएच एनजीआर सहित 63 एमवीएआर, 400 केवी स्विचेबल लाईन रिक्टर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप के लिए और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	30/06/2021	पारेषण टैरिफ
466	5/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र में झारखंड और वेस्ट बंगाल भाग क1 में फेज 1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन चंदवा (जीआईएस) में संबद्ध बेज सहित 2 X 125 एमवीएआर 400 केवी बस रिक्टर और रांची चंदवा और गया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रांची चंदवा गया लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप के लिए और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	30/06/2021	पारेषण टैरिफ
467	105/टीडी/2021	श्रेणी 4 से श्रेणी 5 व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए अटरिया एनर्जी स. प्रा. लि. के व्यापार अनुज्ञप्ति के डाउनग्रेड की मांग करते हुए केविविआ(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 3 और 6 और विनियम 15 (3) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 के अधीन आवेदन।	29/06/2021	ट्रेडिंग

468	358 / टीटी / 2020	भूटान से एनआर / डब्ल्यू आर में विद्युत के अंतरण और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में पूलिंग स्टेशन के विकास के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
469	415 / टीटी / 2019	(i) 2004-09 टैरिफ ब्लाक और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप और (iii) पश्चिमी क्षेत्र में बदरावती उपकेन्द्रों और रायपुर में बे एक्सटेंशन सहित 400 केवी डीसी रायगुर चन्द्रपुर (बदरावती) पारेषण लाईन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन अनुमोदन	29 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
470	405 / टीटी / 2020	आस्तिक1-वदोदरा धुले पारेषण लाईन (आईपीटीसी) के लिए 765 केवी वदोदरा जीआईएस में 765 केवी लाईन बेज और 3 X 80 एमवीएआर लाईन रिएक्टर आस्तिकख1- 765 केवी जबलपुर पूलिंग स्टेशन में 765 केवी लाईन बेज और 3 X 80 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टर (765 केवी एससी जबलपुर भोपाल लाईन के लिए) आस्तिकख2- 765 केवी इंदौर उपकेन्द्र में 765 केवी लाईन बेज और 3 X 80 एमवीएआर लाईन रिएक्टर 765 केवी एससी इंदौर भोपाल लाईन के लिए) आस्तिकख3- पश्चिमी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावक ग्रिड उपकेन्द्र में रिएक्टर उपबंध और लाईन बेज के अधीन 765 केवी एससी लाईन बेज के लिए 765 केवी औरंगाबाद उपकेन्द्र के विस्तार को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप, केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	28 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ



471	27/आरपी/2020 57/एटी/2020 में	याचिका संख्या 87/एटी/2020 में पारित 24.02.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन याचिका	28/06/2021	पुनरीक्षण याचिका
472	351/टीटी/2019	दक्षिण क्षेत्र में संबद्ध बे उपकरण सहित नागार्जुन सागर उपकेन्द्र में 315 एमवीए आईसीटी 3 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	27/06/2021	पारेषण टैरिफ
473	4/आरपी/2021 68/एमपी/2017 में	याचिका सं 68/एमपी/2017 में 21.01.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	28/06/2021	पुनरीक्षण याचिका
474	271/जीटी/2019	24.12.2015 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए टूडंग अप कार्य पर आधारित त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्लांट के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	26/06/2021	उत्पादन टैरिफ
475	590/टीटी/2020	तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रो., पूर्वी उत्तरी इंटर कनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट बरेली मंडोला पारेषण लाईन और 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर लखनऊ पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन विनियम 8 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	24/06/2021	पारेषण टैरिफ

476	589/टीटी/2020	तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रो., पूर्वी उत्तरी इंटर कनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से संबद्ध पूर्वी क्षेत्र में 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) मुजफ्फरपुर(बीएसईबी) पारेषण लाईन और 400 केवी डबल सर्किट सिलिगुड़ी पूर्णिया पारेषण लाईन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया मुजफ्फरपुर पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन विनियम 8 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूइंग अप, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	24/06/2021	पारेषण टैरिफ
477	42/टीडी/2021	केविविआ(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 9 (4) और 15(3)(क) के अधीन अनुज्ञप्ति के डाउनग्रेड के लिए आवेदन	23/06/2021	ट्रेडिंग
478	जीटी/472/2014	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए एनएलसी टीपीएस-1 (600 मेगावाट) के टैरिफ और पूंजी व्यय के टूइंगअप के लिए याचिका	21/06/2021	उत्पादन टैरिफ
479	जीटी/474/2014	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए एनएलसी टीपीएस-1 (420 मेगावाट) के टैरिफ और पूंजी व्यय के टूइंगअप के लिए याचिका	22/06/2021	उत्पादन टैरिफ
480	23/आरपी/2020 188/एटी/2020 में	याचिका सं 188/एटी/2020 में पारित 18.03.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	22/06/2021	पुनरीक्षण याचिका
481	181/एमपी/2020	विधि घटनाओं में इस प्रकार के परिवर्तन के आफसेट वाणिज्यिक प्रभाव के उपयुक्त समायोजन/क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र की मांग करते हुए याचिका कर्ता द्वारा वहन की जाने वाली परियोजना की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने पर बोली की तिथि(अर्थात 5.12.2017) के बाद सौर मोड्यूल के आयात पर रक्षोपाय ड्यूटी के शुरुआत अर्थात विधि में परिवर्तन के अधीन सहायता की मांग करते हुए बोली मार्गनिर्देशों के खंड 5.7 और 27.4.2018 के पीपीए के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	17/06/2021	विविध याचिका



482	386/टीटी/2019	पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर में 400 केवी डीसी रायपुर राउरकेला पारेषण लाईन के लिए थाईरीस्टोर नियंत्रित सीरिज क्षतिपूर्ति और नियत के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप और 2004-09 और 2009-14 के टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	19/06/2021	पारेषण टैरिफ
483	22/आरपी/2019 255/टीटी/2018 में	याचिका संख्या 255/टीटी/2018 के आदेश में 4.10.2019 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	20/06/2021	पुनरीक्षण याचिका
484	211/एमपी/2011	एनएसपीसीएल के उत्पादन केन्द्र से भिलाई स्टील प्लांट के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त की जा रही 220 केवी लाईन पर भार पारेषण हानियों द्वारा डब्ल्यूआरएलडीसी के यादृच्छिक कार्रवाई के विरुद्ध और केविविआ(अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 20 और 21 के अधीन याचिका	20/06/2021	विविध याचिका
485	453/एमपी/2019	विधि में परिवर्तन क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता के बीच प्रविष्ट 24.06.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	16/06/2021	विविध याचिका
486	502/जीटी/2020	1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि की नियंत्रण अवधि के लिए आधुनिक पावर और नेचुरल रिसोर्स लि. के 540(2X270) मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्रो. के बहुवर्ष टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ(कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1)(ख) के अधीन याचिका	17/06/2021	उत्पादन टैरिफ
487	399/एमपी/2019	1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि की नियंत्रण अवधि के लिए ईआरएलडीसी प्रभारों को अवधारित करने के लिए केविविआ (आरएलडीसी के फीस एवं प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 के विनियम 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की उपधारा 4 के अधीन दाखिल आवेदन	17/06/2021	विविध याचिका

488	93/एमपी/2021	कन्सट्रक्शन फेस बैंक गांटरी प्रस्तुत करने के लिए दीर्घकालिक पहुंच के लिए करारों के खंड 1.0 (ग) के अधीन यथानिर्धारित 3 माह की समय अवधि के विस्तार के लिए केविविआ(अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 33(क) और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका	17/06/2021	विविध याचिका
489	263/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में संबद्ध बेज सहित जयपुर उपकेन्द्र में 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	16/06/2021	पारेषण टैरिफ
490	465/टीटी/2020	पूर्वी क्षेत्र में तिस्ता स्टेज 5 एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन आस्तियों के 3 नं के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	16/06/2021	पारेषण टैरिफ
491	555/एमपी/2020	मानकीय स्टेशन हीट दर के रियायत के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 से 115 और केविविआ(टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 49, 76 और 77 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	14/06/2021	विविध याचिका
492	493/टीटी/2019	आस्ति:1 संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी गोरखपुर लखनऊ पारेषण लाईन आस्ति:2- उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस 10 के अधीन बेज सहित लखनऊ में 400 केवी डीसी गोरखपुर लखनऊ पारेषण लाईन पर 30 प्रतिशत एफएससी को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	13/06/2021	पारेषण टैरिफ





493	81/टीटी/2016	याचिका सं 133/एमपी/2012 के लिए 31 जनवरी 2013 के माननीय केविविआ के आदेश के अनुसार 400 केवी श्रीनगर – श्रीनगर पीएच लाईन के लिए वित्तीय 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अनुज्ञप्ति पारेषण कारोबार के लिए टैरिफ के अवधारण और वार्षिक नियत लागत के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62 और 79 (1)(ग) और 79(1)(घ) के अधीन अनुमोदन	13/06/2021	पारेषण टैरिफ
494	98/एटी/2021	बीकानेर 2 भिवाड़ा ट्रास्को लि. (पावर ग्रिड का. आफ इंडिया लि. की एक 100 प्रतिशत सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व की अनुषंज्ञी) द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभार के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	12/06/2021	टैरिफ का अंगीकरण
495	116/एमपी/2021	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	12/06/2021	विविध याचिका
496	366/एमपी/2019	31.12.2016 से पहले और 1.1.2003 के बाद स्थापित/आरंभ किये गये थर्मल पावर प्लांट के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी 07.12.2015 की अधिसूचना के अनुपालन के लिए किसी अन्य उपायों और ओवर फायर एयर प्रदान करते हुए लोनोक्स बर्नर की स्थापना, एफजीडी के स्थापन, ईएसपी के स्थापन/रेट्रोफिट के लिए विधि में परिवर्तन के कारण याचिकाकर्ता द्वारा की गयी लागत के अनुमोदन की मांग करते हुए याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच प्रविष्ट 1.11.2013 के दोनों विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	11/06/2021	विविध याचिका
497	376/एमपी/2019	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एनईआरएलडीसी प्रभारों के अवधारण के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 के विनियम 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन दाखिल आवेदन	10/06/2021	विविध याचिका
498	490/जीटी/2020	यूनिट 1 वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीख (अर्थात् 1.3.2020) से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए डर्लीपल्ली सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (2 ग् 800 मेगावाट) के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9 के अध्याय 3 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(क) के अधीन याचिका दन	09/06/2021	उत्पादन टैरिफ



499	10 / टीटी / 2020	दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण प्रादेशिक ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण 7 के अधीन समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	09 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
500	471 / टीटी / 2020	उत्तरी क्षेत्र में किशनगंगा एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली योजना के अधीन एमसी टावर पर 220 केवी किशनगंगा अमरगढ़ डी / सी लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	09 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
501	651 / टीटी / 2020	उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XVIII" के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी / सी निमराना सिकर पारेषण लाईन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ के टूडंग अप के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	09 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
502	125 / टीटी / 2020	"उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XI" के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी / सी मेरठ कैथल(क्वेद) पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ के टूडंग अप के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	09 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
503	115 / एमपी / 2021	पहले सिंक्रोनाइजेशन की तारीख से 6 महीने की निर्धारित अवधि के आगे अर्थात केएपीपी-3 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा 09.07.2021 से आगे या 09.01.2022 तक जो भी पहले हो, विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन ग्रिड से स्टार्ट अप पावर की आहरण सहित इन्फर्म पावर की अंतरपरिवर्तन की अनुमति की मांग करते हुए याचिका	09 / 06 / 2021	विविध याचिका



504	559/एमपी/2020	दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के बिना थर्मल पावर प्लांट की सहभागिता के लिए उचित तंत्र/मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए, जिसे एफजीडी की कार्यान्वयन अवधि अर्थात 2022 तक, के दौरान पावर एक्सचेंज एवं डीप ई बिडिंग पोर्टल पर विद्युत की बिक्री के लिए स्तर और कीमत में एकरूपता और विद्युत बाजारों 7.12.2015 की अधिसूचना के मौजूदा विधि अर्थात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अनुपालन के अनुसार एफजीडी कार्यान्वित किया गया है, आयोग के हस्तक्षेप की मांग करते हुए पावर मार्केट विनियम 2010 के विनियम 63 और 64 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(के) के अधीन याचिका	09/06/2021	विविध याचिका
505	400/एमपी/2019	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की नियंत्रण अवधि के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी प्रभारों के अवधारण के लिए केविविआ ( प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 के विनियम 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा(4) के अधीन आवेदन	09/06/2021	विविध याचिका
506	464/टीटी/2020	आस्ति-1: 400 केवी डी/सी कोटेश्वर एचईपी-कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन सर्किट 1 और 2 तथा संबद्ध बेज आस्ति-2: संबद्ध बेज सहित कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन में 765 केवी टिहरी मेरठ लाईन के सर्किट 1 का लीलो आस्ति-3: संबद्ध बेज सहित कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन में 765 केवी टिहरी मेरठ लाईन के सर्किट 2 का लीलो आस्ति-4: उत्तरी क्षेत्र में "कोटेश्वर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली" के अधीन टिहरी पूलिंग प्वाइंट (कोटेश्वर) - मेरठ 765 केवी 2' एस/सी लाईन(400 केवी पर प्रभारित) को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ के टूटिंग अप के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	08/06/2021	पारेषण टैरिफ
507	458/टीटी/2020	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूटिंग अप और (ii) पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना XVII के भाग ख के अधीन गया उपकेन्द्र में 400 केवी एआईएस बे और 220 केवी जीआईएस बे सहित 400/220 केवी, 500 एमबीए आईसीटी 3 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	08/06/2021	पारेषण टैरिफ

508	101 / टीटी / 2020	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंग अप और (ii) आस्ति: 1 - उत्तरी ग्रिड के दक्षिण पश्चिम भाग (ख) में प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अधीन संबद्ध बेज(वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.08.2010) से संबद्ध बेज सहित 400 केवी एस/सी कन्क्रोली जोधपुर पारेषण लाईन के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण लाईन के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	08 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
509	61 / टीटी / 2020	2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूड़ंग अप और उत्तरी क्षेत्र में उचार टीपीएस के अधीन एटीएस के लिए फतेहपुर में 400 केवी बेज के योजना प्रावधान के अधीन फतेहपुर 400/220 केवी उपकेन्द्र में आस्ति 1, 2 न. 400 केवी लाईन बेज के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	08 / 06 / 2021	पारेषण टैरिफ
510	273 / जीटी / 2019	नीपको लि. शिलांग के रंगानदी हाईड्रो इल्किट्रिक प्लांट 3X135 = 405 मेगावाट के संबंध में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए टूड़ंगअप कार्य के लिए 1.4.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के उपबंधों से संबद्ध और और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79(1) के अधीन याचिका	07 / 06 / 2021	उत्पादन टैरिफ
511	23 / आरपी / 2019 में 171 / टीटी / 2018	याचिका सं 171 / टीटी / 2018 में 30.09.2019 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविआ(कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1)(एफ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	05 / 06 / 2021	पुनरीक्षण याचिका
512	546 / एमपी / 2020	याचिकाकर्ता सं 2 के पक्ष में याचिका कर्ता सं 1 की सभी चल और अचल आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	05 / 06 / 2021	विविध याचिका
513	108 / एमपी / 2021	आरएपीपी-7 के पहले सिंक्रोनाइजेशन तक या 30.06.2022 जो भी पहले हो के विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अनुसार ग्रिड से स्टार्टअप पावर की सतत आहरण के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका	05 / 06 / 2021	विविध याचिका



514	29/जीटी/2020	याचिका सं 315/जीटी/2018 में 26.6.2019 के आयोग के आदेश द्वारा अवधारित टैरिफ के प्रथम यूनिट के वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से (अर्थात 13.5.2014) से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए टूइंग अप, रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (412 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	04/06/2021	उत्पादन टैरिफ
515	132/टीटी/2020	आस्ति-1: हमीरपुर में 400 केवी डी/सी पारबती अमृतसर पारेषण लाईन के एक सर्कट का लीलो और हमीरपुर जीआईएस उपकेन्द्र में लाईन रिएक्टर, संबद्ध बेज सहित 400केवी 80 एमवीएआर बस रिएक्टर से संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी 1 आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XX के अधीन हमीरपुर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी 2 का एक नंबर, को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 पारेषण टैरिफ के टूइंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	02/06/2021	पारेषण टैरिफ
516	721/एटी/2020	3.08.2017 को और इसके संशोधनों पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गये 2000 मेगावाट के आईएसटीएस ग्रिड संबद्ध सौर फोटो वोल्टैक प्रोजेक्ट के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका	02/06/2021	टैरिफ का अंगीकरण
517	422/टीटी/2019	दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में श्रीकाकुल्म भाग ग में एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं और पूर्वी कोस्ट एनर्जी प्रा लि से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन श्रीकाकुल्म में 1 ग 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 765 केवी डी/सी श्रीकाकुल्म एंगुल पारेषण लाईन के दोनों सर्किटों की समाप्ति के लिए श्रीकाकुल्म और एंगुल में प्रत्येक 2 ग 240 स्विचेबल लाईन रिएक्टर से संबद्ध 2 नं. 765 लाईन बेज के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	01/06/2021	पारेषण टैरिफ

518	356/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में गंगटोक में 132 केवी डी/सी सिलीगुडी रंगीत पारेषण लाईन के 1 सर्किट के लीलो के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	31/05/2021	पारेषण टैरिफ
519	89/टीएल/2021	रामगढ न्यू ट्रांसमिशन के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन	31/05/2021	पारेषण अनुज्ञप्ति
520	378/एमपी/2019	01.04.2019 से 31.03.2024 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एसआरएलडीसी प्रभारों के अवधारण के लिए केविआ ( प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस एवं प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 के विनियम 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन दाखिल आवेदन	31/05/2021	विविध याचिका
521	374/एमपी/2019	01.04.2019 से 31.03.2024 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एनआरएलडीसी प्रभारों के अवधारण के लिए केविआ ( प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस एवं प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 के विनियम 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन दाखिल आवेदन	31/05/2021	विविध याचिका
522	264/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी तल्वर मेरा मुंडली पारेषण लाईन के केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	31/05/2021	पारेषण टैरिफ
523	7/एसएम/2021	प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किसी अन्य स्रोत से फर्म पावर सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की प्राप्ति के लिए भुगतान और बोली मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वृद्धि घटक और अन्य पैरामीटरों के संगणना के लिए पद्यति	29/05/2021	स्व-प्रेरणा से



524	351/एमपी/2018	विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण उत्पादक द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय के पासथ्रू की अनुमति के लिए 27.08.2018 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार और प्रतिवादी संख्या 1 और याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित 19.12.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका	31/05/2021	विविध याचिका
525	380/एमपी/2018	विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति के दावों के लिए प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित 12.12.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका	31/05/2021	विविध याचिका
526	413/टीटी/2019	पश्चिमी क्षेत्र में तारापुर अटोमिक स्टेशन स्टेज 3 और 4 से संबद्ध तारापुर पारेषण प्रणाली के समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	30/05/2021	पारेषण टैरिफ
527	591/एमपी/2020	याचिकाकर्ता सं. 1 के पारेषण प्रोजेक्ट के प्रयोजन के लिए ऋणकर्ता और उनके समनुदेशी अंतरिती, नवेटी के लाभ के लिए केटेलिस्ट टस्टीशिप लि. के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 की आस्तियों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए अनुमोदन के लिए याचिका	30/05/2021	विविध याचिका
528	449/टीटी/2020	आस्ति:1 दृ संबद्ध बेज सहित कैथल उपकेन्द्र में पटियाला हिसार का लिलो आस्ति:2- पटियाला और लुधियाना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी पटियाला लुधियाना लाईन आस्ति:3- रामपुर में 400 केवी डी/सी नाथपा झाकरी नालागढ़ ट्रिपल स्नोबर्ड के पहले सर्किट का लिलो आस्ति:4 उत्तरी क्षेत्र में रामपुर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन कवर किये गये रामपुर में 400 केवी नाथपा झाकरी नालागढ़ ट्रिपल स्नोबर्ड के दूसरे सर्किट का लिलो के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	29/05/2021	पारेषण टैरिफ

529	469/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में मेरामुंडली और जयपुर उपकेंद्रों के विस्तार सहित 400 केवी एस/सी मेरामुंडली जयपुर पारेषण लाईन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	29/05/2021	पारेषण टैरिफ
530	5/एसएम/2021	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विनियम 2010 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 11 के अधीन संदेय या फीस एवं प्रभारों का अवधारण	03/05/2021	स्व-प्रेरणा से
531	4/एसएम/2021	केविविआ (ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों में लेन देन के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2016 के विनियम 12 के अधीन संदेय या फीस एवं प्रभारों का अवधारण	03/05/2021	स्व-प्रेरणा से
532	2/एसएम/2021	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2020 के विनियम 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्तरीकृत जनेरिक टैरिफ का अवधारण	29/05/2021	स्व-प्रेरणा से
533	476/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में फरक्का 3 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप	28/05/2021	पारेषण टैरिफ
534	84/टीटी/2019	पुनरीक्षण याचिका सं 41/आरपी/2017 में आयोग के निर्देश के अनुसरण में उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना गट के अधीन संबद्ध बेज सहित 765 केवी एस/सी जयपुर आरवीपीएन भिवानी टीएल (सीकेटी 2) आस्ति 1 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	27/05/2021	पारेषण टैरिफ
535	639/एमपी/2020	फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 (1ग500 मेगावाट) की कटाफ तारीख के छुट के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 76 और 77 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(क) के अधीन याचिका	21/05/2021	विविध याचिका





536	361/टीटी/2019	उत्तरी क्षेत्र में गोरखपुर मुजफ्फरपुर 400 केवी लाईन और रिहंद दादरी एचवीडीसी बाईपोल के लिए विशेष संरक्षण योजना के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	21/05/2021	पारेषण टैरिफ
537	76/टीडी/2021	विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी ट अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन आवदेन	23/05/2021	ट्रेडिंग
538	611/एमपी/2020	बैंक गारंटियों की वापसी के लिए और बैंक गारंटियों के इनवोकिंग से एसईसीआई को बनाए रखने के लिए निर्देशों की मांग करते हुए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. और रिहंद फ्लोटिंग सौर पा.लि. के बीच निष्पादित 17.12.2019 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 4.5.3 और अनुच्छेद 13.5 के साथ पठित अनुच्छेद 11 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	24/05/2021	विविध याचिका
539	387/टीटी/2019	पश्चिमी क्षेत्र में खंडवा में 400 केवी डी/सी इटारसी धुले पारेषण लाईन के लीलो और 400/220 केवी खंडवा उपकेंद्र के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूइंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	20/05/2021	पारेषण टैरिफ



540	124 / टीटी / 2020	<p>आस्ति:1-लुधियाना उपकेन्द्र में 315 एमवीए आईसीटी 3 और आस्ति:2-एनआरएसएस VII के अधीन वगूरा उपकेन्द्र में बे एक्सटेंशन कार्य को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन</p>	20 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ
541	14 / टीटी / 2020	<p>आस्ति:क- हिसार उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति:ख फरीदाबाद उपकेन्द्र में आईसीटी 1 400 केवी मोगा हिसार लाईन का लीलों 4 नं 220 केवी लाईन बेज(फतेहाबाद 1 और फदेहाबाद 2 से फीडर) और फतेहाबाद उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 50 एमवीएआर बस रिएक्टर बे आस्ति:ग लुधियाना उपकेन्द्र और मलेरकोटला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित मलेरकोटला लुधियाना जालंधर पारेषण लाईन सहित कुल अपस्ट्रीम प्रणाली आस्ति:घ लुधियाना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित आईसीटी 1 आस्ति:ङ लुधियाना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित आईसीटी 2 आस्ति:च उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस 3 के अधीन 400 / 220 केवी फतेहाबाद उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी 2 को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन</p>	20 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ
542	312 / टीटी / 2019	<p>उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लोकटक एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन</p>	20 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ



543	8 / टीटी / 2020	आस्ति:1 संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी आगरा बस्सी पारेषण लाईन आस्ति:2 वगूरा उपकेन्द्र संबद्ध बेज सहित 3 X 105 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी 3 आस्ति:3 वगूरा उपकेन्द्र में 220 केवी जेनकोट 3 और 4 आस्ति:4 – उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस 2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन मेनपुरी में अलाहबाद मेनपुरी 400 केवी डी/सी लाईन पर 40 प्रतिशत एफएससी को शामिल करते हुए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004–09 और 2009–14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	17 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ
544	59 / टीटी / 2020	आस्ति:1क-वेमागिरी 1(एपी) में सिमाद्री विजयवाड़ा 400 केवी लाईन के 1 लीलो डी/सी भाग का दोनों सर्किट वेमागिरी 2 (पीजी) में संबद्ध बेज सहित (पीजी(डीसी भाग और मल्टी सर्किट भाग) वेमागिरी 2 में लीलो होगा ख-वेमागिरी(एपी) में सिमाहद्री विजयवाड़ा 400 केवी लाईन के दूसरे लीलों डीसी भाग का दोनों सर्किट वेमागिरी 2 में लूप होगा (पीजी)। यहां नो लूप आउट होगा। वेमागिरी 1(एपी) से 400 केवी डी/सी लाईन का खुला भाग वेमागिरी 2 (पीजी) में संबद्ध बेज सहित केवी कोटा लाईन के समाप्ति के लिए प्रयुक्त होगा। ग- दक्षिण क्षेत्र में 400 केवी वेमागिरी उपकेन्द्र में 400 केवी बेज एक्सटेंशन में दबाव के निराकरण के अधीन सिमाहद्री 2 वेमागिरी 2 (पीजी) 400 केवी डी/सी लाईन पर प्रयोग के लिए वेमागिरी 2 पीजी में गजूवाका से 63 एमवीएआर रिपक्टर के 2 नं. की शिफिटिंग के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	17 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ
545	495 / टीटी / 2019	आस्ति-1- संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी/सी उचांर कानपुर पारेषण लाईन 1 आस्ति-2- संबद्ध बेज सहित 220 केवी डी/सी उचांर कानपुर पारेषण लाईन 2 आस्ति-3 उत्तरी क्षेत्र में उचांर स्टेज 2 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के 220 केवी डी/सी पंकी मेनपुरी लाईन 2 के एक सर्किट का लीलो के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004–09 और 2009–14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	14 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ

546	73/एमपी/2020	एसबी एनर्जी 1 प्रा.लि और सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के बीच 6.10.2017 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 के अनुसार राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 30.07.2018 के अधिसूचना संख्या 01/2018 कस्टम एसजी के जरिये सौर सेल के आयात पर रक्षोपाय ड्यूटी के शुरुआत और आरोपण(मोड्यूल या पैनल में असेम्बल हैं या नहीं) और संबंधित राज्यों द्वारा विनियमित राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के आरंभ के कारण पूंजी लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए परिणामी राहत और विधि में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका	13/05/2021	विविध याचिका
547	509/टीटी/2019	आस्ति:1-निजामाबाद यदुमेलाराम(शंकरपल्ली) 400 केवी डी/सी लाईन की समाप्ति के लिए निजामाबाद में 400 केवी जीआईएस लाईन बेज का 2 नं. आस्ति:2-दक्षिण क्षेत्र में महेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए योजना संयोजकता लाईनों के लिए लाईन बेज का उपबंध के अधीन महेश्वरम (पीजी) महबूब नगर 400 केवी डी/सी पारेषण लाईन की समाप्ति के लिए महेश्वरम (पीजी) में 400 केवी जीआईएस लाईन बेज का 2 नं.	13/05/2021	पारेषण टैरिफ
548	337/टीटी/2019	उत्तरी क्षेत्र में कानपुर में 220 केवी एसई पन्की नोबास्ता पारेषण लाईन के लीलों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	13/05/2021	पारेषण टैरिफ
549	9/टीटी/2020	पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर 400 केवी उपकेन्द्र में लाईनों की समाप्ति के रीकन्फ्रीगेशन/शिपिंग और स्प्लिट बस व्यवस्था के अधीन रायपुर बी से रायपुर ए में चन्द्रपुर 2 और चन्द्रपुर 3 लाईन बेज की शिपिंग और चन्द्रपुर 1 और चन्द्रपुर 2 के मौजूदा बेज लाईन के बीच प्वाइंट पर दोनों खण्डों में बस खण्ड के माध्यम से 400 केवी रायपुर बस के खंडन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	13/05/2021	पारेषण टैरिफ



550	354/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में रांची उपकेन्द्र में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड प्रणाली के साथ 220 केवी इंटरकनेक्शन से संबद्ध रांची उपकेन्द्र में पटराटू हटिया चांदिल 220 केवी डी/सी लाईन के दोनों सर्किट के लीलों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	14/05/2021	पारेषण टैरिफ
551	142/टीटी/2020	क- तल्चर और कोलार के समन्वित घटकों/एचवीडीसी भाग (नोशनल वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2003 और ख. दक्षिण क्षेत्र में तल्चर 2 प्रोजेक्स से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन तल्चर और कोलार के समन्वित घटक (एसी भाग) (नोशनल वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2003) के लिए 1. 2001-04 टैरिफ ब्लाक 2004-09 टैरिफ ब्लाक और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण 2. 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 3. 2019-24 ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	12/05/2021	पारेषण टैरिफ
552	350/टीटी/2019	दक्षिण क्षेत्र में विशेष ऊर्जा मीटरों के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	12/05/2021	पारेषण टैरिफ
553	287/एमपी/2018	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अनुसार पावर एक्सचेंज को स्थापित और प्रचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए यथासंशोधित केविविआ(पावर मार्केट)विनियम 2010 के विनियम 16 के अधीन याचिका	12/05/2021	विविध याचिका

554	350 / टीटी / 2020	<p>आस्तिक 1- रायपुर उपकेन्द्र में 400 केवी 1 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 2- सियोनी उपकेन्द्र में 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 3 - रायपुर उपकेन्द्र में 400 केवी 63 एमवीएआर लाईन रिएक्टर आस्तिक 1 400 केवी दमो उपकेन्द्र में 1X125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 2 400 केवी बजाऊ उपकेन्द्र में 1 X 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 3 - 400 केवी पीराना उपकेन्द्र में 1 X 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 4 -400 केवी इटारसी उपकेन्द्र में 1 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 5 400 केवी इटारसी उपकेन्द्र 1 X 125 एमवीएआर बस रिएक्टर 2 आस्तिक 6- 400 केवी ग्वालियर उपकेन्द्र में 1 X 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 1- पार्ली उपकेन्द्र 400 केवी 1 X 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्तिक 2- पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर भाग 2 की स्थापना के अधीन 400 केवी पुणे उपकेन्द्र में स्विचबल लाईन रिएक्टर में 50 एमवीएआर लाईन रिएक्टर (4 न) का संपरिवर्तन के (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडिंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन</p>	10 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ
555	302 / टीटी / 2019	<p>पूर्वी क्षेत्र में 220 केवी बिहार शरीफ बेगूसराय पारेषण लाईन के हाथी द रिवर क्रासिंग सेक्शन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडिंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन</p>	09 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ
556	497 / टीटी / 2019	<p>दक्षिण क्षेत्र में अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली सहित कुदनकुल्लम 3 और 4 (2 X 1000 मेगावाट) के लिए संयोजकता के अधीन तृतीकारिन पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित तृतीकारिन पूलिंग स्टेशन में कुदानकुल्लम एपीपी तिरुनेलवेली 400 क्वेड डी/सी लाईन के विस्तार के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्त) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडिंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन</p>	07 / 05 / 2021	पारेषण टैरिफ



557	315/टीटी/2019	उत्तरी क्षेत्र में भिवाड़ी में आईसीटी 1 और आईसीटी 2 तथा बल्लभगढ़ बस्सी 400 केवी एससी लाईन के लीलो सहित 400/220 केवी भिवाड़ी उप केन्द्र के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	07/05/2021	पारेषण टैरिफ
558	155/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में एनएलसी 2 पारेषण प्रणाली के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	06/05/2021	पारेषण टैरिफ
559	489/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में बारीपाड़ा में न्यू 400/220/132 केवी उपकेन्द्र के स्थापन और बारीपाड़ा में कोलाघाट रेनाग्ली 400 केवी एससी लाईन के लीलो के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	05/05/2021	पारेषण टैरिफ
560	90/एटी/2021	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिं के 100 प्रतिशत पूर्ण रुप से अनुषंगी रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	05/05/2021	टैरिफ का अंगीकरण
561	621/एमपी/2020	टेनगेंडको पर जीडब्ल्यूईएल द्वारा उठाए गए अनुपूरक बिल और मासिक बिल(पारेषण प्रभार) के भुगतान में विलंब के कारण विलंब भुगतान अधिभार की वसूली के लिए जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लि. और जीएमआर वरोरा एनर्जी लि. (पावर की आपूर्ति के लिए बेक टू बेक व्यवस्था के रूप में) के बीज 3.5.2014 के विद्युत क्रय करार के साथ पठित जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लि. और टेंगगेडकों के बीच 27. 11.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 8.3 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका	05/05/2021	विविध याचिका

562	352/टीटी/2019	उत्तरी क्षेत्र में 132 केवी एससी माऊबलिया पारेषण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	05/05/2021	पारेषण टैरिफ
563	81/एमपी/2021	12.03.2020 और 23.03.2020 के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों के साथ पठित 4.1.2019 के विद्युत क्रय करार के अनुसार विधि में परिवर्तन की घटना के रूप में मानी जा रही और केन्द्र सरकार द्वारा रक्षोपाय ड्यूटी के लगाने के परिणाम के रूप में सौलर एनर्जी का. आफ इंडिया लि. से विधि क्षतिपूर्ति में परिवर्तन के भुगतान की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1994 के विनियम 68 और 111 से 113 सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(के) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका	04/05/2021	विविध याचिका
564	210/टीटी/2020	उत्तरी क्षेत्र में संबद्ध बे उपकरणों सहित बल्लभगढ़ उपकेन्द्र में 315 एमवीए, 440/220 केवी आईसीटी 4 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	30/04/2021	पारेषण टैरिफ
565	338/टीटी/2019	दक्षिण क्षेत्र में 400 केवी डी/सी कौगा सिरसा पारेषण लाईन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	26/04/2021	पारेषण टैरिफ
566	256/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी जमशेदपुर राउरकेला एससी सीकेटी 2 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	28/04/2021	पारेषण टैरिफ





567	420/टीटी/2019	आस्ति:1- अलाहबाद में 400 केवी एससी सिंगरौली कानपुर पारेषण लाईन 1 का लीलो आस्ति:2 अलाहबाद में 400 केवी एससी सिंगरौली कानपुर का लीलो आस्ति: 3 संबद्ध बेज सहित अलाहबाद में आईसीटी 1 और आस्ति:4 उत्तरी क्षेत्र में संबद्ध सहित अलाहबाद में आईसीटी 2 को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	30/04/2021	पारेषण टैरिफ
568	482/टीटी/2019	आस्ति:1- संबद्ध बेज सहित 800 केवी किशनपुर मोगा पारेषण लाईन 1 आस्ति:2- संबद्ध बेज सहित 800 केवी किशनपुर मोगा पारेषण लाईन 2 आस्ति:3 द उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर मोगा पारेषण लाईन सहित पारेषण प्रणाली के लिए संबद्ध बेज सहित मोगा उपकेन्द्र में 420/220 केवी, 250 एमवीए आईसीटी 3 से संबद्ध किशनपुर उपकेन्द्र में 420 केवी 63 एमवीएआर बस रिक्टर को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	30/04/2021	पारेषण टैरिफ
569	480/टीटी/2019	दक्षिण क्षेत्र में वेमागिरी से आगे पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबद्ध उपकेन्द्र कार्य के अधीन श्रीकाकुल्लम पूलिंग स्टेशन गरीविधि 400 केवी क्वेड डीसी लाईन की समाप्ति के लिए श्रीकाकुल्लम में 400 केवी लाईन बेज के 2 नम्बर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	29/04/2021	पारेषण टैरिफ
570	277/एमपी/2020	पारेषण प्रभारों के दावे के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा जारी 20.01.2020 के इनवाइस पत्र और पत्र का रद्द करने की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(सी), 79(1)(एफ) और 79(1)(के)	29/04/2021	विविध याचिका



571	38 / टीटी / 2020	आस्ति:1- टैरिफ आधारित बोली के अधीन कार्यान्वित किये जा रहे 400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित नागापट्टनम पूलिंग स्टेशन स्लेम न्यू (धर्मपुरी) 765 केवी डी/सी लाईन की समाप्ति के लिए स्लेम न्यू(धर्मपुरी) में प्रत्येक 2 नं. 400 केवी बेज और आस्ति:2- दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु भाग क1 (ख) के नागापट्टनम/कुदलोर क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य पारेषण योजना के अधीन 400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित नागापट्टनम पूलिंग स्टेशन स्लेम न्यू(धर्मपुरी) के दोनों सर्किटों के लिए नागापट्टनम पूलिंग स्टेशन और स्लेम न्यू(धर्मपुरी) में 1 न. 63 एमवीएआर लाईन रिपेक्टर के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूटिंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	29 / 04 / 2021	पारेषण टैरिफ
572	339 / एमपी / 2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28 / 04 / 2021	विविध याचिका
573	512 / एमपी / 2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2 X 660 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28 / 04 / 2021	विविध याचिका
574	526 / एमपी / 2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (2 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28 / 04 / 2021	विविध याचिका
575	521 / एमपी / 2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (2 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28 / 04 / 2021	विविध याचिका



576	516/एमपी/2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 (2 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28/04/2021	विविध याचिका
577	509/एमपी/2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (2 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28/04/2021	विविध याचिका
578	519/एमपी/2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28/04/2021	विविध याचिका
579	335/एमपी/2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (6 X 210 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण एसीई के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका.	28/04/2021	विविध याचिका
580	2/टीटी/2020	उत्तरी क्षेत्र में रिहंद दादरी एचवीडीसी बाईपोल टर्मिनल के लिए रिहंद में आस्ति:1 स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	27/04/2021	पारेषण टैरिफ
581	332/टीटी/2019	(i) 2001-2004 टैरिफ ब्लॉक 2004-09 टैरिफ ब्लॉक और 2009-14 टैरिफ ब्लॉक (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और (iii) पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम पारेषण प्रणाली के समेकन के अधीन मेली में 132 केवी रंगित सिलिगुड़ी पारेषण लाइन के सिलिगुड़ी गंगटोक खंड के लीलो के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ

582	416/टीटी/2019	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूंडंग अप और (ii) उत्तरी क्षेत्र में 1 X 100 एमवीए ट्रांसफार्मर द्वारा रायबरेली में 220/132 केवी रूपांतरण क्षमता के वृद्धि के अधीन कवर किये गये रायबरेली में संबद्ध बेज और 220/132 केवी 100 एमवीए आईसीटी के संबंध में 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	28/04/2021	पारेषण टैरिफ
583	359/टीटी/2019	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूंडंग अप और (ii) उत्तरी क्षेत्र में 220 केवी डी/सी अंतःपारेषण प्रणाली के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ
584	348/टीटी/2019	(i) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूंडंग अप और (ii) डब्ल्यू आरएसएस 7 के अधीन आस्तियों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ
585	459/टीटी/2020	उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस एक्सएल के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन 400/220 केवी लखनऊ उपकेन्द्र में 1 X 500 एमवीए 400/220केवी आईसीटी सहित 1 X 315 एमवीए, 400 /220 केवी आईसीटी के प्रतिस्थापन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 के अधीन पारेषण टैरिफ के अधीन और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ
586	417/टीटी/2019	(1) 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूंडंग अप (2) पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना 15 से संबद्ध पावर ग्रिड कार्य के अधीन टीबीसीबी रूट के अधीन 765 केवी डी/सी लाईन पर्ली न्यू टीबीसीबी सोलापुर पावर ग्रिड के लिए सोलपुर पावर केन्द्र में 2 नं. 765 केवी लाईन वेज और टीबीसीबी के अधीन पर्ली न्यू टीबीसीबी पर्ली पावर ग्रिड के 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ



587	338/एमपी/2020	7.12.2015 के पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुपालन में कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 और 2 (3 X 200+3 X 500 मेगावाट) में विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना के कारण अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	26/04/2021	विविध याचिका
588	433/एमपी/2019	नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए एनईआरएलडीसी फीस एवं प्रभारों के टूडंगअप के लिए केविविआ (आरएलडीसी के फीस एवं प्रभार और अन्य संबंध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के अधीन टूडंगअप आवेदन	05/04/2021	विविध याचिका
589	431/एमपी/2019	नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए एनआरएलडीसी फीस एवं प्रभारों के टूडंगअप के लिए केविविआ (आरएलडीसी के फीस एवं प्रभार और अन्य संबंध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के अधीन टूडंगअप आवेदन	03/04/2021	विविध याचिका
590	246/टीटी/2019	(i) 2001-2004 टैरिफ ब्लाक 2004-09 टैरिफ ब्लाक और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और (iii) पूर्वी क्षेत्र में पूनिया उपकेन्द्र में विस्तार और पूनिया डलकोला 132 केवी एसई लाईन के लीलों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	26/04/2021	पारेषण टैरिफ
591	325/टीटी/2019	(i) 2001-2004 टैरिफ ब्लाक 2004-09 टैरिफ ब्लाक और 2009-14 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण (ii) 2014-19 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और (iii) पूर्वी क्षेत्र में पूनिया उपकेन्द्र में विस्तार और पूनिया डलकोला 132 केवी एसई लाईन के लीलों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लाक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	26/04/2021	पारेषण टैरिफ

592	672/एमपी/2020	ऊपरीलिखित मार्गनिर्देशों से कुछेक विचलनों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन 3.8.2017 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (प्रस्ताव सं-23/27/17 आरएंडआर) से विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के मार्गनिर्देशों के मार्गनिर्देश 18 के अधीन याचिका	25/04/2021	विविध याचिका
593	631/एमपी/2020	ऊपरीलिखित मार्गनिर्देशों से कुछेक विचलनों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन 3.8.2017 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (प्रस्ताव सं-23/27/17 आरएंडआर) से विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के मार्गनिर्देशों के मार्गनिर्देश 18 के अधीन याचिका	25/04/2021	विविध याचिका
594	91/एमपी/2020	ऊपरीलिखित मार्गनिर्देशों से कुछेक विचलनों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन 3.8.2017 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (प्रस्ताव सं-23/27/17 आरएंडआर) से विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के मार्गनिर्देशों के मार्गनिर्देश 18 के अधीन याचिका	25/04/2021	विविध याचिका
595	357/टीटी/2019	पूर्वी क्षेत्र में दूसरा 400 केवी डी/सी कहलगांव बिहार शारीफ पारेषण लाईन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ
596	166/टीटी/2020	उत्तरी क्षेत्र में टनकपुर पारेषण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	25/04/2021	पारेषण टैरिफ
597	435/एमपी/2019	नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए ईआरएलडीसी फीस एवं प्रभारों के टूडंग अप के लिए केविविआ( आरएलडीसी के फीस एवं प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन टूडंग अप आवेदन	24/04/2021	विविध याचिका



598	474 / टीटी / 2019	उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली विंध्याचल कारीडोर में प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अधीन विंध्याचल एचवीडीसी में बस कप्लर बे और सिंगरौली विंध्याचल सैकेंड 400 केवी सीकेडी और सिंगरौली में विंध्याचल कानपुर एससी लाईन की अनुरूपता सिंगरौली छोर में बेज सहित 400 केवी के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	20 / 04 / 2021	पारेषण टैरिफ
599	620 / एमपी / 2020	765 / 400 / 220 केवी भादला पूलिंग स्टेशन सहित दोनों छोरों में टर्मिनल बेज सहित जोधपुर में 250 मेगावाट सौर पावर प्लांट को जोड़ने वाली समर्पित पारेषण लाईने हिरों सौर उत्पादन स्विज यार्ड को पूरा करने के लिए अवधि में विस्तार के लिए अनुग्रह की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करना और दीर्घकालिक पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 और 33(क) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) और 79(1)(के) के अधीन याचिका	22 / 04 / 2021	विविध याचिका
600	516 / टीटी / 2019	आस्ति:1- कोलार होसूर 400 केवी डी/सी लाईन के दूसरे सर्किट के लिए कोलार और होसूर में अतिरिक्त बेज और आस्ति:2 दक्षिण क्षेत्र में एसआरएसस 2 के अधीन संबद्ध बेज सहित हिरयूर में दवानगरे हुडी 400 केवी डी/सी लाईन के लीलो और 315 एमवीए आटो ट्रांसफोर्मर सहित 400 केवी हिरयूर उपकेन्द्र को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2001-04, 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	17 / 04 / 2021	पारेषण टैरिफ
601	460 / टीटी / 2020	दक्षिण क्षेत्र में थर्मल पावर टैक कार्पो. लि की संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन नेलोर पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित नेलोर पूलिंग स्टेशन 400 केवी डी/सी (क्वेद) लाईन के लिए थर्मल पावर टैक कार्पो. लि स्विचयार्ड के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	17 / 04 / 2021	पारेषण टैरिफ

602	18/टीटी/2020	दक्षिण क्षेत्र में मैसूर उपकेन्द्र में 2 X 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी सहित नीलामंगला मैसूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाईन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	15/04/2021	पारेषण टैरिफ
603	414/टीटी/2019	आस्ति:1-रायपुर और सिपत में उपकेन्द्र बेज सहित 400 केवी डी/सी सिपत रायपुर पारेषण लाईन एवं खंडवा केन्द्र में 400 केवी डी/सी खंडवा सियोनी पारेषण लाईन के लिए 40 प्रतिशत एफएससी क्षतिपूर्ति पैकेज और आस्ति:2- पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस 1 पारेषण प्रणाली के अधीन इटारसी(पीजी) भोपाल (एमएमपीपीसीएल) सीकेटी 2 से संबंध 220 केवी बेज और इटारसी(पीजी) इटारसी(एमएमपीपीसीएल) से संबंध 315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और 2004-09 और 2009-14 के पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	17/04/2021	पारेषण टैरिफ
604	554/एमपी/2020 या 2019	20.11.2018 को आयोग द्वारा अधिसूचित और 1.1.2019 से प्रचालन में आए केविविआ(विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम 2018 के माध्यम से यथासंशोधित केविविआ केविविआ(विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के खंड 7 (10) में आवश्यक संशोधन/रियायत/पुनरीक्षण के लिए केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के खंड 12 और 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 1(सी) और (एफ) के अधीन याचिका	18/04/2021	विविध याचिका
605	390/जीटी/2020	नीपको शिलांग के टूरियल हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट (60मेगावाट) के संबंध में 1.4.2019 से 31.03.2024 तक अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 9 (2) दृ (अध्याय 3) और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के संबद्ध उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1) के अधीन याचिका	16/04/2021	उत्पादन टैरिफ





606	629/टीडी/2020	समय समय से संशोधित केविविआ(व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंध मामले) विनियम 2020 के अनुसार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी 5 अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंध मामले) विनियम 2020 के विनियम 6 (1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के अधीन याचिका	15/04/2021	ट्रेडिंग
607	52/एटी/2021	3.08.2017 के मानक बोली मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किये गये 150 मेगावाट ग्रिड संबद्ध फ्लोटिंग सौर पावर प्रोजेक्ट के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका	15/04/2021	टैरिफ का अंगीकरण
608	375/एमपी/2019	नियंत्रण अवधि 1.4.2019 से 31.03.2024 के लिए एनएलडीसी प्रभारों के अवधारित करने के लिए केविविआ (आरएलडीसी फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 के विनियम 10 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 के उपधारा 4 के अधीन दाखिल आवेदन	16/04/2021	विविध याचिका
609	593/एमपी/2020	अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने की मांग करते हुए विद्युत उत्पादकों द्वारा बैंक गारंटियों को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देशों की मांग करते हुए विनियम 1999 के विनियम 11 और केविविआ (संयोजकता प्रदान करना, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच) विनियम 2009 के विनियम 33 (ख) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	16/04/2021	विविध याचिका
610	366/टीटी/2018	आस्ति:1- पावर ग्रिड (शासन यूएमपीपी विंध्याचल पूलिंग स्टेशन के लिए (पावर ग्रिड) 765 केवी सेकेंड एससी लाईन के 765 400 केवी विंध्याचल पूलिंग स्टेशन में 1 नं. 765 केवी लाईन बे आस्ति:2 पावर ग्रिड के 765/400 केवी विंध्याचल पूलिंग स्टेशन में 2 नं. 400 केवी लाईन बेज (विंध्याचल(4/5) एसटीपीपी स्विचयार्ड (एनटीपीसी) विंध्याचल पूलिंग स्टेशन (पावर ग्रिड) 400 केवी सेकेंड डी/सी(क्वेड) लाईन आस्ति:3 ग्वालियर उपकेन्द्र में 2 नं. 400 केवी जीआईएस लाईन बेज(400 केवी डी/सी(क्वेड) लाईन ग्वालियर उपकेन्द्र मुरैना(पावर ग्रिड) के लिए आस्ति:4-765/400 केवी पुणे पावर ग्रिड के उपकेन्द्र में 765 केवी जीआईएस लाईन बे औरगाबाद (पावरग्रिड)के एक सर्किट के लीलो के लिए (पावरग्रिड)-पुणे जीआईएस पावर ग्रिड में पडगे (पावर ग्रिड) 765 केवी डी/सी लाईन आस्ति:5 765 केवी एससी चंपा पूलिंग स्टेशन धर्मजयगढ़ पूलिंग स्टेशन टीएल के लिए धर्मजयगढ़ पूलिंग स्टेशन और 765/400 केवी चंपा पूलिंग स्टेशन में 765 केवी लाईन बेज आस्ति:6 पश्चिमी क्षेत्र में अन्य उत्पादन परियोजनाओं और छत्तीसगण में आईपीपी के लिए प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य के अधीन 765 केवी एससी चंपा पूलिंग स्टेशन कोटरा (रायगढ़) पूलिंग स्टेशन टीएल में 765 केवी	09/04/2021	पारेषण टैरिफ



		लाईन बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन		
611	183/एमपी/2015	याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच कान्ट्रेक्ट के अधीन विधि में परिवर्तन के नाते कोयले पर क्लीन ऊर्जा उपकरण में वृद्धि के लिए क्षति पूर्ति के लिए आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना को विद्युत संयंत्र विक्रय करने वाले विद्युत के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गये टैरिफ में वृद्धि पर विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	08/04/2021	विविध याचिका
612	634/एमपी/2020	याचिकाकर्ता सं. 1 के पारेषण प्रोजेक्ट के प्रयोजन के लिए ऋणदाताओं और उनके समनुदेशियों, अंतरितियों और नोवेटिज के लाभ के लिए याचिकाकर्ता सं. 2 के पक्ष में याचिका सं. 1 की आस्तियों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए अनुमोदन के लिए याचिका	08/04/2021	विविध याचिका
613	69/एमपी/2021	दस्तावेजों के वित्तपोषण के अनुसार अलीपुर द्वारा ट्रा.लि. के दृष्टिबंधक/मोडगेज/अधिकारों के समनुदेशन, स्वत्व, ब्याज, दावे, लाभ, संपत्तियों का मोडगेज, प्रोजेक्ट आस्तियां, क्लीरेंज, प्रोजेक्ट दस्तावेज, अनुमोदन और अधिकार के जरिये प्रतिभूति न्यायासियों/ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज सृजित करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन	08/04/2021	विविध याचिका
614	50/एमपी/2021	जैम खंबालियां ट्रास्को लि. के अधिकारों के मोडगेज/दृष्टिबंधक/समनुदेशन, स्वत्व, ब्याज, दावे, मांग, लाभ, संपत्तियों का मोडगेज, प्रोजेक्ट आस्तियां, क्लीरेंज, प्रोजेक्ट दस्तावेज, करार, अनुमोदन और अधिकारों के जरिये दस्तावेजों/वित्तपोषण करारों का सृजन करने वाली अन्य प्रतिभूतियों और न्यायासियों/ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज सृजित करने के लिए अनुज्ञप्ति के समनुदेश के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	06/04/2021	विविध याचिका
615	457/एमपी/2020	प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआर ट्रा. लि. के अन्य संगत दस्तावेजों और पारेषण परियाजनाओं में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए 24.6.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15 केसाथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	06/04/2021	विविध याचिका



616	456/एमपी/2020	प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में रायपुर- राजनंदन गांव वरोड़ा ट्रा. लि. के अन्य संगत दस्तावेजों और पारेषण परियाजनाओं में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए 24.6.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	06/04/2021	विविध याचिका
617	17/एमपी/2021	बीकानेर- खेतरी ट्रा. लि. के अन्य अनुमोदन और अधिकारों, स्वत्व, ब्याज, दावें मांग, लाभ, संपतियों के माडगेज, परियोजना आस्तियां, क्लीरेंस, प्रोजेक्ट दस्तावेज, करार के जरिये दस्तावेज/वित्तपोषण करारों के सृजन करने वाले अन्य प्रतिभूति और प्रतिभूति न्यासी/ऋण दाताओं के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के माध्यम से अनुज्ञप्ति के समुदेशन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	06/04/2021	विविध याचिका
618	542/एमपी/2020	जयप्रकाश एसोसिएट लि. को प्रदान की गयी अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंग्रहण के लिए आवेदन	01/04/2021	विविध याचिका
619	128/टीटी/2020	आस्ति:1क- कानपुर में 2 x 50 एमवीएआर लाईन रिएक्टर सहित(कानपुर उपकेन्द्र में 2 x 250 एमवीए लाईन रिएक्टर को छोड़कर) दोनों छोरों में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी अलाहबाद कानपुर लाईन आस्ति1ख- तला एचईपी के अधीन मड़ोला उपकेन्द्र से स्थानांतरित कानपुर उपकेन्द्र में 1 x 50 एमवीएआर रिएक्टर(केवल रिएक्टर) और आस्ति1ग- उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस 30 के अधीन आरएपीपी 5 और 6 (केवल रिएक्टर) कंकरोली उपकेन्द्र से स्थानांतरित कानपुर उपकेन्द्र में 1 x 50 एमवीएआर रिएक्टर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	05/04/2021	पारेषण टैरिफ
620	306/टीटी/2020	आस्ति:1- डेलटोन गंज उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1 x 160 एमवीए आईसीटी 1, डेलटोन गंज उपकेन्द्र में 2 x 132 केवी लाईन बेज आस्ति:2- पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस 17 भाग (क) के अधीन डेलटोन गंज उपकेन्द्र में 132 केवी लाईन बेज का 2 नं. के केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के पारेषण टैरिफ का टूडंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	01/04/2021	पारेषण टैरिफ

621	561/एटी/2020	वापी 2 उत्तर लखीमपुर ट्रां.लि. द्वारा स्थापित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	01/04/2021	टैरिफ का अंगीकरण
622	493/एमपी/2020	प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में सिपत पारेषण लि. के अन्य संगत दस्तावेजों और पारेषण प्रो. आस्तियों में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए 24.06.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	01/04/2021	विविध याचिका
623	599/टीएल/2020	वापी-2 उत्तर लखीमपुर ट्रां. लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में केविआ(पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कार्यविधि निबंधन व शर्तें )विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 14,15 और 79 (1)(ड़) के अधीन आवेदन	01/04/2021	पारेषण अनुज्ञप्ति



एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2022 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	2021-22 क्षमता वृद्धि	31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन केन्द्रों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1	सिंगरौली एसटीपीएस		2000	01/05/1988
2	रिहंद एसटीपीएस, स्टेज-I		1000	01/01/1991
3	रिहंद एसटीपीएस, स्टेज-II		1000	01/04/2006
4	रिहंद एसटीपीएस, स्टेज-III		1000	27/03/2014
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार, स्टेज-I		420	13/02/1992
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार, स्टेज-II		420	01/01/2001
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार, स्टेज-III		210	1/01/2007
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार, स्टेज-IV		500	30/09/2017
9	टांडा, स्टेज-I		440	14/01/2000
10	टांडा, स्टेज-II	660	1320	01/07/2021
11	एनसीटीपी दादरी, स्टेज-I		840	01/12/1995
12	एनसीटीपी दादरी, स्टेज-II		980	31/07/2010
13	कोरबा एसटीपीएस, स्टेज-I एवं II		2100	01/06/1990
14	कोरबा एसटीपीएस, स्टेज-III		500	21/03/2011
15	सिपत एसटीपीएस, स्टेज-I		1980	01/08/2012
16	सिपत एसटीपीएस, स्टेज-II		1000	01/01/2009
17	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज-I		1260	01/02/1992
18	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज-II		1000	01/10/2020
19	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज-III		1000	15/07/2007
20	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज-IV		1000	27/03/2014
21	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज-V		500	30/10/2015
22	लारा		1600	07/11/2020
23	सोलापुर		1320	30/03/2019
24	मौदा एसटीपीएस, स्टेज -I		1000	30/03/2014
25	मौदा एसटीपीएस, स्टेज -II		1320	18/09/2017
26	गाडरवाड़ा		1600	01/03/2021
27	खरगौन		1320	04/04/2020
28	तलचर एसटीपीएस, स्टेज-I		1000	01/07/1997

29	तलचर एसटीपीएस, स्टेज-II			2000	01/08/2005
30	बाड एसटीपीएस, स्टेज-I	660		660	12/11/2021
31	दरलीपालीए स्टेज-I एवं II	800		1600	01/09/2021
32	कहलगांव एसटीपीएस, स्टेज-I			840	01/08/1996
33	कहल गांव एसटीपीएस, स्टेज II			1500	20/03/2010
34	फरक्का एसटीपीएस, स्टेज-I एवं II			1600	01/04/1995
35	फरक्का एसटीपीएस, स्टेज-III			500	04/04/2012
36	बाड एसटीपीएस, स्टेज -II			1320	08/03/2016
37	बरौनी, स्टेज -I (लिया गया) 13.03.1985			220	15/12/2018*
38	बरौनीए स्टेज -II	250		500	01/11/2021
39	बोंगेगांव टीपीएस			750	01/11/2017
40	रामागुंडम एसटीपीएस, स्टेज-I एवं II			2100	01/04/1991
41	रामागुंडम एसटीपीएस, स्टेज-III			500	25/03/2005
42	सिमहादरी एसटीपीएस, स्टेज -I			1000	01/03/2003
43	सिमहादरी एसटीपीएस, स्टेज -II			1000	30/09/2012
44	कुड़गी			2400	15/09/2018
<b>एनटीपीसी का गैस स्टेशन</b>					
45	फरीदाबाद			431.59	01/01/2001
46	ओरय्या			663.36	01/12/1990
47	दादरी			829.78	01/04/1997
48	अंटा			419.33	01/08/1990
49	झैनौर गंधार			657.39	01/11/1995
50	कवास			656.20	01/09/1993
51	कयामकुलम			359.58	01/03/2000
<b>एनटीपीसी के जेबी स्टेशन</b>					
53	एपीसीपीएल, झज्जर			1500	26/04/2013
54	एनटीईसीएल, वेलूर			1500	26/02/2015
55	बीआरबीसीएल, नबीनगर	250		1000	01/12/2021
56	एनपीजीसीएल, नबीनगर	660		1320	23/07/2021
57	केबीयूएनेल, कांती- II			390	07/01/2017
58	एमयूएनपीएल, मेजा			1320	31/01/2021



अनुबंध-III

दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2022 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	आरंभ
1	बोकारो टीपीएस-क	(1 X500)=500	23.2.2017
2	चन्द्रपुरा टीपीएस	(2 X 250) = 630	U-VII: 2.11.2011 U-VIII: 15.7.2011
3	दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) =210	U-IV: Sept,1982
4	मेजिआ टीपीएस	(4X210)+(2X 250)+(2 X500)=2340	U-I 1.3.1996 U-II 1.3.1998 U-III 1.9.1999 U-IV 13.2.2005 U-V 29.2.2008 U-VI 24.9.2008 U-VII 2.8.2011 U-VIII 16.8.2012
5	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500 ) = 1000	U-I 15.5.2012 U-II 5.3.2013
6	कोडरमा टीपीएस	(2 X 500 ) =1000	U-I 18.7.2013 U-II 14.6.2014
7	रघुनाथपुर टीपीएस	(2 X 600 ) = 1200	31.3.2016
	<b>कुल थर्मल</b>	<b>6750</b>	

अनुबंध-IV

उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम (नीपको) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2022 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	
1.	अगरतला जीपीएस	84 (21 X 4) गैस टर्बाइन	01.08.1998	
		51 (25.5 X 2) स्टीम टर्बाइन	01.09.2015	
2.	असम जीपीएस	291	01.04.1999	
3.	त्रिपुरा गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना	101 मेगावाट (65.42 मेगावाट) गैस एवं (35.58 मेगावाट) स्टीम टर्बाइन	गैस टर्बाइन	24.12.2015
			स्टीम टर्बाइन	31.03.2017
	<b>कुल</b>	<b>527</b>		

अनुबंध-V

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2022 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस -2 स्टेज -1	630	23.04.1988
2.	टीपीएस -2 स्टेज -2	840	09.04.1994
3.	टीपीएस -1 विस्तार	420	05.09.2003
4.	टीपीएस -2 विस्तार	500	05.07.2015
5.	बड़सिंगसर टीपीएस	250	21.01.2012
6.	एनटीपीएल (सहायक)	1000	29.8.2015
7.	एनएनटीपीपी	1000	10.2.2021
	<b>कुल</b>	<b>4640</b>	

अनुबंध-VI

वर्ष 2021-22 के लिए थर्मल पावर स्टेशनों (नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार) की टैरिफ स्थिति

एनटीपीसी उत्पादन केन्द्र					
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये/ किलोवाट घण्टा) / 85% एसजी	ईसीआर (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.65	1.39	2.04
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	0.84	1.41	2.25
3	रिहंद एसटीपीएस-II	1000	0.70	1.41	2.11
4	रिहंद एसटीपीएस-III	1000	1.44	1.39	2.83
5	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-I	420	1.08	3.04	4.12
6	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-II	420	1.01	3.06	4.06
7	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-III	210	1.34	3.08	4.42
8	एफजीयूटीपीएस उंचाहार-IV	500	1.55	2.91	4.47
9	टांडा-I	440	1.26	3.31	4.57
10	टांडा-II	660	1.60	2.59	4.19
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	0.97	3.32	4.29



12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.43	3.28	4.71
13	कोरबा एसटीपीएस -I एवं II	2100	0.68	1.39	2.07
14	कोरबा एसटीपीएस-III	500	1.38	1.36	2.75
15	सिपत एसटीपीएस -I	1980	1.30	1.39	2.69
16	सिपत एसटीपीएस-II	1000	1.23	1.44	2.68
17	विंध्यांचल एसटीपीएस-I	1260	0.85	1.66	2.52
18	विंध्यांचल एसटीपीएस -II	1000	0.70	1.59	2.29
19	विंध्यांचल एसटीपीएस -III	1000	1.04	1.57	2.62
20	विंध्यांचल एसटीपीएस -IV	1000	1.56	1.56	3.12
21	विंध्यांचल एसटीपीएस -V	500	1.67	1.60	3.27
22	लारा	1600	1.67	2.03	3.70
23	सोलापुर	1320	1.72	3.06	4.78
24	मौदा एसटीपीएस -I	1000	1.87	2.71	4.59
25	मौदा एसटीपीएस -II	1320	1.48	2.90	4.39
26	गाडरवाड़ा	1600	2.08	2.50	4.58
27	खारगौन	1320	1.81	2.71	4.52
28	तलचर एसटीपीएस-I	1000	0.96	2.00	2.95
29	तलचर एसटीपीएस-II	2000	0.71	1.97	2.69
30	तलचर टीपीएस	460	1.44	1.87	3.31
31	दारपाली	800	2.11	1.08	3.20
32	कहलगांव एसटीपीएस -I	840	1.05	2.23	3.28
33	कहलगांव एसटीपीएस-II	1500	1.09	2.11	3.19
34	फरक्का एसटीपीएस -I एवं II	1600	0.82	2.70	3.52
35	फरक्का एसटीपीएस-III	500	1.49	2.66	4.14
36	बड़ एसटीपीएस-II	1320	1.84	2.65	4.48
37	बरौनी-I	220	0.73	3.38	4.11
38	बरौनी-II	250	2.43	2.64	5.06
39	बोंगेगांव टीपीएस	750	2.40	3.37	5.77
40	रामागुंडम एसटीपीएस-I एवं II	2100	0.73	2.40	3.13
41	रामागुंडम एसटीपीएस -III	500	0.77	2.33	3.10
42	सिमहादरी एसटीपीएस -I	1000	0.94	2.96	3.89



43	सिमहादरी एसटीपीएस -II		1000	1.52	2.93	4.44
44	कुडगी		2400	1.66	3.15	4.81
<b>एनटीपीसी गैस उत्पादन</b>						
45	फरीदाबाद		431.59	0.74	2.68	3.42
46	ओरेया		663.36	0.63	3.51	4.15
47	दादरी		829.78	0.58	3.13	3.71
48	अंटा		419.33	0.71	3.76	4.47
49	गंधार		657.39	1.06	2.13	3.18
50	क्वास		656.20	0.84	2.00	2.83
51	कयामकुलम		359.58	1.14	6.71	7.85
<b>एनटीपीस-जेवी उत्पादन टैरिफ 2021-22</b>						
52	एमयूएनपीएल, मेजा		1320	2.09	2.56	4.64
53	एपीसीपीएल, झज्जर		1500	1.62	3.25	4.87
54	एनटीईसीएल, वेल्लूर		1500	1.78	2.97	4.75
55	बीआरबीसीएल, नवीनगर		750	2.37	2.31	4.68
56	एनपीजीसीएल, नवीनगर		660	2.54	2.08	4.62
57	केबीयूएनएल, कांती -I		220	1.10	3.08	4.18
58	केबीयूएनएल, कांती -II		390	2.74	2.64	5.38
<b>मैथान पावर लिमिटेड</b>						
59	मैथान पावर लिमिटेड	1050	1.420	2.540		3.960
<b>एनएलसी स्टेशन</b>						
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	संस्थापित क्षमता	ईसीआर (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	
60	टीएस-II स्टेशन-1	630	2.661	0.710	3.371	
61	टीएस-II स्टेशन- 2	840	2.623	0.736	3.359	
62	टीपीएस-I ईएक्सपी.	420	2.454	0.965	3.419	
63	बीटीपीएस	250	1.077	2.308	3.385	
64	टीपीएस-2 ईएक्सपी.	500	2.562	2.309	4.871	
65	एनटीपीएल	1000	2.842	1.553	4.395	
66	एनएनटीपीपी	1000	2.193	1.804	3.997	
<b>डीवीसी</b>						



67	डीटीपीएस	210	392.70	259.10	651.80
68	एमटीपीएस (1-3)	630	319.80	118.90	438.70
69	एमटीपीएस (4)	210	318.50	90.40	408.90
70	एमटीपीएस (5-6)	500	304.40	152.40	456.80
71	एमटीपीएस (7-8)	1000	290.00	165.30	455.30
72	सीटीपीएस (7-8)	500	267.50	153.80	421.30
73	डीएसटीपीएस (1-2)	1000	294.60	189.70	484.30
74	केटीपीएस (1-2)	1000	265.70	172.20	437.90
75	आरटीपीएस (1-2)	1200	306.70	216.20	522.90
76	बीटीपीएस ए	500	227.30	253.00	480.30
<b>पीपीसीएल बवाना</b>					
77	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.320	3.150	4.470
<b>ओएनजीसी त्रिपुरा कंपनी लि. पलटाना परियोजना</b>					
78	ओटीपीसी टीपीएस	671.2	1.410	1.870	3.280
<b>नीपको गैस संयंत्र</b>					
82	एजीबीपी	291.00	1.387	2.041	3.428
83	एजीटीसीसीपी	135.00	1.893	1.803	3.696
84	टीजीबीपी	101.00	2.053	2.981	5.034
<b>ओटीपीसी</b>					
85	ओटीपीसी पलटाना	726.6	1.87	1.41	3.28

नोट: वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ विवरण, संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

अनुबंध -VII

**विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाइड्रो उत्पादन केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष और 31.3.2022 को संस्थापित क्षमता**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेग. वाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
<b>क</b>	<b>एनएचपीसी</b>				
1.	बैरासियूल	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	3 X 60 = 180	01.04.1982
2	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	01.06.1983
3	टनकपुर	उत्तराखण्ड	आरओआर	3 x 31.40 =94.20	01.04.1993
4	चमेरा - I	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	3 x 180 = 540	01.05.1994
5	सलाल	जम्मू एण्ड कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	01.04.1995
6	उरी - I	जम्मू एण्ड कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	01.06.1997
7	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पॉडेज	3 x 20 = 60	15.02.2000
8	चमेरा - II	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	3 x 100 = 300	31.03.2004
9	धौलीगंगा	उत्तराखण्ड	पॉडेज	4 x 70 = 280	01.11.2005
10	दुल्हस्ती	जम्मू एण्ड कश्मीर	पॉडेज	3 x130 = 390	07.04.2007
11	तीस्ता - V	सिक्किम	पॉडेज	3 x 170 = 510	10.04.2008
12	सीवा -II	जम्मू एण्ड कश्मीर	पॉडेज	4 x 30 = 120	24.07.2010
13	चमेरा - III	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	3 x 77 =231	04.07.2012
14	चटक	जम्मू एण्ड कश्मीर	आरओआर	4x11=44	01.02.2013
15	तीस्ता निम्न डैम -III	सिक्किम	छोटे पॉडेज के साथ आ. रओआर	4 x 33 =132	19.05.2013
16	नीमूबाज़गो	जम्मू एण्ड कश्मीर	पॉडेज	3x15= 45	10.10.2013
17	उरी - II	जम्मू एण्ड कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	01.03.2014
18	पार्वती स्टेज-III	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	4x130=520	06.06.2014
19	तीस्ता निम्न डैम IV	सिक्किम	डियूरनल पॉडेज के साथ आरओआर	4 x40=160	19.08.2016
20	किशनगंगा	जम्मू एण्ड कश्मीर	पॉडेज	3x110=330	24.05.2018
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>5451.20</b>	
<b>ख</b>	<b>एनएचडीसी</b>				
21	इन्दिरा सागर	मध्य प्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	25.08.2005
22	ओमकारेश्वर	मध्य प्रदेश	पॉडेज	8x65 = 520	15.11.2007
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>1520</b>	
<b>ग</b>	<b>टीएचडीसी</b>				
23	टिहरी	उत्तराखण्ड	स्टोरेज	4x250=1000	09.07.2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	पॉडेज	4x100=400	01.04.2012
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>1400</b>	
<b>घ</b>	<b>एसजेवीएनएल</b>				
25	नाथपाझाकरी	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	6X250=1500	18.05.2004
26	रामपुर		टेनडम	6x68.66=412	16.12.2014



	कुल आई. सी.			1912	
<b>ड</b>	<b>डीवीसी</b>				
27	मैथॉन	झारखण्ड / पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x20,1x23.20=63.20	दिसंबर] 1958
28	पंचेत	झारखण्ड / पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	मार्च]1991
29	तलैया	झारखण्ड	स्टोरेज	2x2=4	अगस्त]1953
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>147.20</b>	
<b>च</b>	<b>नीपको</b>				
30	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पॉडेज	3x135=405	12.04.2002
31	कोपिली स्टेशन-I	असम	स्टोरेज	4x50=200	12.07.1997
32	कोपिली स्टेशन-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	26.07.2004
33	खंदोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	04.05.1984
34	दोयांग	नागालैंड	स्टोरेज	3x25=75	08.07.2000
35	तूरियल	मिजोरम	स्टोरेज	2x30=60	27.04.2018
36	पारे	अरुणाचल प्रदेश	पॉडेज	2x55=110	28.05.2018
37	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	आरओआर	4x150=600	12.02.2021
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>1525</b>	
<b>छ</b>	<b>एनटीपीसी</b>				
38	कोलडम	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	4x200=800	18.07.2015
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>800</b>	
<b>ज</b>	<b>बीबीएमबी</b>				
39	बीबीएमबी का उत्पादन केन्द्र	पंजाब	आरओआर / स्टोरेज	<b>2936.73</b>	1955-1983
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>2936.73</b>	
<b>झ</b>	<b>तीस्ता ऊर्जा लि.</b>				
40	तीस्ता-III एचईपी	सिक्किम	पॉडेज	6x200=1200	28.02.2017
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>1200</b>	
<b>ञ</b>	<b>आईपीपी</b>				
41	करचम वांगटू	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	4x250=1000	13.09.2011
	<b>कुल आई. सी.</b>			<b>1000</b>	
<b>आई. सी. का कुल योग</b>				<b>17892.13</b>	

अनुबंध -VIII

नवीनतम अनुमोदित एएफसी के आधार पर उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत 2021-22 की अवधि के लिए हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए समग्र टैरिफ निम्नानुसार है

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	इकाईयों की संख्या/क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समग्र टैरिफ (जम्मू एवं कश्मीर के लिए जल कर सहित) (₹/किलोवाट घण्टा)
<b>एनएचपीसी</b>					
1	बैरासियूल	180	(3 x 60)	779.28	2.244
2	सलाल	690	(6 x 115)	3082	2.359
3	टनकपुर	94.2	(3 x 31.4)	452.19	3.297
4	चमेरा-I	540	(3 x 180)	1664.55	2.282
5	उरी-I	480	(4 x 120)	2587.38	2.116
6	चमेरा-II	300	(3 x 100)	1499.89	2.009
7	धौलीगंगा	280	(4 x 70)	1134.69	2.510
8	दुलहस्ती	390	(3 x 130)	1906.8	5.078
9	लोकटक	105	(3 x 35)	448	3.891
10	रंगित	60	(3 x 20)	338.61	3.810
11	तीस्ता -V	510	(3 x 170)	2572.7	2.326
12	उरी -II	240	(4 x 60)	1123.77	5.153
13	नीमूबाज़गो	45	(3 x 15)	239.33	10.578
14	चटक	44	(4 x 11)	212.93	9.871
15	सीवा-II	120	(3 x 40)	533.53	5.484
16	चमेरा-III	231	(3 x 77)	1108.17	3.940
17	पार्वती-III	520	(4 x 130)	1963.29	3.079
18	टीएलडीपी-III	132	(3 x 44)	594.07	5.300
19	टीएलडीपी-IV	160	(4x40)	720	4.350
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.101
<b>तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड</b>					



21	तीस्ता-III	1200	(200*6)	5213.82	5.826
<b>एसजेवीएनएल</b>					
22	नाथपाझाकड़ी	1500	(250x6)	6612	2.332
23	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.168
<b>नीपको</b>					
24	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.424
25	कोपिली स्टेज -I	200	(4x50)	1186.14	1.166
26	कोपिली स्टेज -II	25	(1x25)	86.30	2.767
27	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.677
28	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.530
29	तुइरियल	60	(2x30)	250.63	5.150
30	पारे*	110	(2x55)	506.42	5.00
31	कामेंग*	600	(4x150)		4.00
<b>टीएचडीसी</b>					
32	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.87
33	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	4.61
<b>एनएचडीसी</b>					
34	इन्दिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.67
35	ओमकेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.55
<b>डीवीसी</b>					
36	मैथान	63.20	(2x20,1x23.20)	137	अभी तक उपलब्ध नहीं
37	पंचेट	80	(2x40)	237	अभी तक उपलब्ध नहीं
38	टालिया	4	(2x2)	-	अभी तक उपलब्ध नहीं
<b>आईपीपी</b>					
39	करचमवांगटू	1000	(4x250)	4559.77	2.868
<b>एनटीपीसी</b>					
40	कोलडम	800	(4x200)	3054.79	4.902

\*नीपको और उसके लाभार्थियों द्वारा परस्पर सहमति।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए जेनेरिक टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2021-22) (₹./किलोवाट घण्टा)
<b>लघु हाइड्रो पावर परियोजना</b>	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमबंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख (5 मेगावाट से कम)	5.15
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.7
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम)	5.74
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.68

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)
<b>वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्र प्रदेश	2.62	5.26	7.88	0.11	7.77
हरियाणा	2.68	5.98	8.66	0.11	8.55
महाराष्ट्र	2.69	6.12	8.81	0.11	8.7
पंजाब	2.7	6.26	8.96	0.11	8.85
राजस्थान	2.62	5.22	7.85	0.11	7.73
तमिलनाडु	2.62	5.17	7.79	0.11	7.68
तेलंगाना	2.62	5.26	7.88	0.11	7.77
उत्तर प्रदेश	2.63	5.35	7.98	0.11	7.87
अन्य	2.65	5.62	8.27	0.11	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)
<b>पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेटबॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.77	5.38	8.14	0.12	8.02
हरियाणा	2.82	6.12	8.94	0.12	8.82
महाराष्ट्र	2.84	6.26	9.09	0.12	8.97
पंजाब	2.85	6.4	9.25	0.12	9.13
राजस्थान	2.77	5.34	8.11	0.12	7.99
तमिलनाडु	2.76	5.29	8.05	0.12	7.93
तेलंगाना	2.77	5.38	8.14	0.12	8.02
उत्तरप्रदेश	2.77	5.47	8.25	0.12	8.12
अन्य	2.8	5.75	8.55	0.12	8.42

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)	(₹./किलोवाट घण्टा)
<b>वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेटबॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.73	5.26	7.99	0.12	7.86
हरियाणा	2.78	5.98	8.77	0.12	8.65
महाराष्ट्र	2.79	6.12	8.91	0.12	8.79
पंजाब	2.8	6.26	9.06	0.12	8.94
राजस्थान	2.73	5.22	7.95	0.12	7.83
तमिलनाडु	2.72	5.17	7.89	0.12	7.77
तेलंगाना	2.73	5.26	7.99	0.12	7.86
उत्तरप्रदेश	2.74	5.35	8.08	0.12	7.96
अन्य	2.76	5.62	8.38	0.12	8.26



राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किला. वाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
<b>पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेटबॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.87	5.38	8.25	0.13	8.12
हरियाणा	2.93	6.12	9.05	0.13	8.92
महाराष्ट्र	2.94	6.26	9.2	0.13	9.07
पंजाब	2.95	6.4	9.35	0.13	9.22
राजस्थान	2.87	5.34	8.21	0.13	8.08
तमिलनाडु	2.87	5.29	8.16	0.13	8.02
तेलंगाना	2.87	5.38	8.25	0.13	8.12
उत्तरप्रदेश	2.88	5.47	8.35	0.13	8.22
अन्य	2.9	5.75	8.65	0.13	8.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
<b>वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूली लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.62	5.16	7.78	0.11	7.67
हरियाणा	2.67	5.88	8.55	0.11	8.44
महाराष्ट्र	2.68	6.01	8.69	0.11	8.58
पंजाब	2.69	6.15	8.84	0.11	8.73
राजस्थान	2.61	5.13	7.75	0.11	7.63
तमिलनाडु	2.61	5.08	7.69	0.11	7.58
तेलंगाना	2.62	5.16	7.78	0.11	7.67
उत्तरप्रदेश	2.62	5.25	7.88	0.11	7.77
अन्य	2.64	5.52	8.17	0.11	8.06

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
<b>पवन कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.76	5.28	8.04	0.12	7.92
हरियाणा	2.82	6.01	8.83	0.12	8.7
महाराष्ट्र	2.83	6.15	8.97	0.12	8.85
पंजाब	2.84	6.29	9.12	0.12	9
राजस्थान	2.76	5.25	8.01	0.12	7.88
तमिलनाडु	2.75	5.19	7.95	0.12	7.83
तेलंगाना	2.76	5.28	8.04	0.12	7.92
उत्तरप्रदेश	2.77	5.37	8.14	0.12	8.02
अन्य	2.79	5.65	8.44	0.12	8.31

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
<b>वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.72	5.16	7.88	0.12	7.76
हरियाणा	2.78	5.88	8.65	0.12	8.53
महाराष्ट्र	2.79	6.01	8.8	0.12	8.67
पंजाब	2.8	6.15	8.94	0.12	8.82
राजस्थान	2.72	5.13	7.85	0.12	7.73
तमिलनाडु	2.71	5.08	7.79	0.12	7.67
तेलंगाना	2.72	5.16	7.88	0.12	7.76
उत्तरप्रदेश	2.73	5.25	7.98	0.12	7.86
अन्य	2.75	5.52	8.27	0.12	8.15

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
<b>पवन कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.87	5.28	8.15	0.13	8.01
हरियाणा	2.92	6.01	8.93	0.13	8.8
महाराष्ट्र	2.93	6.15	9.08	0.13	8.95
पंजाब	2.94	6.29	9.23	0.13	9.1
राजस्थान	2.86	5.25	8.11	0.13	7.98
तमिलनाडु	2.86	5.19	8.05	0.13	7.92
तेलंगाना	2.87	5.28	8.15	0.13	8.01
उत्तरप्रदेश	2.87	5.37	8.25	0.13	8.11
अन्य	2.89	5.65	8.54	0.13	8.41

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
<b>बगास आधारित सह-उत्पादन परियोजना</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.91	3.45	6.36	0.16	6.2
हरियाणा	2.63	4.9	7.53	0.14	7.39
महाराष्ट्र	2.36	4.83	7.19	0.12	7.07
पंजाब	2.58	4.32	6.9	0.14	6.76
तमिलनाडु	2.27	3.71	5.99	0.12	5.86
तेलंगाना	2.51	3.45	5.96	0.14	5.82
उत्तरप्रदेश	2.94	3.85	6.79	0.16	6.63
अन्य	2.57	4.18	6.74	0.14	6.61



राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021-22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021-22)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्य हास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./ किलोवाट घण्टा)
<b>बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना</b>					
आन्ध्रप्रदेश	2.58	4.85	7.43	0.08	7.35
हरियाणा	2.63	5.52	8.15	0.08	8.07
महाराष्ट्र	2.64	5.65	8.29	0.08	8.21
पंजाब	2.65	5.78	8.43	0.08	8.34
राजस्थान	2.58	4.82	7.4	0.08	7.32
तमिलनाडु	2.58	4.77	7.35	0.08	7.26
तेलंगाना	2.58	4.85	7.43	0.08	7.35
उत्तरप्रदेश	2.59	4.94	7.52	0.08	7.44
अन्य	2.61	5.19	7.79	0.08	7.71
<b>बायो गैस आधारित उत्पादन</b>					
बायोगैस	3.32	5.09	8.41	0.16	8.25

अनुबंध X

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में केविविआ के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यक्रम का विवरण	स्थान
1.	शून्य			

अनुबंध XI

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में केविविआ के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे की सूची				
क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यक्रम का विवरण	स्थान
1	श्री सनोज कुमार झा	सचिव	राज्य सभा, अधिनस्थ विधान समिति की बैठक का अध्ययन दौरा।	श्रीनगर
2	श्री गगन दीवान	सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र)	राज्य सभा, अधिनस्थ विधान समिति की बैठक का अध्ययन दौरा।	श्रीनगर
3	डॉ. एस. के. चटर्जी	प्रमुख (वि.मा.)	आईआईसीए के साथ समन्वय से एफओआईआर द्वारा आयोजित बैठक में सहभागिता।	राजस्थान
4	श्री पी. के. पुजारी	अध्यक्ष	भादला सोलर पार्क का दौरा।	जोधपुर
5	श्री अरुण गोयल	सदस्य	विनियामक और संबंधित मामलों पर पीजीसीआईएल के साथ पारस्परिक विमर्श सत्र और इसके पावर प्रोजेक्ट का दौरा	जोधपुर
6	श्री प्रवास कुमार सिंह	सदस्य	विनियामक और संबंधित मामलों पर पीजीसीआईएल के साथ पारस्परिक विमर्श सत्र और इसके पावर प्रोजेक्ट का दौरा	जोधपुर
7	श्री सनोज कुमार झा	सचिव	विनियामक और संबंधित मामलों पर पीजीसीआईएल के साथ पारस्परिक विमर्श सत्र और इसके पावर प्रोजेक्ट का दौरा	जोधपुर
8	डॉ. एस. के. चटर्जी	प्रमुख (वि.मा.)	पीजीसीआईएल और केविविआ के अधिकारियों का वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग के अंतःक्रिया सत्र में सहभागिता।	जोधपुर
9	श्री सनोज कुमार झा	सचिव	राज्य सभा, अधिनस्थ विधान समिति की बैठक का अध्ययन दौरा।	गोवा
10	श्रीमति रश्मि एस. नायर	उप प्रमुख (वि.मा.)	एफओआईआर द्वारा आयोजित, बैठक में सहभागिता और निरीक्षण करना।	राजस्थान
11	श्री गगन दीवान	सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र)	राज्य सभा, अधिनस्थ विधान समिति की बैठक का अध्ययन दौरा।	गोवा
12	श्री पी. के. पुजारी	अध्यक्ष	ओईआरसी, सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थियों के साथ पारस्परिक विमर्श सत्र।	भुवनेश्वर



13	श्री पी. के. पुजारी	अध्यक्ष	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
14	श्री प्रवास कुमार सिंह	सदस्य	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
15	श्री सनोज कुमार झा	सचिव	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
16	डॉ. एस. के. चटर्जी	प्रमुख (वि.मा.)	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
17	श्रीमति रश्मि एस. नायर	उप प्रमुख (वि.मा.)	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
18	श्रीमति शिल्पा अग्रवाल	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
19	श्री अरुण गोयल	सदस्य	विनियामक फोरम की 77वीं बैठक	लखनऊ
20	श्री विनोद कुमार झा	सहायक	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और केन्द्रीय सार्वजनिक प्राप्ति पोर्टल (सीपीपीपी) पर आवासीय कार्यशाला।	उदयपुर
21	श्री पी. के. पुजारी	अध्यक्ष	सुन्दरबन और कोलकाता में वि. नियामक फोरम की 78वीं बैठक में सहभागिता।	कोलकाता
22	श्री अरुण गोयल	सदस्य	सुन्दरबन और कोलकाता में वि. नियामक फोरम की 78वीं बैठक में सहभागिता।	कोलकाता
23	श्री प्रवास कुमार सिंह	सदस्य	सुन्दरबन और कोलकाता में वि. नियामक फोरम की 78वीं बैठक में सहभागिता।	कोलकाता
24	श्री सनोज कुमार झा	सचिव	सुन्दरबन और कोलकाता में वि. नियामक फोरम की 78वीं बैठक में सहभागिता।	कोलकाता
25	डॉ. एस. के. चटर्जी	प्रमुख (वि.मा.)	सुन्दरबन और कोलकाता में वि. नियामक फोरम की 78वीं बैठक में सहभागिता।	कोलकाता
26	श्री पी. के. पुजारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष केईआरसी के पद के लिए चयन समिति बैठक में सहभागिता।	बंगलुरु
27	श्रीमति रश्मि एस. नायर	उप प्रमुख (वि.मा.)	सुन्दरबन और कोलकाता में विनियामक फोरम की 78वीं बैठक में सहभागिता।	कोलकाता

अनुलग्नक-XII



संख्या.:DGA (E)/Rep/01-221/Acs-CERC/2022-23/Vol/ II

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE  
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (ENERGY)  
DELHI

दिनांक/Dated: 02-11-2022

To,

The Secretary to the Government of India,  
Ministry of Power,  
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,  
New Delhi -110001

**Subject: Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for the year 2021-22.**

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi for the year 2021-22 along with the Annual Accounts for the year 2021-22.

The Separate Audit Report and Annual Accounts may kindly be laid on the table of both Houses of the Parliament after these are adopted by the Commission.

Two copies of the document as presented to both Houses of the Parliament may kindly be forwarded to this office with an intimation regarding the date(s) on which these are laid on table of both the Houses of the Parliament.

Yours faithfully,

Encl: As above.

*Sd/-*

(S. Ahladini Panda)  
Principal Director

छटा एवं सातवाँ तल, एनैक्स बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

6<sup>th</sup> & 7<sup>th</sup> floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002

Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: [pdaenergydl@cag.gov.in](mailto:pdaenergydl@cag.gov.in)



No.:DGA /Rep/Acs-CERC/2022-23/Vol/ II /531

Dated: 02.11.2022

Copy forwarded to:

The Chairperson, Central Electricity Regulatory Commission, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> floor, Chanderlok Building, New Delhi-110001 alongwith Management Letter for necessary action.

Encl: As above.

  
(S. Ahladini Panda)-  
Principal Director



## 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2022 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (प्रोप्राइटी तथा नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता एवं कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।
3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:
  - i. हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (झ) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में नहीं बनाए गए हैं।
  - iii. हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 तथा 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख-रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।
  - iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं:

### क. लेखों पर टिप्पणियाँ:

#### 1. तुलन पत्र

पूँजीगत निधि (अनुसूची-1): ₹6786.65 लाख

केविविआ निधि (अनुसूची-2): ₹77,526.78 लाख

चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-3): ₹99,966.70 लाख

आय एवं व्यय लेखा

फीस से आय (अनुसूची-13): ₹16,128.28 लाख

ब्याज से आय (अनुसूची-14): ₹248.70 लाख

अन्य आय (अनुसूची-15): ₹0.64 लाख

केविविआ ने सीएजी/सीजीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना पुनरीक्षित निधि प्रचालन और लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए केविविआ को जारी किए गए प्रबंधन पत्रों के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया था और टिप्पणी के रूप में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी उजागर किया गया था।

केविविआ को अभी तक अपनाई गई पुनरीक्षित प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे विद्युत अधिनियम 2003, केविविआ निधि (निधि का गठन एवं उपयोग का ढंग) नियम, 2007 और केविविआ (लेखा के वार्षिक विवरण और रिकॉर्ड का प्रारूप) नियम, 2007 के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।

पूँजीगत निधि, केविविआ निधि, चालू देयताओं और अचल आस्तियों के साथ-साथ अनुदान, फीस, ब्याज आय और अन्य आय का लेखांकन, केविविआ निधि (निधि का गठन एवं उपयोग का ढंग) नियम, 2007 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 98 और 99, जो निर्धारित करती है कि केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य राशि केविविआ निधि में जमा की जानी आवश्यक है, के अनुरूप नहीं है। तदनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान केविविआ द्वारा प्राप्त रु. 16,377.62 लाख की सभी फीस और राशि को आय के रूप में मानने के बजाय इसके आय और व्यय खाते में केविविआ निधि में जोड़ा जाना चाहिए था, अर्थात्, 'फीस से आय', 'ब्याज आय' और 'अन्य आय'। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2022 को बैंक खातों में रखी गई रु. 436.54 की राशि को, जिसे भारत के लोक लेखा में अंतरित किया जाना था, 'केविविआ निधि' के बजाय 'अन्य चालू देयताओं' के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था।

केविविआ ने पूँजीगत आस्तियों (कार्यालय स्थान) के निर्माण के लिए रु. 26,828.51 लाख की राशि को एमओएचयूए को दिए गए भुगतान/जमा और अनुसूची 4क के अधीन दर्शाई गई आस्तियों के लिए रु. 151.36 लाख के बावजूद केवल रु.6700 लाख की राशि को केविविआ निधि से पूँजीगत लेखा में अंतरण के रूप में दर्शाया है।

इसके परिणामस्वरूप आय की रु. 16,377.62 लाखए केविविआ निधि की रु. 4338.79 लाख से ओवर-स्टेटमेंट और पूँजीगत निधि की रु. 20,279.87 लाख, चालू देयताएं और प्रावधानों की रु. 436.54 लाख से अंडर-स्टेटमेंट हुई है।

## ख. सहायता अनुदान

**विद्युत मंत्रालय से अनुदान (अनुसूची-12): शून्य**

**पूँजीगत निधि (अनुसूची-1): ₹6786.65 लाख**

**केविविआ निधि (अनुसूची-2): ₹77526.78 लाख**

विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए रु. 8,000 लाख का अनुदान (सहायता अनुदान वेतन रु. 2,150 लाख, और सहायता अनुदान सामान्य रु. 5,850 लाख) और अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए रु. 21000 लाख की पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान अनुमोदित किया, जो वर्ष 2021-22 के लिए केविविआ निधि से जारी किया जाना था।

इन अनुदानों में से, केविविआ ने रु. 5,789 लाख (स्थापना व्यय रु. 1,460 लाखए और अन्य व्यय रु. 4,329 लाख) की राशि का उपयोग और वर्ष 2021-22 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान में से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) को रु. 21,000 लाख का अग्रिम भुगतान किया।

तथापि, अनुसूची-12 (विद्युत मंत्रालय से अनुदान) में, केविविआ ने सभी उप-शीर्षकों अर्थात् 'चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज', 'वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल राशि' और 'केविविआ निधि में बचत/अव्ययित वापस अंतरित' के अधीन 'शून्य' राशि दर्शाई है। इसके परिणामस्वरूप रु. 5,789 लाख से अनुदान की अंडर-स्टेटमेंट और उसी राशि से केविविआ निधि की ओवर-स्टेटमेंट हुई है।

<sup>1</sup> रु. 9,988.06 लाख की फाइलिंग फीस/टैरिफ फीस+रु. 5,984.61 लाख की अनुज्ञप्ति फीस+रु. 77.69 लाख की वार्षिक पंजीकरण फीस+रु. 77.92 लाख की विविध फीस+रु. 248.70 लाख की ब्याज आय+रु.0.64 लाख की अन्य आय

वर्ष 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।

**ग. प्रबंधन पत्र:**

उन कमियों को, जिन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया जाएगा।

- v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में विचारणीय तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, खाता बहियों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त मामलों और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
  - क) जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार है; और
  - ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से



(साई अहलादिमी पांडा)

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (ऊर्जा)

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 02 नवम्बर, 2022



अनुलग्नक- I

{ पैरा 4(vi) में उल्लिखित }

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	वर्ष 2018-19 से बाहरी सीए फर्म को नियुक्त कर आंतरिक लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, एमओपी द्वारा वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी बाकी है। प्रबंधन ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए बाहरी सीए फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, एबी के आकार के अनुरूप है। तथापि, कुछ कमियां देखी गई थी, अर्थात् जीईएम के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुरूप कार्य न करना, दर संविदा के बाहर की वस्तुओं की खरीद, अनुमोदन के बिना अन्य विंग के स्टाफ की नियुक्ति।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2021-22 के लिए अचल आस्तियों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है।
4.	इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वित्तीय विवरणों में आस्तियों की श्रेणियों के साथ भौतिक सत्यापन में दर्शाई गई आस्तियों के मिलान का कोई तंत्र नहीं है। केविविआ ने क्रमशः जीएफआर 22 और 23 के अनुसार अपना अचल आस्ति रजिस्टर और उपभोग्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया है।
5.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार केविविआ को आयकर से छूट दी गई है। यद्यपि आयकर के टीडीएस की कटौती की जा रही है और नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, जीएसटी उपबंधों का गैर-अनुपालन निम्नानुसार पाया गया:  अपने डीमड न्यायिक कृत्यों के अनुसरण में अपनी प्राप्तियों के अलावा इसकी प्राप्तियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में राजस्व विभाग से स्पष्टीकरण से अवगत होने के बावजूद, केविविआ ऐसी प्राप्तियों पर कोई जीएसटी प्रभारित नहीं कर रहा है। इससे सीजीएसटी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के साथ-साथ केविविआ द्वारा इसके डीमड न्यायिक कृत्यों के अलावा पर संग्रहित की गई प्राप्तियों के कारण सरकारी राजकोष को राजस्व की बड़ी हानि हुई है। अतः वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, रु. 3,131.99 लाख <sup>2</sup> की जीएसटी असंग्रहीत और बेहिसाब रही।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	किसी महत्वपूर्ण जोखिम का बोध नहीं हुआ
7.	वर्ष के दौरान नगदी या चोरी, दुर्विनियोजन, धोखा, गबन इत्यादि के कारण सरकारी संपत्ति की हानि के विवरण	प्रबंधन ने सत्यापित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नोटिस/रिपोर्ट नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (ऊर्जा)

<sup>2</sup> अनुज्ञप्ति फीस और वार्षिक पंजीकरण फीस पर 18% की दर से 2019-20 के लिए  $\{(5981.09+58) \times 0.18\} + 2020-21$  के लिए  $\{(5240.57+58) \times 0.18\} + 2021-22$  के लिए  $\{(5984.61+77.69) \times 0.18\}$

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
<b>पूँजी निधि और दायित्व</b>			
पूँजी निधि – सहायता अनुदान	1	6,786.65	107.99
केविविआ निधि	2	77,526.78	73,869.45
अन्य निधियां			
1 भविष्य निधियाँ		-	-
2 अन्य		-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां		-	-
सुरक्षित ऋण और उधार			
1 सरकार से		-	-
2 अन्यो से		-	-
असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
आस्थगित ऋण देयताएं		-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान		99,966.70	96,562.82
<b>कुल</b>		<b>1,84,280.13</b>	<b>1,70,540.26</b>
<b>आस्तियां</b>			
नियत आस्तियां	4, 4क	238.01	172.90
निवेश- केविविआ की निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		-	-
पूँजीगत कार्य-प्रगति	5	16.52	5,830.40
अग्रिम	6	0.14	1.05
जमा – प्रतिभूति जमा	7	505.08	505.08
ऋण तथा अग्रिम	8	26,879.53	52.70
विविध देनदार	9	1.34	40.79
कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान		-	-
नकद तथा बैंक शेष	10	98,735.34	98,536.64
अन्य चालू आस्तियां	11	57,904.17	65,400.70
<b>कुल</b>		<b>1,84,280.13</b>	<b>1,70,540.26</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	23		

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
<b>आय</b>			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान	12	-	-
बिक्री/सेवाएं		-	-
संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन		-	-
पराप्रर्श		-	-
फीस	13	16,128.28	14,089.56
निवेश (निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर आय का निधियों को अंतरण)		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, इत्यादि			
1. रॉयल्टी		-	-
2. प्रकाशन		-	-
ब्याज आय	14	248.70	475.90
अन्य आय	15	0.64	0.61
<b>पूर्व अवधि मर्दे (निवल)</b>	<b>16</b>	<b>6.90</b>	-
<b>आस्थागित आय</b>	<b>4</b>	<b>21.18</b>	<b>30.17</b>
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
तैयार माल और अर्धनिर्मित उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		-	-
<b>कुल (क)</b>		<b>16,405.70</b>	<b>14,596.24</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना खर्च	17	1,338.35	1,149.77
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं का भुगतान		711.30	496.10
<b>यात्रा खर्च</b>	<b>18</b>	<b>11.10</b>	<b>5.01</b>
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	3,479.85	3,153.74
स्टेशनरी तथा मुद्रण		21.25	23.83
प्रकाशन		16.26	14.46
विविध और अन्य व्यय		1.41	2.44
मरम्मत तथा रखरखाव	20	51.22	56.47
पेट्रोल तथा स्नेहक		13.94	12.23
आतिथ्य खर्च		6.91	7.46
लेखा-परीक्षा फीस		7.48	4.11
विधिक प्रभार		-	-
भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान	21	326.37	74.51
जीपीएफ/सीपीएफ पर ब्याज		-	-

समूह बीमा योजना		-	-
मूल्यहास	4, 4A	63.09	70.74
पूर्व अवधि व्यय		-	43.35
नियत आस्तियों की बिक्री से हानि		-	0.14
अशोध्य ऋण की वापसी		-	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>6,048.53</b>	<b>5,114.36</b>
व्यय पर आय की अधिकता का सीईआरसी निधि खाते में अंतरण		10,357.17	9,481.88
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पृथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 1 – पूंजी निधि (सहायता अनुदान):		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
पूँजी रिजर्व – अनुदान सहायता से सृजित आस्तियां		107.99	141.59
जोड़ें : एनबीसीसी परियोजना के लिए सहायता अनुदान		6,700.00	-
घटाएं : अचल आस्तियों पर वर्ष के लिए अवक्षयण के कारण आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	21.8		
घटाएं : सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य	0.16	(21.34)	(33.60)
<b>कुल योग</b>		<b>6,786.65</b>	<b>107.99</b>

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/—  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/—  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 2—केविआ निधि:	चालू वर्ष 2021—22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020—21
वर्ष के प्रारंभ में शेष	<b>73,869.45</b>	64,384.14
घटाएं : वर्तमान अवधि के दौरान केविआ निधि से रिलीज़	<b>(6,700.00)</b>	-
जोड़ें : अविवादित जुर्माना	-	-
जोड़ें : व्यय पर आय की अधिकता	<b>10,357.17</b>	9,481.88
जोड़ें : सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य	<b>0.16</b>	3.43
कुल	<b>77,526.78</b>	<b>73,869.45</b>

तारीख : 24 जून, 2022  
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/—  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/—  
(हरप्रीत सिंह पृथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची – 3 रू चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
<b>क. चालू देयताएं</b>		
1. विविध ऋणदाता	<b>302.27</b>	136.48
2. प्रतिदेय वेतन	<b>107.69</b>	83.78
<b>3. स्टाफ को देय अन्य राशि</b>		
3.1 बाल शिक्षा भत्ता देय	<b>9.99</b>	8.10
3.2 चिकित्सा खर्च देय	<b>5.79</b>	0.05
3.3 विशेष नगद पैकेज देय	-	1.40
<b>4. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ फीस)</b>		
4.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	<b>88.81</b>	112.94
4.2 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	<b>259.90</b>	228.56
4.3 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 20-21	-	-
4.4 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 21–22	-	36.41
4.5 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 22–23	<b>48.56</b>	34.81
4.6 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 23–24	<b>45.02</b>	31.57
4.7 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष– 21–22	-	8.45
<b>5. भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान :</b>		
5.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	<b>0.15</b>	0.08
5.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	<b>0.09</b>	0.09
5.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	<b>9.90</b>	7.33
5.4 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	<b>2.02</b>	3.15
5.5 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	<b>15.04</b>	12.57
5.6 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	<b>3.62</b>	22.03
5.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	<b>0.01</b>	0.01
5.8 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	-	0.10
5.9 एनपीएस समरूप अंशदान	<b>0.94</b>	0.41

<b>6. अन्य चालू देयताएं</b>		
6.1 जुर्माना	<b>645.51</b>	611.77
6.2 प्रतिभूति जमा	<b>65.60</b>	37.29
6.3 अन्य वसूलियां	<b>0.17</b>	0.01
6.4 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-
6.5 आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस	<b>17.58</b>	13.58
6.6 जीएसटी अधिनियम के अनुसार टीडीएस	<b>2.05</b>	-
<b>कुल (क)</b>	<b>1,630.71</b>	1,390.97
<b>7. प्रावधान</b>		
7.1 छुट्टी नकदीकरण	<b>267.58</b>	180.73
7.2 ग्रेच्युटी	<b>221.26</b>	190.96
<b>8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</b>		
8.1 संदेय लेखा परीक्षा शुल्क	<b>12.60</b>	8.84
8.2 अन्य	<b>3.42</b>	4.46
<b>कुल (ख)</b>	<b>504.86</b>	384.99
<b>9. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आवर्ती जमा (ग)</b>	<b>97,831.13</b>	94,786.86
<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>99,966.70</b>	96,562.82

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/—  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/—  
(हरप्रीत सिंह पुथी)  
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां



अनुसूची 4-नियत आस्तियां ( सहायता अनुदान)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास				निवल खंड		
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को समाप्त तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां : लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण फर्नीचर और फिटिंग्स मशीनरी और उपकरण विद्युत संस्थापन एवं उपकरण कंप्यूटर / बाह्य उपकरण पुस्तकालय पुस्तकें	391.89 308.34 74.30 193.20 5.68	- - - - -	- - - 3.26 -	297.94 391.89 308.34 74.30 189.94 5.68	268.61 366.79 281.08 59.80 183.92 5.68	5.70 3.98 5.10 3.68 0.20 -	- - - - - -	- 370.77 286.18 63.48 181.02 5.68	23.63 21.12 22.16 10.82 8.92 -	29.33 25.10 27.26 14.50 9.28 -
ख. अमूर्त आस्तियां : सॉफ्टवेयर	14.01	-	-	14.01	11.49	2.52	-	14.01	-	2.52
<b>कुल</b>	<b>1,285.36</b>	<b>-</b>	<b>3.26</b>	<b>1,282.10</b>	<b>1,177.37</b>	<b>21.18</b>	<b>-</b>	<b>1,195.45</b>	<b>86.65</b>	<b>107.99</b>
<b>कुल योग</b>	<b>1,285.36</b>	<b>-</b>	<b>3.26</b>	<b>1,282.10</b>	<b>1,177.37</b>	<b>21.18</b>	<b>-</b>	<b>1,195.45</b>	<b>86.65</b>	<b>107.99</b>
पूर्ववर्ती वर्ष	1,375.12	-	89.76	1,285.36	1,233.53	30.17	-	1,177.37	107.99	141.59

तारीख : 24 जून, 2022  
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता / -  
(ए.वी. शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / -  
(हरप्रीत सिंह प्रथी)  
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 4क-नियत आस्तियां ( अन्य )

( ₹ लाख में )

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास				निवल खंड			
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौ. रान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां : फर्नीचर और फिटिंग्स मशीनरी और उपकरण विद्युत संस्थापन एवं उपकरण कंप्यूटर / बाह्य उपकरण		34.40 29.36 0.55 52.21	- - - 2.41	42.43 37.94 5.06 112.76	3.32 5.96 1.76 51.00	0.78 0.86 0.50 6.37	3.79 8.15 0.08 9.04	- - - 2.29	7.89 14.97 2.34 64.12	34.54 22.97 2.72 48.64	4.71 2.62 2.75 11.96
ख. अमूर्त आस्तियां : सॉफ्टवेयर	64.83	1.89	1.60	65.12	21.96	0.29	0.38	-	22.63	42.49	42.87
कुल	<b>148.91</b>	<b>118.41</b>	<b>4.01</b>	<b>263.31</b>	<b>84.00</b>	<b>8.80</b>	<b>21.44</b>	<b>2.29</b>	<b>111.95</b>	<b>151.36</b>	<b>64.91</b>
कुल योग	<b>148.91</b>	<b>118.41</b>	<b>4.01</b>	<b>263.31</b>	<b>84.00</b>	<b>8.80</b>	<b>21.44</b>	<b>2.29</b>	<b>111.95</b>	<b>151.36</b>	<b>64.91</b>
पूर्ववर्ती वर्ष	72.58	77.63	1.30	148.91	43.43	15.82	24.75	-	84.00	64.91	29.15

तारीख : 24 जून, 2022  
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता / -  
(ए.वी. शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / -  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 5- प्रगति में पूंजी सकर्म ( अन्य )

( ₹ लाख में )

विवरण	सकल खंड			मूल्यदास				निवल खंड			
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौ. रान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां : निर्माणाधीन भूमि एवं भवन		-	5,828.51	-	-	-	-	-	-	-	5,828.51
ख. अमूर्त आस्तियां : निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर	1.89	16.52	1.89	16.52	-	-	-	-	-	16.52	1.89
<b>कुल</b>	<b>5,830.40</b>	<b>16.52</b>	<b>5,830.40</b>	<b>16.52</b>	-	-	-	-	-	<b>16.52</b>	<b>5,830.40</b>
<b>कुल योग</b>	<b>5,830.40</b>	<b>16.52</b>	<b>5,830.40</b>	<b>16.52</b>	-	-	-	-	-	<b>16.52</b>	<b>5,830.40</b>
पूर्ववर्ती वर्ष	29.69	5,828.51	27.80	5,830.40	-	-	-	-	-	5,830.40	29.69

तारीख : 24 जून, 2022  
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता / -  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / -  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 6 – अग्रिम		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1	उत्सव के लिए अग्रिम	-	0.30
2	अन्य अग्रिम		
	– छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	0.14	0.75
	– विदेश यात्रा अग्रिम	-	-
	– चिकित्सा अग्रिम	-	-
<b>कुल</b>		<b>0.14</b>	<b>1.05</b>

(₹ लाख में)

अनुसूची 7 – जमा- प्रतिभूति जमा		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1	प्रतिभूति जमा – ब्रॉडबैंड	0.02	0.02
2	प्रतिभूति जमा – एमटीएनएल	0.90	0.90
3	प्रतिभूति जमा – एनडीएमसी	500.88	500.88
4	प्रतिभूति जमा – पेट्रोल और स्नेहक	0.40	0.40
5	प्रतिभूति जमा – कर्मचारियों के लिए पट्टा	1.88	1.88
6	प्रतिभूति जमा – सी-डैक	1.00	1.00
<b>कुल</b>		<b>505.08</b>	<b>505.08</b>

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 8 – ऋण तथा अग्रिम		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1	स्टाफ	51.02	52.70
2	अन्य	-	-
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एनबीसीसी परियोजना)	26,828.51	-
<b>कुल</b>		<b>26,879.53</b>	52.70

(₹ लाख में)

अनुसूची 9 – विविध देनदार		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
	प्राप्य शुल्क	1.34	40.79
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	-	-
<b>कुल</b>		<b>1.34</b>	40.79

(₹ लाख में)

अनुसूची 10 – नकद तथा बैंक शेष		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
	अनुसूचित बैंक के साथ बैंक शेष	51.02	52.70
	चालू खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	176.85	4,049.50
	पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	252.45	-
	बचत खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	7.24	73.52
	बचत खाते में (आवर्ती जमा)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	97,659.55	93,862.52
	दीर्घकालिक एफडीआर में (मुकद्दमेबाजी के अधीन प्राप्त जुर्माने के लिए)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	639.25	551.10
<b>कुल</b>		<b>98,735.34</b>	<b>98,536.64</b>

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/—  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/—  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 11 – अन्य चालू आस्तियां		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1	चालू आस्तियां केविविआ निधि खाता (भारत का लोक खाता)	57,650.03	64,350.03
2	नकद या वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम तथा अन्य राशियां या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए		
	2.1 पूर्वदत्त खर्च	52.10	50.70
	2.2 छुट्टी का वेतन तथा प्राप्य उपदान	9.06	-
3	आय प्रोद्भूत परंतु देय नहीं		
	3.1 उपचित ब्याज (ऑटोस्वीप पर)	1.71	2.70
	3.2 उपचित ब्याज (शास्ति के लिए एफडीआर पर)	6.25	60.67
	3.3 उपचित ब्याज (आवर्ती खाते के लिए ऑटोस्वीप पर)	171.58	924.34
	3.4 उपचित ब्याज (स्टाफ अग्रिम पर)	13.44	9.37
4	वस्तुसूची	-	2.89
	<b>कुल</b>	<b>57,904.17</b>	<b>65,400.70</b>

(₹ लाख में)

अनुसूची-12 विद्युत मंत्रालय से अनुदान	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	.	.
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़	.	.
वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल रकम	.	.
घटाएं : केविविआ निधि को वापस अंतरित नकदी आधार पर बचत/अव्ययित रकम	.	.
<b>कुल</b>	.	.

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 13 – शुल्क से आय		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1	फाइलिंग शुल्क / टैरिफ शुल्क	9,988.06	8,708.44
2	अनुज्ञप्ति शुल्क	5,984.61	5,240.57
3	वार्षिक पंजीकरण शुल्क	77.69	58.00
4	विविध शुल्क	77.92	82.55
कुल		<b>16,128.28</b>	14,089.56

(₹ लाख में)

अनुसूची 14 – ब्याज आय		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज	4.12	4.88
2	बैंक में नकद पर ब्याज	244.58	471.02
कुल		<b>248.70</b>	475.90

(₹ लाख में)

अनुसूची 15 – अन्य आय		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	0.26	0.27
2	विनियम के कम्पेंडियम की बिक्री पर लाभ	-	-
3	आरटीआई शुल्क	0.01	-
4	विविध प्राप्तियां	-	0.34
5	अखबार की बिक्री	0.37	-
कुल		<b>0.64</b>	0.61

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता / –  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 16 – अवधि पूर्व मदें		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1	पिछले वर्षों में लगाए गए अतिरिक्त मूल्यहास का वापस लिखा जाना	11.67	-
2	पूर्व अवधि व्यय	(4.77)	-
कुल		6.90	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 17 – स्थापना व्यय		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1	वेतन एवं मजदूरी :		
1.1	कर्मचारी/अधिकारी के वेतन	692.91	658.63
1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	160.47	116.60
1.3	भत्ते तथा बोनस	370.52	272.12
2	कर्मचारी कल्याण खर्चें		
2.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	62.88	44.18
2.2	अन्य	36.45	33.12
3	अन्य (विनिर्दिष्ट) :		
3.1	ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	9.99	8.10
3.2	छुट्टी यात्रा रियायत	3.64	16.71
3.3	छुट्टी नकदीकरण	1.49	0.31
कुल		1,338.35	1,149.77

(₹ लाख में)

अनुसूची 18 – यात्रा खर्चें		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1	स्वदेश यात्रा खर्चें		
	अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	11.10	5.01
	स्टाफ	-	-
2	विदेश यात्रा खर्चें		
	अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	-	-
	स्टाफ	-	-
कुल		11.10	5.01

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पुथी)  
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 19 – अन्य प्रशासनिक खर्च		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च	648.70	592.67
2	विद्युत एवं ऊर्जा	52.54	46.89
3	जल प्रभार	12.42	7.09
4	किराया दरें एवं कर	2,489.00	2,257.17
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन प्रभार	18.86	21.47
6	वाहन	0.57	0.24
7	अभिदान खर्च	91.00	92.59
8	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	55.62	24.16
9	अन्य (विनिर्दिष्ट):		
9.1	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	14.65	13.31
9.2	टैक्सी/पट्टे पर कार को किराए पर लेने संबंधी प्रभार	68.44	62.85
9.3	सूचना प्रणाली-अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि	-	19.78
9.4	प्रशिक्षण खर्च	-	-
9.5	यूनिफॉर्म व्यय	2.00	-
9.6	उपभोग्य वस्तुएं	21.04	10.55
9.7	बैंडविड्थ प्रभार	4.95	4.94
9.8	विनियम का कम्पैडियम (आंतरिक उपयोग)	0.06	0.03
कुल		3,479.85	3,153.74

(₹ लाख में)

अनुसूची 20 – मरम्मत एवं रखरखाव		चालू वर्ष 2021–22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020–21
1	कंप्यूटर	6.64	15.57
2	भवन	14.02	14.25
3	अन्य	4.51	1.94
4	यूपीएस	3.90	0.56
5	एयरकंडीशनर्स	22.15	24.15
कुल		51.22	56.47

(₹ लाख में)

अनुसूची 21- भविष्य निधि और अन्य अंशदान		चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1.1	भविष्य निधि को अंशदान	121.25	97.68
	अन्य निधियों को अंशदान:		
2.1	ग्रेच्युटी अंशदान	3.91	3.25
2.2	पेंशन अंशदान	4.57	11.16
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	9.91	20.80
2.4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	57.65	2.09
2.5	छुट्टी नगदीकरण के लिए प्रावधान	129.08	(60.47)
	<b>कुल</b>	<b>326.37</b>	<b>74.51</b>

तारीख : 24 जून, 2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पृथी)  
सचिव

## 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियाँ

### अनुसूची 22 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 1. सस लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्भवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविआ (वार्षिक लेखा विवरणी के फार्म एवं रिकॉर्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है और लेखा को प्रति वर्ष सी एंड एजी द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। लेखों को लेखांकन सिद्धांतों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

जब तक अन्यथा कथित न हो, आयोग द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का उल्लेख नीचे किया गया है: –

#### 1. लेखांकन कन्वेंशन

जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, उपाजन के आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अधीन तैयार किया जाता है।

#### 2. प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी (सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए केन्द्रीय आयोग को प्राक्कलन और पूर्वधारणा करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों में आस्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण सहित), आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञातध्भौतिक होते हैं, प्रासंगिक खाता शीर्ष में आयध्व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

#### 3. राजस्व मान्यता

- (i) उचित निश्चितता वाले आय और व्यय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी अनुज्ञप्तिधारियोंध्याचिकाकर्ताओं से फीस को संबंधित विनियमों में निर्धारित ढंग से आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- (ii) समय-समय पर यथासंशोधित संबंधित विनियमों के अधीन विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त राजस्व की गणना उपचय आधार पर की जाती है। राजस्व की वसूली के बारे में अनिश्चितता के मामले में जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न न्यायालयोंध्यायाधिकरणों में लंबित मामले शामिल हैं, राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया जाता है और एएस-9 के पैरा 9 के अनुसार प्रकट किया जाता है।
- (iii) सभी प्रकार की याचिकाओं को दाखिल करने की फीस को याचिका दायर करने पर आय के रूप में गणना की जाती है। अतिरिक्त फाइलिंग फीस या अतिरिक्त फाइलिंग के संग्रह की वापसी को देय या प्राप्य, यथास्थिति, के रूप में निर्धारित किया जाता है।

#### 4. निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। तथापि, दीर्घकालिक निवेश की अग्रणीत राशि में अस्थायी के अलावा किसी भी गिरावट को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है

#### 5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन व्यवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। वर्ष 2018-19 से, केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य रकमों को प्रोदभवन आधार पर आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। जुर्मानों की प्राप्त अविवादित रकम को विद्युत मंत्रालय को अंतरित किया जाता है तथा जुर्मानों की प्राप्त विवादित रकम को चालू देयताओं के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

#### 6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- (i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यहास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुसूची रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

#### 7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचालित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है, तो उसे लेखा मानक- 11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

#### 8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

#### 9. सेवा निवृत्ति फायदे

- (i) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक-15 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।
- (ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आंतरिक और बाह्य चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमित किया जाता है और इसका लेखा-जोखा प्रोदभवन आधार पर रखा जा रहा है।

#### 10. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास

##### क. मूर्त आस्ति

अचल आस्तियों का उल्लेख उनकी मूल लागत घटा संचित मूल्यहास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, पर किया गया है। लागत में अधिग्रहण और निर्माण/संस्थापना में किए गए व्यय और आस्तियों को इसके वांछित

उपयोग के लिए कार्यशील अवस्था में लाने में अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं। अचल आस्तियों का उल्लेख, आवक भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर किया गया है। अनुदान से निर्मित आस्तियों को, केविविआ निधि (अन्य निधि) से निर्मित आस्तियों की तुलना में पृथक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

मूल्यहास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पर निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाता है:

(i) केन्द्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्यहास नीति के अनुसार, अचल आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5% या उससे कम माना जाता है और तदनुसार अचल आस्तियों को मूल लागत के 95% तक मूल्यहासित किया जाता है (दरों को पूर्णांकित किया गया है)।

(ii) पूंजीकृत होने की योग्यता के लिए आस्ति की न्यूनतम लागत रु. 5000/- (केवल पांच हजार रुपये) होगी।

(iii) वर्ष के दौरान किसी मौजूदा आस्ति में किसी वृद्धि या विस्तार को, जो कि पूंजीगत प्रकृति का है और जो मौजूदा आस्ति का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उस आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित किया जाता है।

(iv) पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य में अचल आस्तियों को प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए बकाया अग्रिम शामिल हैं जो अभी तक रिपोर्टिंग की तारीख पर उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(v) पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में पहचाना जाता है और इन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान खरीदीध्वेची गई आस्तियों को दिनों की उन वास्तविक संख्या के लिए 'प्रो-राटा आधार' पर मूल्यहासित किया जाता है जिसके लिए इन्हें उपयोग में लाया गया है।

आस्तियां	5% अवशिष्ट मूल्य के साथ आस्ति का प्रभावी जीवन
भवन, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट्स	29 वर्ष
कंप्यूटर/उपकरण, कॉपियर, संचार उपकरण (फैक्स, मॉडम, टैलिफोन, इत्यादि)	3 वर्ष
फर्नीचर और विद्युतीय फिटिंग (अर्थात् पंखे, लाइटें, एयर कंडीशनर)	10 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	5 वर्ष

### ख. अमूर्त आस्तियाँ

सॉफ्टवेयर प्राप्त करने से संबंधित लागत को "अमूर्त आस्ति" के रूप में पूंजीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर की लागत को पांच वर्षों की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन, जो भी सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर कम हो, के भीतर परिशोधित किया जाता है।



- (i) यदि सॉफ्टवेयर बाजार से एकमुश्त खरीदा जाता है, तो खरीद की लागत और आस्ति को वांछित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लागत, पूंजीकृत की जाने वाली लागत हो सकती है। खरीद की तारीख वह तारीख होगी जिससे इसे परिशोधित करने की आवश्यकता होगी। या,
- (ii) यदि सॉफ्टवेयर को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है, तो इसे प्रयोग करने योग्य स्थिति में लाने के लिए संबंधित चरण की लागत, पूंजीकृत की जाने वाली लागत होगी। उस विभाग, जिसके पास उक्त चरण के संबंध में सभी उपयोगकर्ता स्वीकृति के बाद सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व है, से "गो लाइव" के प्रमाण पत्र की तिथि, वह तिथि होगी जिससे इसे परिशोधित करने की आवश्यकता होगी। अतः ऐसे मामलों में पूंजीकरण और परिशोधन, संबंधित चरण के लिए "गो-लाइव" तिथि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

## 11. एनबीसीसी परियोजना में कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रिम

केविविआ ने कार्यालय स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नोगर, नई दिल्ली में फ्री होल्ड आधार पर 54,494 वर्ग फीट कारपेट क्षेत्र (74,788 वर्ग फीट सुपर बिल्ट अप क्षेत्र) के साथ कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय (कार्यान्वयन एजेंसी-एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस प्रकार, एनबीसीसी परियोजना से संबंधित व्यय को अनुसूची-9 में "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

## 12. कराधान

- क. आयकर के लिए प्रावधान: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23) (खखछ) के अधीन आय और संपत्ति पर कर से छूट को ध्यान में रखते हुए, लेखा में आयकरधसंपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख. जीएसटी के अधीन टीडीएस तंत्र: जीएसटी व्यवस्था के अधीन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 'स्रोत पर कर कटौती' के लिए प्राधिकार और प्रक्रिया निर्धारित करती है। सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों (कटौतीकर्ता) को स्रोत पर कर काटने का आदेश दे सकती है: (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का विभाग या स्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियां; या (घ) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। कर को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (डिडव्टी) को किए गए भुगतान के 2: की दर से काटा जाएगा, जहां ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य, एक संविदा के अधीन, दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक है। तदनुसार, आयोग ने जीएसटी पर टीडीएस के कटौतीकर्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है।

## 13. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

- (i) प्रावधान: केन्द्रीय आयोग एक प्रावधान को तब मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है। यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।



- (ii) आकस्मिक देयताएं: किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, परंतु संभवतः जिसे संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व के मामले में जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।
14. एमएसएमईडी प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन कवर किए गए आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई मूल राशि देय नहीं है अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पिछले वर्ष: शून्य)। उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है। एमएसएमई के रूप में आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति, उनसे प्राप्त पुष्टियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव

## 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

### अनुसूची 23 – आकस्मिक देयातओं और लेखों पर टिप्पण

#### 1. केविविआ निधि

- (i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में सम्मिलित हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज़ करने की मांग करेगा।
- (ii) भारत के लोक खाता के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर-व्ययगत और गैर-ब्याज वहन खाता होगा। विद्युत मंत्रालय ने अनुदान सहायता के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई केविविआ निधि से रिलीज़ राशि को मान लिया। वर्ष 2015-16 से 2017-18, केविविआ का समग्र व्यय प्रोद्भवन आधार पर केविविआ निधि से रिलीज़ अनुदान सहायता से किया गया। वर्ष 2018-19 से, वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय में निर्णय/विचार-विमर्श तथा परिवर्तित लेखा नीति के अनुसार, केविविआ ने वार्षिक व्यय तथा चालू पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा करना आरंभ किया है (केविविआ के दो महीने के अनुमानित व्यय के बराबर अतिरिक्त राशि)। प्रस्ताव अगले आवश्यक अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।
- (iii) वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ शून्य लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1718 लाख) की राशि केविविआ निधि में जमा की गई है और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय ने केविविआ की पूंजी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए निधि से ₹ 6700 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ शून्य) की राशि रिलीज़ की जो केविविआ निधि (भारत का लोक खाता) में 31 मार्च, 2022 को ₹ 57650 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 64350 लाख) का शेष हुआ।

#### 2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं

- (i) 31 मार्च 2022 को भूमि और भवन के विकास के संबंध में 3200 लाख रुपये की पूंजी प्रतिबद्धता (आबंटन पत्र के अनुसार ₹ 448 लाख के रखरखाव प्रभार और ₹ 371 लाख के ब्याज रहित रखरखाव सुरक्षा सहित) मौजूद थी।

एनबीसीसी परियोजना में कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रिम

केविविआ ने कार्यालय के लिए जगह की आवश्यकता को पूरा करने हेतु वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्रीहोल्ड आधार पर 54,494 वर्ग फुट वाले कार्पेट क्षेत्र (74,788 वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप क्षेत्र) के कार्यालय की जगह प्राप्त करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (क्रियान्वयन एजेंसी – एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। चूंकि परियोजना विचाराधीन है, इसलिए एनबीसीसी को दिया गया अग्रिम, अनुसूची -8 में ऋण और अग्रिम के अधीन "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

### 3. पट्टा दायित्व

- (i) वाहनों के लिए प्रचालन पट्टे की व्यवस्था के अधीन किराये हेतु भावी दायित्वों की राशि रु. 1.52 लाख (पिछले साल रु. 4.57 लाख) है।
- (ii) "पट्टा आवास" के प्रति भावी दायित्व – केविविआ ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवास) विनियम, 2007 के अधीन "पट्टा आवास" सुविधा का विस्तार 3 (तीन) कर्मचारियों की संख्या तक किया है। ये विनियम नियमित नियुक्ति, विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या स्थायी आमेलनपर आयोग के कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये पट्टे प्रकृति में "रद्द करने योग्य" हैं और इसके लिए रु. 1.21 लाख प्रति माह का मासिक दायित्व है।

### 4. नियत आस्तियां

- (i) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई सहायता अनुदान में से अर्जित आस्तियां मूल्यहासित हैं एवं पूंजी रिजर्व में तदनुरूपी कटौती से प्रत्येक वर्ष अस्थगित आय के रूप में परिगणित की गई है।
- (ii) आस्तियों का भौतिक सत्यापन इन हाउस किया गया तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। समायोजन, यदि कोई हो, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

### 5. लेखांकन नीति में परिवर्तन

आयोग ने 1 अप्रैल 2018 से अचल आस्तियों पर मूल्यहास और अमूर्त आस्तियों के परिशोधन के संबंध में अपनी लेखांकन नीति को निम्नानुसार बदलने का निर्णय लिया है: –

#### (क) अचल आस्ति:

- (i) 30 सितंबर तक अर्जित आस्ति पर पूर्ण मूल्यहास और 30 सितंबर के बाद अर्जित आस्ति पर मूल्यहास की आधी दर प्रभारित करने की अपनी पूर्व नीति के स्थान पर, अचल आस्तियों में वृद्धि पर मूल्यहास दिनों की उस वास्तविक संख्या को लेते हुए यथानुपात आधार पर लगाया जाता है जिसमें आस्ति उपयोग में थी।
- (ii) "कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों" के शीर्ष में प्रिंटर एवं स्कैनर जैसी आस्तियों को प्राप्त करने के मामले में उपयोगी जीवन को पांच वर्षों के स्थान पर तीन वर्ष लिया गया है।
- (iii) सॉफ्टवेयर के मामले में परिशोधन अवधि को 3 वर्षों के स्थान पर 5 वर्ष लिया गया है।
- (iv) उपर्युक्त परिवर्तनों का प्रभाव प्रकृति में भौतिक है इसलिए रु. 16.25 लाख रुपये के अतिरिक्त मूल्यहास के रूप में अचल आस्तियों के लिए पूर्वव्यापी समायोजन को 1 अप्रैल 2018 से इसके मूल्यहास मूल्य से राइट ऑफ किया गया है। रु. 16.25 लाख के अतिरिक्त मूल्यहास के रूप में "आय और व्यय" पर एक और प्रभाव को भी चालू वर्ष के मूल्यहास में भी समायोजित किया गया है ख1.67 लाख रु. की राशि को "पूर्व अवधि मदों" के अधीन अंतरित की गई है और इसे अनुसूची-16 में प्रदर्शित किया गया है।

#### (ख) कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रिम:

(प) मौजूदा प्रारूपों में समुचित लेखांकन शीर्ष की अनुपलब्धता के कारण, अग्रिम से संबंधित व्यय को रु. 5800 लाख के लिए "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" के अधीन दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार, आयोग ने उस प्रविष्टि को सुधारने का निर्णय लिया है और अनुसूची-8 में ऋण और अग्रिम के अधीन 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम' के अधीन दर्ज किया गया है। परिवर्तित नीति के अनुसार, एनबीसीसी परियोजना से संबंधित व्यय को तदनुसार दर्ज किया गया है।

## 6. चालू देयताएं

- (i) पावर एक्सचेंजों में गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की व्यापार कीमत के संबंध में एक विवाद के समाधान को लंबित करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ₹ 500 प्रति गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की राशि केविविआ में जमा की जाए। मामले के निपटान पर, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, ₹ 97831.13 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 94786.86 लाख) की प्राप्त राशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा गया।
- ₹ 17374.81 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 14330.53 लाख) की ब्याज की राशि सहित ₹ 97831 लाख की कुल प्राप्त राशि को चालू देयताएं में अनुरूप राशि के साथ चालू आस्ति में लेखाबद्ध किया गया है। दिनांक 17.05.2022 को भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पावर एक्सचेंजों द्वारा जमा की गई मूल राशि को रिलीज करने के लिए आयोग को निर्देश दिया। उक्त राशि के निस्तारण के लिए आयोग ने एक समिति का गठन किया।
- (ii) 31 मार्च, 2021 तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत केविविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड की राशि ₹ 1782 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1781 लाख) की थी जिसमें ₹ 1644 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1644 लाख) विभिन्न न्यायालयों में पार्टियों द्वारा विवादित रही और अनुदत्त स्थगन के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई। ₹ 138 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 137 लाख) की शेष रकम केविविआ में प्राप्त की गई। विवादित जुर्मानों में से, ₹ 357 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 357 लाख) की राशि विभिन्न न्यायालयों में विवाद के अधीन प्राप्त हुई और चालू देयताओं के रूप में प्रकट की गई है। प्राप्त परंतु विविदित रकम बैंक में अल्पकालिक नियत जमा के अधीन रखी गई है और केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई) जमा की जाएगी या न्यायालय मामलों के परिणाम के आधार पर, जैसा भी मामला हो, पार्टी को वापस की जाएगी। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से है। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार विवादित दंड की रकम से की गई नियत जमा पर प्राप्त और उपचितलेकिन प्राप्त नहीं ब्याज अन्य चालू देयताओं के अधीन परिगणित किया गया है। इस कारण से आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।
- (iii) केविविआ के स्थाई कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर क्रमशः ₹ 268 लाख और ₹ 221 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 181 लाख तथा ₹ 191 लाख) का प्रावधान किया गया है।
- (iv) केविविआ में पहुंच नियंत्रण प्रणाली के संस्थापन के संबंध में विक्रेता को किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए 8.84 लाख रुपये की राशि पर एनटीपीसी के साथ चर्चा चल रही है।
- (v) मार्च 2019 में एनडीएमसी से प्राप्त ड्राफ्ट पट्टा करार में शून्य प्रतिभूति जमा की परिकल्पना की गई है। इस पट्टा करार पर हस्ताक्षर होने तक एनडीएमसी के साथ प्रतिभूति जमा का समायोजन नहीं किया गया है।
- (vi) तीसरी और चौथी मंजिल पर 942 वर्ग फुट क्षेत्र के संबंध में किराए के गैर-भुगतान के कारण देय ब्याज के कारण एनडीएमसी के प्रति रु. 72.27 की देयता।

## 7. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

- (i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शाई गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।
- (ii) वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹ 16,91,875/- के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नकदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई दिनांक 09.05.2022 को हुई थी और सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 22.07.2022 को नियत है। मामले के निष्कर्ष को देखते हुए, इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।
- (iii) निम्नलिखित इकाइयों से विभिन्न फीस के कारण राजस्व की मान्यता उसकी वसूली के बारे में अनिश्चितता के कारण स्थगित की जाती है।

क्र.सं.	पार्टी का नाम	फीस की प्रकृति और वर्ष	राशि
1	श्याम इंडस पावर सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	6 लाख
2	वेदप्रकाश पावर प्रा. लि.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	3 लाख
3	रेनुर्जा पावर एलएलपी	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	1.33 लाख
4	जीएमआर-कमलांगा एनर्जी लि.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए फीस	11.55 लाख
5	तल्वर-।। ट्रांसमिशन कॉ. लि.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	5 लाख
6	नॉर्थकरनपुरा ट्रांसमिशन कॉ. लि.	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	5 लाख
7	वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लि.	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	5 लाख
8	ग्लोबल एनर्जी प्रा. लि.	वित्त वर्ष 2021-22, 2020-21 और 2019-20 के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति फीस	120 लाख

## 8. आय एवं व्यय लेखा

वर्ष 2017-18 तक, समग्र फीस एवं प्राप्तियां केविविआ निधि में अंतरित की गई थीं तथा व्यय को सहायता अनुदान में से किया गया था। आय को प्रोदभूत आधार पर अनुदान की राशि तक स्वीकृत किया गया था। केविविआ द्वारा केवल अधिशेष निधियों को भारत के लोक खाता में जमा करने की अनुमति के मामले को भारत सरकार तक ले जाया गया है। वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के निर्णय / विचार.विमर्श के अनुसार, केविविआ द्वारा उसके वार्षिक व्यय तथा चालू पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद केवल अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2018-19 से लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है। संशोधित लेखा नीति के अनुसार,

केविविआ के लिए समग्र फीस तथा अन्य उपार्जित आय को आय तथा अधिशेष के रूप में लेखाबद्ध कर केविविआ निधि में अंतरित किया गया है।

## 9. स्टेशनरी और इन्वेंट्री का स्टॉक

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर, कीमत वाले प्रकाशनों के वर्तमान स्टॉक को लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। विनियमों का कम्पेंडियम आंतरिक और सरकारी उपयोग के साथ-साथ सरकारी कंपनियों और निजी पार्टियों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री के लिए मुद्रित किया जाता है। वर्ष 2016-17 से, वर्ष के अंत में विनियमों के कम्पेंडियम की इन्वेंट्री को लागत या उसके बाजार मूल्य से कम पर लेखांकित किया जाता है। विनियमों के कम्पेंडियम की कीमत न वसूलने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बाजार मूल्य को शून्य माना गया है।

## 10. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेख, लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ / ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

11. वर्ष 2021-22 के दौरान, केविविआ ने रु. 16491 लाख (पूर्ववर्ती रु. 14608 लाख) की राशि, फीस और ब्याज शीर्ष के अर्ध प्राप्त की और नकद आधार पर रु. 26789 लाख (पिछले वर्ष रु. 11593 लाख) का व्यय (एमओएचयूए को अग्रिम सहित) किया। अगले दो मास के व्यय के बराबर की राशि को बनाए रखने के बाद रु. शून्य की अधिशेष राशि को भारत के लोक लेखा में जमा किया गया है।
12. तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, और प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा के आंकड़े, लाख रुपये में राउंड ऑफ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुझावों/धसुधारों को, जहां आवश्यक हो, चालू वर्ष की प्रस्तुति में शामिल किया गया है।
13. अनुसूची 1 से 23 को 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता/-  
(ए.वी शुक्ला)  
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)  
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान



(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
1. आरंभिक शेष के लिए					
(क) बैंक शेष				160.47	108.14
(i) चालू खातों में:				686.88	665.79
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	4,049.50	2,826.04		352.61	274.54
(ii) बचत खातों:				626.96	480.67
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	73.52	0.16		43.72	94.73
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – आवर्ती जमा (ऑटोस्वीप सहित)	93,862.52	89,140.79		-	-
(iii) सावधि जमा	551.10	551.10		11.79	4.32
(ख) हाथ में नकदी	-	-		55.44	59.29
2. प्राप्त अनुदान					
विद्युत मंत्रालय से	6,700.00	-		8.10	6.21
3. आयोग से प्राप्तियाँ					
(i) ब्याज प्राप्ति					
– ऑटो स्वीप जमा पर ब्याज	245.17	481.54		2.72	1.29
– बचत खातों से ब्याज	0.40	16.57		8.70	6.38
– पेनल्टी एफडीआर से जुड़ा ब्याज	87.15	-		36.60	32.82
– कार ऋण पर ब्याज	-	-		631.52	588.92
– कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	0.06	0.26		52.04	43.53
– मोटर साइकिल अग्रिम पर ब्याज	-	0.06		12.76	5.76



प्राप्तियां	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
(ii) कम्पेडियम की बिक्री	0.00	-	(घ) मरम्मत तथा रखरखाव	4.51	3.15
(iii) अखबारों की बिक्री	0.02	-	(ङ) किराया, दर तथा कर	2,413.54	2,662.62
(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभार			(च) वाहन चलन एवं रखरखाव	67.70	63.22
- फाइलिंग फीस	1,201.50	830.50	(प) टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	13.37	12.14
- अनुज्ञप्ति फीस	5,989.14	5,237.66	(पप) चालन तथा रखरखाव	18.62	20.39
- टैरिफ फीस	8,820.45	7,842.28	(छ) डाक-व्यय, टैलिफोन तथा संसूचना प्रभार	12.52	19.09
- वार्षिक पंजीकरण फीस	77.69	58.00	(ज) मुद्रण तथा स्टेशनरी	0.44	0.24
- जुमाना	1.00	-	(झ) यात्रा तथा वाहन	6.78	7.23
- अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	60.78	120.56	(ञ) संगोष्ठी/बैठकों पर खर्च	95.44	83.06
- अतिरिक्त प्राप्त फीस	3.00	10.00	(ट) अभिदान खर्च	3.73	6.86
- आरटीआई फीस	0.01	0.00	(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस	70.73	42.70
(v) विविध प्राप्तियां	5.07	10.70	(ड) विज्ञापन तथा प्रचार	0.52	0.64
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए			(ढ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	7.90	5.17
(क) स्टाफ से अग्रिमों की वसूली			- एएमसी ईपीएबीएक्स	13.62	26.03
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	0.28	0.32	- एएमसी फोटोकॉपी मशीन	-	9.30
(ii) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	-	-	- एएमसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	3.71	1.28
(iii) विशेष उत्सव अग्रिम	0.30	0.10	- एएमसी यूपीएस	6.09	5.85
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	- एएमसी विद्युत	5.84	6.98
- अग्रदाय	0.95	0.49	- एयरकंडीशनर मरम्मत तथा रखरखाव	13.58	13.24
(ख) अग्रिम की वसूली			- पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	3.84	3.84
			- बैंडविड्थ प्रभार	7.36	7.97
			- भवन मरम्मत तथा रखरखाव	17.26	9.53
			- उपभोग्य	4.61	4.24
			- कंप्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	-	3.80
			- सूचना प्रणाली टू सॉफ्टवेयर का रखरखाव	1.41	2.31
			- विविध खर्च		

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
(i) प्रदाताओं को अग्रिम	-	0.30	- प्रशिक्षण खर्चे	-	-
(म) अन्य जमा			- पूर्व अवधि व्यय	4.77	33.69
(i) प्रतिभूति जमा			- यूनिफॉर्म व्यय	2.00	-
5. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए			3. किए गए निक्षेप		
(क) प्रतिनियुक्तों से वसूली	4.42	5.13	(क) प्रतिभूति जमा		0.66
(ख) अनुज्ञप्ति फीस	1.96	1.84	4. (i) स्टाफ को अग्रिम द्वारा		
(ग) आयकर (वेतन / गैर-वेतन)	315.80	240.69	(क) अन्य अग्रिम (खर्चे)	0.95	0.49
(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी)	2.05	-	(ख) एफटीई अग्रिम		
(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएसटी)	0.06	0.15	(ग) छुट्टी यात्रा खर्चा	0.14	1.13
(च) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीई. जीआईएस)	0.09	0.09	(घ) चिकित्सा अग्रिम	1.78	-
(छ) अन्य प्राप्तियाँ			(ङ) विशेष उत्सव अग्रिम		0.40
- ईपीएफ / जीएसएलआई वसूली	31.58	21.46	(ii) आकस्मिक अग्रिमों द्वारा		
- सीपीएफ मैडिंग अंशदान / ईपीएफ / जीएसएलआई / जीपीएफ / एनपीएस	121.65	125.59	(क) प्रदाताओं को अग्रिम	21,000.00	77.66
- एफटीई वसूली	-	-	(iii) अन्य द्वारा		
- एलटीसी वसूली	-	0.88	(क) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय		
- एचबीए वसूली	9.79	10.36	(iv) समायोजन / विप्रेषण	0.55	0.25
- अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज)	0.49	0.34	(क) प्रतिनियुक्तों से जीपीएफ / सीपीएफ / ईपीएफ		
- प्राप्त ग्रेच्युटी	0.80	0.60	आदि की वसूली		
- छुट्टी वेतन अंशदान	3.52	2.44	- विप्रेषित जीपीएफ वसूली	21.69	28.55
- पीएम केयर निधि	-	2.18			

		(₹ लाख में)	
प्राप्तियां	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21	भुगतान
			चालू वर्ष 2021-22
			पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरईसी जमा			
— प्राप्ति	-	-	122.47
— फ्लैक्सी जमा पर ब्याज	3,797.03	4,721.73	1.49
			0.42
			5.24
7. अन्य प्राप्तियों के लिए			1.80
			323.15
			241.30
— आस्तियों की बिक्री	0.28	3.30	0.06
— चिकित्सा अग्रिम की धन वापसी	0.09	-	0.09
			7.64
			4.42
			-
			5.13
			2.18
			-
			0.50
			15.12
			28.12
			32.95
			83.39
			34.65
			81.56
			-
			5,828.51
			36.49
			1.47
			11.51
			5,828.51
			36.49



(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21
			(क) फ्रीस वापसी	-	-
			8. केविबिआ निधि को अंतरित निधियां (भारतीय लोक लेखा)	-	1,718.00
			9. हाथ में नकदी	-	-
			10. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में रु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित) पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	176.85 252.45	4,049.50 -
			(ii) बचत खातों में रु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आर्वी जमा (ऑटो स्वीप सहित)	7.24 97,659.55	73.52 93,862.52
			(ii) सावधि जमा	639.25	551.10
				<b>1,26,039.73</b>	<b>1,12,264.61</b>

वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक लेखा के संबंध में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए उत्तर/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

क्र.सं.	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ/अवलोकन	की गई कार्रवाई/ की जाने वाली कार्रवाई
क	<p><b>1. तुलन पत्र</b></p> <p>केविविआ ने सीएजी/सीजीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना पुनरीक्षित निधि प्रचालन और लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए केविविआ को जारी किए गए प्रबंधन पत्रों के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया था और टिप्पणी के रूप में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी उजागर किया गया था।</p> <p>केविविआ को अभी तक अपनाई गई पुनरीक्षित प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे विद्युत अधिनियम 2003, केविविआ निधि (निधि का गठन एवं उपयोग का ढंग) नियम, 2007 के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।</p> <p>पूँजीगत निधि, केविविआ निधि, चालू देयताओं और अचल आस्तियों के साथ-साथ अनुदान, फीस, ब्याज आय और अन्य आय का लेखांकन, केविविआ निधि (निधि का गठन एवं उपयोग का ढंग) नियम, 2007 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 98 और 99, जो निर्धारित करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान केविविआ द्वारा प्राप्त रु. 16,377.62<sup>1</sup> लाख की सभी फीस और राशि को आय के रूप में मानने के बजाय इसके आय और व्यय खाते में केविविआ निधि में जोड़ा जाना चाहिए था, अर्थात् 'फीस से आय', 'ब्याज आय' और 'अन्य आय'। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2022 को बैंक खातों में रखी गई रु. 436.54 की राशि को, जिसे भारत के लोक लेखा में अंतरित किया जाना था, 'केविविआ निधि' के बजाय 'अन्य चालू देयताओं' के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था।</p> <p><sup>1</sup>रु. 9,988.06 लाख की फाइलिंग फीस/टैरिफ फीस+रु. 5,984.61 लाख की अनुज्ञप्ति फीस+ रु. 77.69 लाख की वार्षिक पंजीकरण फीस+रु. 77.92 लाख की विविध फीस+रु. 248.70 लाख की ब्याज आय+ रु. 0.64 लाख की अन्य आय</p>	<p>केविविआ निधि (निधि का गठन एवं उपयोग का ढंग) नियम, 2007 का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है।</p> <p>तथापि, लेखापरीक्षा का सुझाव भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।</p>
ख	<p><b>सहायता अनुदान</b></p> <p>विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए रु. 8,000 लाख का अनुदान (सहायता अनुदान वेतन रु. 2,150 लाख और सहायता अनुदान सामान्य रु. 5,850 लाख) और अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए रु. 21000 लाख की पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान अनुमोदित किया, जो वर्ष 2021-22 के लिए केविविआ निधि से जारी किया जाना था।</p> <p>इन अनुदानों में, से केविविआ ने रु. 5,789 लाख (स्थापना व्यय रु. 1,460 लाख और अन्य व्यय रु. 4,329 लाख) की राशि का उपयोग और वर्ष 2021-22 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान में से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) को रु. 21,000 लाख का अग्रिम भुगतान किया।</p> <p>तथापि, अनुसूची-12 (विद्युत मंत्रालय से अनुदान) में केविविआ ने सभी उप-शीर्षकों अर्थात् 'चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज', 'वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल राशि' और 'केविविआ निधि में बचत/अव्ययित वापस अंतरित' के अधीन 'शून्य' राशि दर्शाई है। इसके परिणामस्वरूप रु. 5,789 लाख से अनुदान की अंडर-स्टेटमेंट और उसी राशि से केविविआ निधि की ओवर-स्टेटमेंट हुई है।</p> <p>वर्ष 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।</p>	<p>नोट किया गया।</p> <p>वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण तदनुसार तैयार किए जाएंगे।</p>



ग	<p><b>प्रबंधन पत्र</b></p> <p>उन कमियों को, जिन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया जाएगा।</p> <p>v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में विचारणीय तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, खाता बहियों के अनुरूप हैं।</p> <p>vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त मामलों और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।</p> <p>क) जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार है; और</p> <p>ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।</p>	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
---	---	--------------------------------

अनुबंध-1

{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

क्र.सं.	विषय	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ/अवलोकन	की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	वर्ष 2018-19 से बाहरी सीए फर्म को नियुक्त कर आंतरिक लेखापरीक्षा की जा रही है। वर्ष 2020-21 के लिए, न तो विद्युत मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है, न ही इसके लिए केविआ द्वारा किसी फर्म को नियुक्त किया गया है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, एबी के आकार के अनुरूप है। तथापि, कुछ कमियां देखी गई थी, अर्थात् जीईएम के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुरूप कार्य न करना, दर संविदा के बाहर की वस्तुओं की खरीद, अनुमोदन के बिना अन्य विंग के स्टाफ की नियुक्ति।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2021-22 के लिए अचल आस्तियों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
4.	इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वित्तीय विवरणों में आस्तियों की श्रेणियों के साथ भौतिक सत्यापन में दर्शाई गई आस्तियों के मिलान का कोई तंत्र नहीं है। केविआ ने क्रमशः जीएफआर 22 और 23 के अनुसार अपना अचल आस्ति रजिस्टर और उपभोग्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया है।	
5.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार केविआ को आयकर से छूट दी गई है। यद्यपि आयकर के टीडीएस की कटौती की जा रही है और नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, जीएसटी उपबंधों का गैर-अनुपालन निम्नानुसार पाया गया:  अपने डीमड न्यायिक कृत्यों के अनुसरण में अपनी प्राप्तियों के अलावा इसकी प्राप्तियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में राजस्व विभाग से स्पष्टीकरण से अवगत होने के बावजूद, केविआ ऐसी प्राप्तियों पर कोई जीएसटी प्रभारित नहीं कर रहा है। इससे सीजीएसटी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के साथ-साथ केविआ द्वारा इसके डीमड न्यायिक कृत्यों के अलावा पर संग्रहित की गई प्राप्तियों के कारण सरकारी राजकोष को राजस्व की बड़ी हानि हुई है। अतः वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, रु.3,131.99 लाख <sup>2</sup> की जीएसटी असंग्रहीत और बेहिसाब रही।  <sup>2</sup> अनुज्ञप्ति फीस और वार्षिक पंजीकरण फीस पर 18% की दर से 2019-20 के लिए {(5981.09+58) x 0.18} + 2020-21 के लिए {(5240.57+58) x 0.18} + 2021-22 के लिए {(5984.61+77.69) x 0.18}	मामले पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ आगे विचार/परामर्श किया जाएगा।




6.	लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	किसी महत्वपूर्ण जोखिम का बोध नहीं हुआ	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
7.	वर्ष के दौरान नगदी या चोरी, दुर्विनियोजन, धोखा, गबन इत्यादि के कारण सरकारी संपत्ति की हानि के विवरण	प्रबंधन ने सत्यापित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नोटिस/रिपोर्ट नहीं किया गया।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।



# संगठनात्मक चार्ट

अनुलग्नक—XIII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविआ)  
संगठन चार्ट (31 मार्च, 2022 के अनुसार)











के वि वि आयोग  
CERC

# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

फोन : +91-11-23353503, फैक्स : +91-11-23753923, वेबसाइट : [www.cercind.gov.in](http://www.cercind.gov.in)